

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम



Hindi
الهندية
हिंदी

लेखक

शैख़ मुहम्मद सालेह अलमुनज्जिद

अनुवादक

जाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

सम्पादना

अब्दुल करीम अब्दुससलाम



محرمات استهان بها الناس

المؤلف

محمد صالح المنجد

ترجمة

ذاكر حسين وراثة الله

مراجعة

عبدالكريم عبدالسلام



Hindi
الهندية
हिंदी



This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul International Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.



+966 11 445 4900



+966 11 497 0126




P.O.BOX 29465 Riyadh 11457



osoul@rabwah.sa



www.osoulcenter.com



शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु)
निहायत रहम करने वाला (दयालु) है



विषय सूची

भूमिका	9
अल्लाह के साथ शिर्क करना	19
बद शुगूनी	29
गैरुल्लाह की कसम खाना	31
मुनाफिकों या फासिकों (बहुमुखीयों या पापीयों) के साथ उनसे करीब होने के लिए अथवा उनको करीब करने लिए उटना-बैटना	34
नमाज़ में इत्मीनान न रखना	35
नमाज़ में फुजूल काम तथा ज़्यादा हरकत करना	37
जान-बूझकर मुक़्तदी का अपने इमाम पर सब्कत ले जाना	38
पियाज़, लहसुन या कोई बदबू (कुबास) वाली चीज़ खाकर मस्जिद में आना	40
ज़िना (व्यभिचार)	42
लिवातत (समलिंगी व्यभिचार)	44
बीवी का बिना किसी शर्ई उज़्र के शौहर के बिस्तर पर आने से इनकार करना	45
बीवी का बिना किसी शर्ई उज़्र के अपने शौहर से तलाक़ तलाब करना	46
ज़िहार	48
हैज़ (माहवारी) की हालत में हम्बिस्तरी (संभोग) करना	49
बीवी की सुरीन (मलद्वार) में सहवास करना	50
बीवीयों के बीच इंसाफ़ (न्याय) न करना	52
परनारी के साथ निर्जनता (अज़नबी औरत के साथ तनूहाई में रहना)	53
अजनबी औरत से मुसाफ़हा करना	54
घर से निकलते समय औरत का खुशबू लगाना तथा सुगंधी लगाकर मर्दों के पास से गुज़रना	56
औरत का महरम के बिना सफ़र करना	57
अमदन (जान बूझकर) अजनबी औरत की ओर देखना	58
बेगैरती	60
बच्चे का अपने आपको अपने बाप के अलावा की ओर मंसूब करने में झूट का सहारा लेना तथा आदमी का अपने बच्चे का इंकार करना	60
सूदखोरी	62
सामान का ऐब छिपाना और बेचते समय उसे न बताना	65
दलाली करना	66
जुमुआ की दूसरी अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त (क्रय-विक्रय) करना	67
जुआ	68
चोरी	70
रिश्वत लेना तथा देना	72

ज़मीन ग़स्ब (अपहरण) करना	74
सिफ़ारिश करने के कारण हदिया कबूल करना	75
मज़दूर से काम पूरा लेना मगर उसकी मज़दूरी न अदा करना	77
अतीया (दान-प्रदान) में बच्चों के बीच अदल व ईसाफ़ (समता तथा न्याय) न करना	80
बग़ैर ज़रूरत के लोगों से माँगना	82
अदा न करने की नियत से कर्ज़ लेना	83
हराम भक्षण (खाना)	85
शराब पीना चाहे एक क़त्रा ही क्यों न हो	86
सोने चाँदी के बर्तन इस्तेमाल (प्रयोग) करना और उस में खाना पीना	89
झूटी गवाही	90
गाना-बजाना (गीत-म्यूज़िक) सुनना	92
गीबत	94
चुगलख़ोरी	95
बग़ैर इजाज़त के दूसरों के घरों में झोंकना	97
तीसरे को छोड़कर दो आदमी का आपस में सरगोशी (कानाफूसी) करना	98
टख़ने के नीचे कपड़ा लटकाना	99
मर्दों के लिए किसी भी प्रकार के सोने का सामान इस्तेमाल करना	101
औरतों का छोटा (शॉर्ट), पतला तथा तंग (टाइट) कपड़ा पहनना	102
मर्द व औरत का अपने बाल में दूसरे इंसान का या इंसान के अलावा किसी और का बाल लगवाना	103
वेश-भूषा, बात-चीत तथा चाल-चलन में नारी-पुरुष का एक दूसरे की मुशाबहत (अनुरूपता) अख़्तियार करना	104
बालों को काले रंग से रंगना	106
कपड़े, दीवार तथा कागज़ इत्यादि में प्राणी (ज़ी रूह) की तस्वीर उतारना	107
गढ़ करके झूटे ख़्वाब (सपना) बयान करना	109
क़ब्रों पर बैठना, उनको रौंदना तथा क़ब्रिस्तान में पेशाब-पाख़ाना करना	110
पेशाब से न बचना	112
चोरी-छिपे किसी की बात सुनना जबकि वह इसे नापसंद करता हो (जासूसी करना)	113
पड़ोसीयों के साथ बद सुलूकी (कुआचरण) करना	114
वसीयत में हक्द्वार का हक़ मारकर या घटाकर उसे नुक़सान पहुँचाना	116
नर्द (चौसर) का खेल	117
मोमिन तथा उस व्यक्ति को शाप (लानत) करना जो इसका मुस्तहिक़ न हो	118
नौहा करना (मैयत पर रोना पीटना)	119
चेहरे पर मारना और दाग़ लगाना	120
किसी शर्इ उन्न के बिना तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से बात न करना (संबंध न रखना)	121
परिसमाप्ति (खातिमा)	124



भूमिका

प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए है। हम उसकी तअरीफ़ करते हैं, उस से मदद तालब करते हैं, उस से माफी चाहते हैं और अपने नफ़सों (आत्माओं) की बुराईयों से तथा अपने करतूतों के अनिष्टों से उसकी पनाह माँगते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और वह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मा'बूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसके बंदे तथा रसूल हैं।

अम्मा बा'द (तत्पश्चात):

अल्लाह तआला ने जिन चीज़ों को फ़र्ज किया है उनको बर्बाद करना जायज़ नहीं है, जो सीमाएं निर्धारण (हदें मुकर्रर) कर दी है उनका उल्लंघन (तजाउज़) करना हराम है, और जिन चीज़ों को हराम किया है उनमें पतित होना नाजायज़ है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالِلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مریم: ٦٤]». [رواه الحاكم: ٢/٢٧٥، وحسنه الألباني في غاية المرام: ١٤].

«अल्लाह ने अपनी किताब में जो हलाल किया वह हलाल है, तथा जो हराम किया वह हराम है, और जिस से ख़ामोशी अख़्तियार किया वह कल्याण (आफ़ियत) है। अतः तुम अल्लाह की ओर से कल्याण को क़बूल करो, बेशक अल्लाह तआला भूलने वाला नहीं है, फिर आप ﷺ ने यह आयत पढ़ी जिसका अर्थ: “और तेरा रब भूलने वाला नहीं है।”» {सूरह मरयम: ६४} {इस हदीस को हाकिम ने रिवायत किया है: २/३७५, और अल्बानी ने ग़ायतुल मराम पृष्ठ १४ में इसे हसन कहा है।}

मुहर्रमात (हराम की गई चीज़ें) अल्लाह तआला की सीमाएं हैं:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [البقرة: १८७]

“यह अल्लाह की सीमाएं हैं, तुम इनके करीब भी न जाओ।” {अल्बकरा: १८७}

अल्लाह तआला ने सीमा उल्लंघन करने वालों को धमकी देते हुए फ़रमाया:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا كَالْحَلْدَاءِ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

﴿مُهِينٌ﴾ [النساء: १६]

“और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा (नाफ़रमानी) करे और उसके (निर्धारित) सीमाओं का उल्लंघन करे उसे वह आग (नरक) में दाख़िल करेगा, जिस में वह हमेशा हमेशा (सदा सर्वदा) रहेगा, और उसके लिए है अपमानजनक शास्ति (रुसवाक़ुन अज़ाब)।” {अन्निसा: १४}

हराम चीज़ों से दूर रहना तथा उनसे परहेज़ करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». [رواه مسلم: كتاب الفضائل، حديث رقم: १३००، ط. عبد الباقي].

«मैं ने तुम्हें जिन चीज़ों से रोका उन से रुक जाओ, और जिनके करने का हुक्म दिया वह साध्य अनुसार करो।» {इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल फ़ज़ाइल में रिवायत किया है, हदीस नम्बर: १३०}

लक्षित (देखा जाता) है कि कुछ ख़ाहिश की पैरवी करने वाले, कम्ज़ोर नफ़्स वाले तथा कम ज्ञान रखने वाले लोग जब हराम वस्तुओं के बारे में बार बार सुनते हैं, तो तंगी महसूस करते हैं और गुस्से से कहते हैं: हर चीज़ हराम है? तुम ने सारी चीज़ों को हराम कर दिया, हमारी ज़िन्दगी अजीरन बना दिया, जीवनयात्रा को दूभर कर दिया और हमारे दिलों को तंग कर दिया। “हराम! हराम!” इसके सिवाय तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, हालाँकि दीन आसान है, विषय प्रशस्त (वसीअ) है, और अल्लाह तआला माफ़ करने वाला तथा रहम करने वाला है।

हम उनकी इन बातों का जवाब देते हुए कहेंगे:

बेशक अल्लाह तआला जो चाहे आदेश करता है, उसके आदेश पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, वह हिक्मत वाला है और हर चीज़ की ख़बर रखने वाला है। वह जो चाहे हलाल करता है और जो चाहे हराम करता है। हमारी बंदगी का तकाज़ा है कि हम अल्लाह के हुक्म से संतुष्ट रहें और उसको मान लें।

अल्लाह के आदेश ज्ञान तथा हिक्मत पर प्रतिष्ठित हैं, बेकार तथा खेल-तमाशा नहीं हैं। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ११०]

“आपके रब के कलाम सच्चाई तथा इन्साफ में पूर्ण हो गये, उसके कलाम को कोई परिवर्तन करने वाला नहीं, और वह भली-भाँति सुनने वाला जानने वाला है।” {अल्अन्आम: ११५}

अल्लाह तआला ने हमारे लिए ऐसा नियम-नीति भी बयान कर दिया है जिस पर हलाल तथा हराम निर्भरित (का दारो मदार) है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ [الأعراف: १०७]

“वह उनके लिए पवित्र वस्तुओं को हलाल करता है तथा उन पर गंदी चीज़ों को हराम करता है।” {अल्आ‘राफ़: १५७}

अतः पाक चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम हैं। किसी चीज़ को हलाल तथा हराम करने का अधिकार केवल अल्लाह को है। अतः अगर किसी ने अपने लिए इस अधिकार का दावा किया अथवा दूसरे के लिए इसका इक़्रार किया तो वह काफ़िर होगा और दीने इस्लाम से निकल जाएगा। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: २१]

“क्या उनके ऐसे साझीदार (देवता) हैं जिन्होंने उनके लिए वह धर्म मुक़रर किया है जिसकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है।” {अश्शूरा: २१}

इसके अतिरिक्त (यह बात भी है कि) हलाल व हराम में किताब व सुन्नत के

जानकार (उलमा) के सिवाय किसी का जुबान खोलना जायज़ नहीं है। बगैर इल्म के हलाल तथा हराम करार देने वालों के लिए सख्त धमकी आई है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْسِنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾

[النحل: 116]

“किसी चीज़ को अपनी जुबान से झूट-मूट न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है कि अल्लाह पर झूट बहतान बाँध लो।” {अन्नहल: 99६}

जो चीज़ें निश्चित रूप से हराम हैं उनका उल्लेख तो कुरआन व हदीस में मौजूद है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 1०1]

“आप कहिये कि आओ मैं तुम को वह चीज़ें पढ़कर सुनाऊँ जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया है, वह यह कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो, और पिता-माता के साथ इहसान करो, और अपनी संतान को इफ़्लास (दरिद्रता) के कारण हत्या न करो।” {अल्अनआम: 9५9}

अनुरूप हदीस में भी बहुत सारी हराम चीज़ों का उल्लेख किया गया है। जैसे नबी ﷺ का फ़रमान:

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». [رواه أبو داود: 2486، وهو في صحيح

أبي داود: 977، متفق على صحته (ز)].

«अल्लाह तआला ने शराब (दारू), मुर्दार, सूअर तथा मूर्तियों के बेचने को हराम करार दिया।» {अबू दाऊद, हदीस नम्बर ३४८६, सहीह अबू दाऊद, नम्बर ६७७, इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: इस हदीस के सहीह होने पर इत्तिफ़ाक है}

और नबी ﷺ का फ़रमान:

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ». [رواه الدارقطني: 7/3، وهو حديث صحيح].

«जब अल्लाह तआला किसी चीज़ को हराम करता है तो उसकी मूल्य को भी हराम करता है।» {दाराकुतनी ३/७, और यह हदीस सहीह है}

कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं जिन में विभिन्न प्रकार के ख़ास ख़ास हराम चीज़ों का उल्लेख है। जैसे कि खाई जाने वाली चीज़ों के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَنْخِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمَرْدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْنَفَيْمُوا
بِالْأَزْلَمِ﴾ [المائدة: ३]

“तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो और जो गला घुटने से मरा हो और जो किसी चोट से मरा हो और जो ऊँची जगह से गिरकर मरा हो और जो किसी के सीध मारने से मरा हो और जिसे दरिदों (हिंस्र जन्तुओं) ने फाड़कर खाया हो, लेकिन उसे तुम ज़बह कर डालो तो हराम नहीं, और जो थानों पर ज़बह किया गया हो और यह भी कि पाँसे द्वारा भाग्य मालुम करो।” {अल्माइदा: ३}

और अल्लाह तआला ने शादी-ब्याह में मुहरमात (हराम की गई औरतों) का उल्लेख करते हुए फ़रमाया:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ النَّسَبِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: २३]

“हराम की गई तुम पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी ख़ालाएँ और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वह माँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास।” {अन्निसा: २३}

इसी तरह अल्लाह तआला ने कमाइयों (उपार्जनों) के बारे में हराम चीज़ों का उल्लेख करते हुए फ़रमाया:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: २७०]

“अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया तथा सूद को हराम किया।” {अल्बकरा: २७५}

बेशक अपने बंदों पर दयावान अल्लाह ने अत्यधिक (बहुत ज़्यादा) तथा विभिन्न प्रकार की पवित्र चीज़ों को हलाल किया है जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि मुबाह अर्थात जायज़ चीज़ों की तफ़सील नहीं बताई, क्योंकि वह बहुत तथा बेशुमार हैं। अलबत्ता हराम चीज़ों की तफ़सील बता दी है, क्योंकि वह सीमित हैं, ताकि हम उन्हें जानकर उन से बचे रहें। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ११९]

“अल्लाह ने उन सब जानवरों की तफ़सील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया है, मगर वह भी जब तुम को सख़्त ज़रूरत पड़े तो हलाल है।” {अल्अन्आम: ११६}

लेकिन हलाल चीज़ों को -अगर वह पाक हैं- तो सार्विक रूप से उन्हें जायज़ करार दिया है। जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: १६८]

“लोगो! ज़मीन पर जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ पियो।” {अल्बकरा: १६८}

अतः यह उसकी रहमत है कि उसने बुनयादी तौर पर चीज़ों को हलाल ठहराया है, जब तक कि उसके हराम होने पर कोई दलील न हो। और यह उसका अपने बंदों पर करम तथा उदारता है। इस लिए हमें उसकी फर्माबरदारी तथा उसका शुक्र अदा करना चाहिए।

कुछ लोग जब उनके सामने हराम चीज़ों का परिसंख्यान (गिनती) तथा विवरण पेश किया जाता है तो उनके दिल शरई अहकाम (विधि-विधान) से कुढ़ (तंग हो) जाते हैं। यह उनके ईमान की कम्ज़ोरी तथा शरीअत के बारे में उनके कम अनुधावन (समझ) की दलील है। क्या यह लोग चाहते हैं कि उनके सामने

हलाल चीजों की किस्मों को एक एक करके बयान किया जाए, ताकि वह तुष्ट हो जाएं कि दीन हकीकत में आसान है? क्या यह लोग चाहते हैं कि पाकीज़ा चीजों की लिस्ट उनके सामने पेश की जाये, ताकि वह निश्चिंत हो जायें कि शरीअत उनकी मज़ा की जिंदगी में कोई तल्खी नहीं घोलती।

क्या वह चाहते हैं कि उन से कहा जाये कि ज़बह किया गया ऊँट, गाय, भेड़, ख़रगोश, हिरन, पहाड़ी बकरा, मुर्ग, कबूतर, बत्तख़, हंस, शुतुरमुर्ग़ इत्यादि का गोशत और मरी हुई टिड्डी तथा मछली हलाल है?

और यह कि सबज़ियाँ, तरकारियाँ, सारे ग़ल्ले और उपकारी फल-फ़ूट हलाल हैं?

और यह कि पानी, दूध, शहद, तेल तथा सिरका हलाल है?

और यह कि नमक एवं मसाले (जैसे लौंग, मिर्च, जीरा, तेजपत्ता आदी) हलाल हैं?

और यह कि लकड़ी, लोहा, बालू, कंकरी, प्लास्टिक, काँच तथा रबर का प्रयोग हलाल है?

और यह कि चौपायों, गाड़ियों, ट्रेनों, पानी जहाज़ों तथा हवाई जहाज़ों पर सवार होना हलाल है?

और यह कि एयर कन्डीशन, फ़्रीज, वाशिंग मशीन, ड्राई मशीन, चक्की, आटा गोंधने वाली मशीन, कूटने वाली मशीन, जूस मशीन और डाक्टरी, इंजीनियरिंग, हिसाब, फ़लक (कक्ष) संबंधी विषयों के ज्ञान हासिल करने, तामीर के सारे आलात और पानी, पेट्रोल, धात (खनीज पदार्थ) निकालने तथा परिशोधन करने वाली मशीन और प्रिन्टिंग प्रेस एवं कम्प्यूटर आदि हलाल है?

और यह कि रुई, कॉटन, ऊन, पशम, जायज़ चमड़ा, नाइलोन और पॉलिस्टर इत्यादि का लिबास हलाल है?

और यह कि शादी-ब्याह, ख़रीद व फ़रोख़्त (क्रय विक्रय), किसी के देख-भाल की जिम्मेदारी, कर्ज़ अदा करने की जिम्मेदारी किसी पर सौंपना, किराया देना, और बढ़ई, लोहार, मशीनों की मरम्मत तथा बकरी चराने आदि का पेशा हलाल है?

आप ही ज़रा सा सोचें कि अगर इसी तरह हम गिनाते जायें तो आखिर कहाँ पहुँच कर रुकेंगे? लोगों को क्या हो गया, वे समझते क्यों नहीं?

और उनका दलील के तौर पर यह पेश करना कि 'दीन तो आसान है' तो यह बात सही है लेकिन इसका बातिल मतलब लिया गया है। क्योंकि दीन में आसानी लोगों की ख़ाहिशत और ख़्याल-ख़ुशी अनुसार नहीं है, बल्कि शरीअत अनुसार है। 'दीन आसान है' -और वह निःसंदेह आसान है- का बहाना बना कर हराम काम करने और शरीअत की लाई हुई रुख़सतों (छूटों) पर अमल करने के दरमियान बड़ा अंतर है। शरीअत की रुख़सतें जैसे: सफ़र में दो नमाज़ का जमा करके (इकट्ठी) तथा चार रकअत वाली नमाज़ों को दो दो रकअत पढ़ना, और रोज़ा छोड़ना, मुक़ीम का एक दिन एक रात और मुसाफ़िर का तीन दिन तीन रात मोज़ों पर मसह करना, पानी के इस्तेमाल से ख़तरे का अंदेशा होने पर तयम्मूम करना, बारिश या बीमारी की वजह से दो नमाज़ों को मिला कर पढ़ना, शादी की ख़ातिर पैग़ाम देने वाले के लिए अज़नबी औरत (मँगेतर) को देखना, क़सम का कफ़ारा अदा करने के लिए गुलाम आज़ाद करने, कपड़े पहनाने तथा खाना खिलाने में अख़्तियार देना और मजूबूरी में हराम चीज़ों का खाना प्रभृति। इसके अलावा मुसलमानों को जानना चाहिए कि हराम चीज़ों को हराम करने में बहुत सारी हिक़मतें हैं, जैसे: अल्लाह तअ़ाला अपने बंदों को इन मुहर्रमात (हराम की हुई चीज़ों) के ज़रीया आज़माता है ताकि देखे कि वे कैसे अमल करते हैं। और इस से जन्नती तथा जहन्नमी के दरमियान अंतर सूचित होता है, क्योंकि जहन्नमी लोग ऐसी शहवतों में डूबे होते हैं जिन से जहन्नम घिरी हुई है। और जन्नती लोग ऐसी नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करते हैं जिन से जन्नत घिरी हुई है। अगर यह आजमाइश न होती तो फ़रमाबर्दार और नाफ़रमान के दरमियान अंतर न रह जाता। ईमानदार लोग शरीअत के हुक्म-अहक़ाम की मशक्क़त को अज़्र व सवाब की निगाह से देखते हैं और अल्लाह की रिज़ामंदी हासिल करने के लिए उसके आदेश को बजा लाते हैं, इस लिए उन पर मशक्क़त आसान हो

जाती है। और मुनाफ़िक लोग शरीअत के हुक्म-अहकाम की मशक्कत को दुख, परेशानी और महरूमि की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से अमल करना उन पर कठिन हो जाता है और फ़रमाबर्दारी मुश्किल हो जाती है।

फ़रमाबर्दार लोग हराम चीज़ों को छोड़ते हुए उस चीज़ की मिठास अनुभव करते हैं कि जो अल्लाह के वास्ते कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह तआला उसे इस से बेहतर प्रदान करता है, और वह अपने दिल में ईमान की लज़ज़त पाता है।

पाठक महोदय (कारेईने किराम) इस पुस्तिका में चंद ऐसे हराम विषयों का मुशाहदा करेंगे जिनका हराम होना किताब व सुन्नत की दलीलों से प्रमाणित है।⁽¹⁾ यह वह हराम विषय हैं जो मुसलमानों में आ़ाम हो चुके हैं। इनके उल्लेख से मेरा मक्सद वज़ाहत व नसीहत (स्पष्टिकरण तथा सदुपदेश) है। मैं अपने लिए और मुसलमान भाईओं के लिए अल्लाह तआला से हिदायत, तौफ़ीक़ और उसके हुदूद (सीमारेखा) पर रुक जाने का तलबगार हूँ। वह हमें हराम विषयों तथा बुराइयों से बचाये। वही सब से बेहतर हिफ़ाज़त करने वाला और रहम करने वालों में सब से ज़्यादा रहम करने वाला है।⁽²⁾



-
- 1 हराम चीज़ों या उसके चंद प्रकारों (जैसे कबायेर) से मुतअल्लिक़ कुछ उलमा ने किताबें लिखी हैं। मुहरमात (हराम चीज़ों) के सिलसिले में अच्छी किताबों में से एक किताब 'तम्बीहुल गाफ़िलीन अन् आ'मालिल् जाहिलीन' है, जिसके लेखक इब्नुनुहास अहिमशकी हैं।
 - 2 चंद उलमाये किराम -अल्लाह तआला उनके अज़्र व सवाब को ज़्यादा करे- ने इस पुस्तिका का सम्पादना किया है जिन में सरे फ़िहरिस्त अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहेमहुल्लाह हैं। उनके टीकाओं को मैं ने ब्राकेट में अक्षर (ज़) द्वारा स्पष्ट किया है।





अल्लाह के साथ शिर्क करना

हराम चीजों में सब से बड़ा हराम यही है। क्योंकि अबू बक्रूरा رضي الله عنه से वर्णित (मरूवी) हदीस में रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«أَلَا أُتَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» (ثَلَاثًا) قَالُوا: قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» [متفق عليه، البخاري رقم (٢٥١١)].

«क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सब से बड़े गुनाह के बारे में न बता दूँ?» (आप ﷺ ने यह बात तीन बार दोहराई) सहाबए किराम ने कहा: हम ने कहा: क्यों नहीं, आप ज़रूर फ़रमायें ऐ अल्लाह के रसूल! आप ﷺ ने फ़रमाया: «अल्लाह के साथ शिर्क करना» [बुखारी व मुस्लिम, बुखारी हदीस नम्बर: २५११]

शिर्क के अलावा हर पाप अल्लाह तआला क्षमा कर सकता है, क्योंकि इसके लिए विशिष्ट (मख़सूस) तौबा ज़रूरी है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ४८]

“निःसंदेह अल्लाह तआला अपने साथ शरीक किये जाने को क्षमा नहीं करता, इसके अलावा जिसे चाहे क्षमा कर देता है।” {अन्सिा: ४८}

शिर्क अगर बड़ा (शिर्के अक्बर) हो तो उसके करने वाले को इस्लाम धर्म से निकाल देता है, और अगर उसी पर उसकी मौत हो गई तो वह हमेशा के लिए जहन्नमी है।

बहुत से मुस्लिम मुल्कों में यह शिर्के अक्बर फैला हुआ है, इसके चंद नमूने पेश किये जा रहे हैं:

कब्रों की पूजा:

मरे हुए औलिया के बारे में यह अक्कीदा रखना कि वे ज़रूरतें पूरी तथा

परेशानियाँ दूर कर सकते हैं, और उन से मदद तथा फ़रयाद तलब करना। हालाँकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: २३]

“और तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया कि तुम लोग उसके अलावा किसी की इबादत न करो।” {अल्इस्रा: २३}

इसी तरह अम्बिया अथवा नेक लोग वगैरा जिनकी वफ़ात हो चुकी है उन्हें सिफ़ारिश के लिए या कठिनाइयाँ दूर करने के लिए पुकारना। हालाँकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خَلْفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَمْ لَهُ ۙ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ६२]

“बेकस की पुकार को जबकि वह पुकारे कौन कबूल करके कठिनाई को दूर कर देता है? और तुम्हें ज़मीन का ख़लीफ़ा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ और माबूद है?” {अन्नम्ल: ६२}

कुछ लोग उठते बैठते चलते फिरते पीर या वली का नाम जपना अपनी आदत बना लेते हैं। जब भी किसी संकट, मुसीबत या परेशानी में पड़ते हैं तो कोई ‘ऐ मुहम्मद!’ कहकर पुकारता है, कोई ‘ऐ अली!’ कहकर, कोई ‘ऐ हुसैन!’ कहकर, कोई ‘ऐ बदवी!’ कहकर, कोई ‘ऐ जीलानी!’ कहकर, कोई ‘ऐ ग़ौस!’ कहकर, कोई ‘ऐ शाज़ली!’ कहकर, कोई ‘ऐ रिफ़ाई!’ कहकर, कोई ‘ऐ अल्इद्रोस!’ कहकर, कोई ‘ऐ सय्येदा ज़ैनब!’ कहकर और कोई ‘ऐ इब्ने अल्वान!’ प्रभृति कहकर। हालाँकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ﴾ [الأعراف: १९६]

“निश्चय तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वह भी तुम ही जैसे बंदे हैं।” {अल्आ'राफ़: १९६}

कुछ क़ब्रों के पुजारी क़ब्रों का तवाफ़ करते हैं, उनके गोशों को स्पर्श करते हैं,

उन पर हाथ फेरते हैं, उनकी चौखटों को चूमते हैं, वहाँ की मिट्टी में अपने चेहरों को रगड़ते हैं, उनको देखते ही उनका सज्दा करते हैं, उनके सामने बिल्कुल अज़िज़ी, इंकिसारी, ख़ाकसारी तथा नम्रता के साथ खड़े होकर अपनी हाजतों और ज़रूरतों -जैसे बीमारी की शिफ़ा, औलाद की प्राप्ति तथा मुश्किल आसान करने- का मुतालबा करते हैं। और कभी कभी क़ब्र का पुजारी यह कहकर पुकारता है कि ऐ मेरे आका! मैं आपके पास दूर दराज़ से आया हूँ, आप मुझे महरूम न करें। हालाँकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دَعْوَاهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]

“और उस से बढ़कर गुमराह और कौन होगा? जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़ियामत तक उसकी दुआ क़बूल न कर सकें बल्कि वे उनके पुकारने से बिल्कुल बेख़बर हों।” {अल्अहक़ाफ़: ५}

और नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نَدَا دَخَلَ النَّارَ» [رواه البخاري، الفتح (١٧٦/٨)].

«जिसकी मौत इस हालत में हुई कि वह अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता रहा हो तो वह दोज़ख़ में जायेगा।» {बुख़ारी, देखिए फ़तहूल् बारी: ८/१७६}

और उन में से कुछ लोग क़ब्रों के पास अपने सरों को मुंडाते हैं। और उन में से कुछ लोगों के पास ‘मज़ारों का हज्ज करने के नियम-नीति (तरीक़े)’ जैसे उनवान (विषय) की किताबें होती हैं। और कुछ लोग यह अक़ीदा रखते हैं कि औलिया कायेनात में तसरुफ़ कर सकते हैं (यानी जग में कल्याण अकल्याण करने की क्षमता रखते हैं) और वे नफ़ा तथा नुक़सान (लाभ तथा हानि) पहुँचा सकते हैं। हालाँकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾

“और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुँचाये तो उसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुमको कोई भलाई पहुँचाना चाहे तो उसकी कृपा को कोई हटाने वाला नहीं।” [यूनूस: १०७]

इसी तरह गैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा दूसरों) के लिए मिन्नत मानना भी शिर्क है, जैसाकि मिन्नत मानने वाले लोग कब्र वासियों (वालों) के लिए रोशनियों तथा चिरागों का चढ़ावा चढ़ाते हैं।

❁ गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना:

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَبْ﴾ [الكوثر: २]

“पस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए।” [अल्कौसर: २]

यानी अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़िए और अल्लाह के नाम पर ज़बह कीजिए। और रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» [رواه مسلم: १९७८].

«उस व्यक्ति पर अल्लाह की लानत हो जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे।» [मुस्लिम: १९७८] कभी कभी ज़बीहा (ज़बह किये गये जानवर) में दो हराम चीज़ें जमा हो जाती हैं: एक गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना और दूसरा गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना। और यह दोनों चीज़ें उसके खाने को हराम कर देती हैं। जाहिलियत के ज़बीहों में से जो हमारे इस ज़माने में आ़ाम तथा मुंतशिर है वह ‘जिन्नात के लिए ज़बह करना’ यानी घर द्वार ख़रीदते या बनाते समय अथवा कुँआ खोदते समय उसके पास या उसके चौखट पर जिन्नात की तकलीफ़ के डर से ज़बह करते हैं। [तेसीरुल अज़ीज़िल हमीद: १५८]

शिर्क अक्बर की अज़ीम तथा आ़ाम मिसालों में से अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल करना अथवा अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम करना है, या यह अ़कीदा रखना कि इसका अधिकार अल्लाह के अलावा किसी और

को भी है, अथवा रिज़ामंद होकर, अपनी खुशी से तथा हलाल व जायज़ समझते हुए फ़ैसला करवाने के लिए जाहिली क़ानून (मानव रचित आईन) तथा अदालतों का सहारा लेना। अल्लाह तआला ने इसे बड़ा कुफ़्र गरदानते हुए इर्शाद फ़रमाया:

﴿ اٰتٰكُذُوۡا اٰحْبٰرَهُمْ وَرُهْبٰنَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوۡنِ اللّٰهِ ﴾ [التوبة: २१]

“उन्हों (यहूद और नसारा) ने अल्लाह को छोड़ कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया है।” {अल्तौबा: ३१} अदी बिन हातिम رضي الله عنه ने जब नबी ﷺ को यह आयत तिलावत फ़रमाते हुए सुना तो कहा: वह लोग तो उनकी इबादत नहीं करते। आप ﷺ ने फ़रमाया: «हाँ, लेकिन वे अल्लाह ने जिसे हराम किया उसे हलाल कहते तो यह लोग भी उसे हलाल समझने लगते, और अल्लाह ने जिसे हलाल किया वे उसे हराम कहते तो यह लोग भी उसे हराम समझने लगते, यही तो है उनकी इबादत।» {बैहकी अस्सुनुल कुब्रा (१०/११६), तिरमिज़ी (३०६५), अलबानी रहिमहुल्लाह ने ग़ायतुल मराम (पृष्ठ १६) में इसे हसन करार दिया है}

और अल्लाह तआला ने मुशरिकों की हालत बयान करते हुए फ़रमाया:

﴿ وَلَا يَحْرُمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهُۥٓ وَلَا يَدِيۡنُوۡنَ دِيۡنَ الْحَقِّ ﴾ [التوبة: २९]

“वे अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ को हराम नहीं जानते और न दीने हक़ (सत्य धर्म) को क़बूल करते हैं।” {अल्तौबा: २६}

और अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿ قُلْ اَرۡءَیۡتُمْ مَّا اَنۡزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنۡ رِّزۡقٍ فَجَعَلْتُمۡنَهٗ حَرٰمًا وَّحَلٰلًا قُلْ ءاللّٰهُ اَذۡنٰبُكُمْ اَمۡ عَلٰی اللّٰهِ تَفۡتَرُوۡنَ ﴾ [يونس: ०९]

“आप कहिए कि यह तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़क़ भेजा था फिर तुम ने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हिस्सा हलाल करार दे लिया। आप पूछिये कि क्या तुमको अल्लाह ने इसका हुक्म दिया था या तुम अल्लाह पर बुहतान आरोप करते हो?” {यूनस: ५६}

❁ शिर्क की फैली हुई किस्मों में जादू, कहानत और भविष्य वाणी (गणना, इल्मे नुजूम, ज्योतिष) है:

जादू कुफ़्र है और सात हलाक करने वाले बड़े गुनाहों में से एक है। वह नुक़सान पहुँचाता है फ़ायदा नहीं। अल्लाह तआला ने उसके सीखने के बारे में इर्शाद फ़रमाया:

﴿وَيَعْلَمُونَ مَا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: १०२]

“और वे ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो उन्हें नुक़सान पहुँचाती हैं नफ़ा नहीं।”

{अलबकरा: १०२}

दूसरी जगह इर्शाद फ़रमाया:

﴿وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ६९]

“और जादूगर कहीं से भी आये कामयाब नहीं होता” {ताहः ६६}

और जादू सीखने सिखाने वाला काफ़िर है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هٰرُوتَ وَمُرُوتَ ۗ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنۢ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: १०२]

“सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने तो कुफ़्र न किया था, बल्कि यह कुफ़्र शैतानों का था, वह लोगों को जादू सिखाया करते थे। और बाबिल में हासूत और मासूत दो फ़रिश्तों पर जो उतारा गया था, वह दोनों भी किसी शख्स को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह देते कि हम तो एक आजमाइश (परीक्षा) हैं, पस तू कुफ़्र न कर।” {अलबकरा: १०२}

जादूगर के बारे में (शरई) हुक़म है उसे हत्या करना। उसकी कमाई हराम तथा ख़बीस है। जाहिल, ज़ालिम और कम्ज़ोर ईमान के लोग दूसरों पर अन्याय करने या उन से इंतिकाम (प्रतिशोध) लेने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं। और कुछ लोग जादू ख़त्म कराने (छुड़ाने) के लिए जादूगरों की पनाह लेकर (शरणापन्न

होकर) यह हराम काम कर बैठते हैं। हालाँकि उन पर ज़रूरी है कि अल्लाह की पनाह लें और उसके कलाम -जैसे मुअव्वज़ात आदि- से शिफ़ा तलब करें। नुजूमी और गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले (गणक और ज्योतिषी) अगर ग़ैब (परोक्ष) का दावा करें तो दोनों के दोनों काफ़िर हैं। क्योंकि ग़ैब का इल्म (परोक्ष का ज्ञान) सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। इन में से बहुत से लोग सीधे-सादे लोगों का माल भक्षण करने (खाने) के लिए धांदली करते हैं और विभिन्न प्रकार के माध्यम (मुख्तलिफ़ किस्म के वसायेल) -जैसे रेत में लकीरें खींचना, कोड़ी चलाना, हथेली की लकीरें देखकर तथा पियाला या शीशा और आयना का गेंद पढ़कर भविष्य वाणी करना (मुस्तक़बिल की ख़बरें बताना) इत्यादि। यह लोग अगर एक सच कहें तो निन्नानवे झूट कहते हैं। लेकिन बेवकूफ़ लोग झूटों की एक सच को मान कर (और ६६ झूटों को भूल कर) मुस्तक़बिल (भविष्य), शादी या तिजारत में खुश नसीबी और बद नसीबी और गुमशुदा चीज़ों की जानकारी के लिए उनके पास जाते हैं।

जो शख्स उनके पास जाता है और उनकी बातों की तस्दीक़ (पुष्टि) करता है तो वह काफ़िर तथा मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमान:

«مَنْ آتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». [رواه الإمام

أحمد: ६२९/२. وهو في صحيح الجامع: ५९२९].

«जो शख्स किसी नुजूमी या ज्योतिषी (गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले) के पास आये और उसकी तस्दीक़ करे तो उसने मुहम्मद ﷺ पर उतारी गई शरीअत का कुफ़्र किया।» {मुस्नद अहमद: २/४२६, सहीहुल जामेअ: ५६३६}

परंतु जो शख्स उनके पास तजुरबा (परीक्षा) वगैरा के लिए जाता है और इस बात की तस्दीक़ नहीं करता है कि वे ग़ैब जानते हैं तो वह काफ़िर नहीं है, लेकिन उसकी चालीस दिन की नमाज़ें क़बूल नहीं हूँगी। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमान:

«مَنْ أَتَى عَرَاظًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». [رواه مسلم: ٤/١٧٥١].

«जो शख्स किसी गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले के पास आये और उससे किसी चीज़ के बारे में पूछे तो उसकी चालीस दिन की नमाज़ क़बूल नहीं होती»

{मुस्लिम: ४/१७५१}

इसके साथ साथ उस पर नमाज़ की क़ज़ा वाजिब और तौबा ज़रूरी है।

सितारों तथा ग्रहों (सय्यारों) का हवादिस और लोगों की ज़िंदगी में असर अंदाज़ होने (प्रभाव विस्तार करने) का अक़ीदा रखना:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ - عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَمَا مِنْ قَالَ: مُطْرِنًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٢/٣٢٢].

ज़ैद बिन ख़ालिद अलजुहनी رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रात में बारिश होने के बाद रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें लेकर फ़ज्र की नमाज़ अदा की। सलाम फेरने के बाद लोगों की ओर रुख करके फ़रमाया: «क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्या कहा?» लोगों ने कहा: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: «मेरे बंदों में से कुछ ने मुझ पर ईमान लाने वाले और कुछ ने कुफ़्र करने वाले बनकर सुबह की। पस जिस ने कहा कि अल्लाह की कृपा व रहमत से हम पर बारिश हुई तो वह मुझ पर ईमान लाने वाला और सितारों का कुफ़्र करने वाला है। और जिस ने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ सितारों के कारण हम पर बीरश हुई तो वह मेरा कुफ़्र करने वाला और सितारों पर ईमान लाने वाला ठहरा» [बुख़ारी, देखें फ़तह्ल बारी: २/३३३] मेगज़ीनों तथा अख़बारों में बताये गए भाग्यराशि (राशिचक्र) का आश्रय लेना भी इसी के अंतर्गत है। पस अगर अक़ीदा रखे कि उन में फ़लकों (कक्षों) और सितारों का असर (प्रभाव) है तो वह मुशरिक होगा। और अगर मनोरंजन (दिल बहलाने) के लिए पढ़े तो

वह नाफरमान पापी होगा। क्योंकि शिर्किया चीजें पढ़कर मनोरंजन करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि शैतान उसके दिल में इसका विश्वास डाल दे जो शिर्क का वसीला (माध्यम) बन जाए।

❁ जिन चीजों में अल्लाह ने नफ़ा नहीं रखा है उन में नफ़ा का अक़ीदा रखना शिर्किया काम है:

जैसे कि कुछ लोग काहिन (गणक) या जादूगर के इशारा को बुनियाद बना कर अथवा बाप दादा के परम्परा की भित्ति पर तावीज़-गंडे, शिर्किया कर्मों, सीपियों, घुंगों अथवा लोहे के कड़ों इत्यादि में नफ़ा का अक़ीदा रखते हैं। लिहाज़ा वे नज़र से बचने के लिए उन्हें अपने या अपने बच्चों के गले में लटकाते हैं, अपने शरीरों पर बाँधते हैं, अपनी गाड़ियों में और अपने घरों में टांगते हैं, अथवा तरह तरह के नगीने वाली अंगूठियाँ पहनते हैं, और अक़ीदा रखते हैं कि यह बलाओं को दूर करते या टालते हैं। हालाँकि यह अक़ीदा निःसंदेह अल्लाह पर तवक्कुल (आस्था) के खिलाफ़ है। इस से इंसान की कम्ज़ोरी ही बढ़ती है। यह हराम के ज़रीया इलाज करना है। और यह तावीज़-गंडे जो लटकाये जाते हैं उन में के बहुतों में स्पष्ट शिर्क होता है तथा कुछ जिन्नात और शैतानों से मदद मांगी जाती है, अस्पष्ट नक्शे होते हैं या न समझी जाने वाली बातें लिखी हुई होती हैं। कुछ भेलकीबाज़ (मदारी) कुरआन की आयतें लिखते हैं और उन्हें दुसरी शिर्किया चीजों के साथ मिला देते हैं। और कुछ भेलकीबाज़ कुरआन की आयतें गंदगी या हैज़ के खून से लिखते हैं। मज़कूरा (उल्लिखित) सारी चीजें लटकाना या बाँधना हराम है। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ عَلِقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». [رواه أحمد: ١٥٦/٤، وهو في السلسلة الصحيحة رقم: ٤٩٢].

«जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया» {मुस्नद अहमद ४/१५६, सिलसिला सहीहा: ४६२}

इसका करने वाला अगर अक़ीदा रखे कि यह चीजें अल्लाह के बग़ैर नफ़ा या नुक्सान पहुँचाती हैं तो बड़ा शिर्क करने वाला होगा। और अगर अक़ीदा रखे कि

यह चीजें नफ़ा या नुक़सान के माध्यम हैं तो वह छोटा शिर्क करने वाला होगा तथा यह माध्यम के शिर्क में दाख़िल होगा, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें माध्यम नहीं बनाया।

❁ इबादत में रिया (दिखावा):

नेक अ़मल की शर्तों में से है कि वह रिया से रिक्त व मुक्त हो तथा सुन्नत के मुताबिक़ हो। जो शख़्स इस ग़र्ज़ से इबादत करे कि लोग उसे देखें तो वह छोटा शिर्क करने वाला होगा और उसका अ़मल बरबाद हो जायेगा, जैसे वह व्यक्ति जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़े। अल्लाह तअ़ला ने फ़रमाया:

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: १४२]

“बेशक मुनाफ़िक़ लोग अल्लाह से चालबाज़ियाँ कर रहे हैं और वह उन्हें इस चालबाज़ी का बदला देने वाला है, और जब वे नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी काहिली की हालत में खड़े होते हैं सिर्फ़ लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह की याद तो यूँ ही नाम के वास्ते करते हैं।” {अन्सिा: १४२}

इसी तरह अगर इस ग़र्ज़ से अ़मल करे कि उसकी ख़बर फैल जाये और लोग आपस में उसका चर्चा करे तो वह शिर्क में पड़ जायेगा। और जो ऐसा करेगा उसके बारे में सख़्त धमकी आई है। जैसाकि इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस में है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَأَىٰ رَأَىٰ اللَّهُ بِهِ» [رواه مسلم: २२८९/४]

«जो शख़्स लोगों को सुनाने के लिए नेक काम करेगा अल्लाह तअ़ला भी (क़ियामत के दिन उसकी ज़िल्लत लोगों को) सुना देगा, और जो शख़्स दिखावे के लिए अ़मल करेगा अल्लाह तअ़ला भी उसको दिखला देगा।» {मुस्लिम: ४/२२८६}

और जिस ने कोई ऐसी इबादत की जिस में उसका मक़्सद अल्लाह और लोग दोनों हों तो उसका अ़मल बातिल होगा। जैसाकि हदीसे कुदसी में आया है:

«أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ» [رواه

«मैं शरीकों से सब से ज़्यादा बेनियाज़ हूँ। जिस ने कोई ऐसा अमल किया जिस में मेरे साथ किसी को शरीक किया तो मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ दूँगा।» {मुस्लिम, नम्बर: २६८५}

और जो अल्लाह के लिए अमल शुरू करे फिर उस में रिया दाखिल हो जाये, पस अगर वह इसे नापसंद करते हुये हटाने की कोशिश करे तो उसका अमल सही होगा, लेकिन अगर उसका दिल इस पर मुतमइन तथा संतुष्ट हो तो अधिकांश विद्वानों (अक्सर उलमा) की राय अनुसार उसका यह अमल बातिल होगा।



बद शुगूनी

अल्लाह तअ़ाला ने फ़रमाया:

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾

[الأعراف: १३१]

“यदि उनके पास भलाई आती है तो कहते हैं कि यह हमारे लिए होना ही चाहिए, और अगर उनको कोई बुराई पेश आती है तो मूसा तथा उनके साथियों से बद शुगूनी लेते हैं।” {अलआराफ़: १३१}

जब अरब के लोग कोई काम -जैसे सफ़र वगैरा- करने का इरादा करते तो एक चिड़िया पकड़ कर उसे उड़ा देते, अगर वह दायें ओर जाती तो इस से नेक फ़ाल लेते हुए (इसे शुभ लक्षण समझते हुए) उस काम को कर गुज़रते, और अगर बायें ओर जाती तो इस से बद शुगूनी लेते हुए (इसे कुलक्षण समझते हुए) उस काम से बाज़ आ जाते। नबी ﷺ ने इस काम का हुक्म बयान करते हुए इरशाद फ़रमाया:

«الطَّيْرَةُ شَرُّكَ» [رواه الإمام أحمد: ३८९/१, وهو في صحيح الجامع: ३९००].

«बद शुगूनी शिर्क है।» {मुस्नद अहमद: १/३८६, सहीहुल जामेअ: ३६५५}

उक्त हराम एतिकाद -जो तौहीद के कमाल (एकत्ववाद के पूर्णता) के खिलाफ है- में निम्नलिखित चीजें भी शामिल हैं:

महीनों से बद शुगूनी लेना, जैसे सफ़र के महीना में शादी ब्याह न करना। और दिनों से बद शुगूनी लेना, जैसे हर महीना के आख़िरी बुध को मनहूस (अशुभ) समझना। अथवा संख्या से बद शुगूनी लेना, जैसे संख्या १३ को मनहूस समझना। अथवा बाज़ नामों या बाज़ ऐबदार (व्याधिग्रस्त) लोगों को देख कर बद शुगूनी लेना, जैसे दूकान खोलने के लिए जाते समय रास्ते में किसी एकाक्ष (काना) को देखने पर बद फ़ाली लेते हुए दूकान न खोल कर वापस आ जाना। यह सब के सब हराम हैं तथा शिर्क के अंतर्गत (शामिल) हैं। ऐसे लोगों से नबी ﷺ ने बराअत (मुक्तता) का एलान किया है। इम्रान बिन हुसैन رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطْيِرُ، وَلَا تَطْيِيرُ لَهُ، وَلَا تَكْهَنُ وَلَا تُكْهَنُ لَهُ، (وَأَظْنُهُ قَالَ:) أَوْ سَحَرًا أَوْ سَحِرَ لَهُ».

[رواه الطبراني في الكبير: ١٦٢/١٨، انظر صحيح الجامع: ٥٤٢٥]

«वह शख्स हम में से नहीं जो बद फ़ाली करे या जिसके लिए बद फ़ाली की जाए, या कहानत (भविष्य वाणी) करे या जिसके लिए कहानत की जाए, (रावी ने कहा: मेरा गुमान है कि यह भी फ़रमाया:) या जादू करे या जिसके लिए जादू किया जाए» {तबरानी कबीर: १८/१६२, सहीहुल जामेअ: ५४३५}

जो व्यक्ति इन ग़लतियों में से किसी में वाक़ेअ (पतित) हो जाए तो उसका कफ़ारा (प्रायश्चित्त) वह है जो अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में उल्लेख हुआ है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

[رواه الإمام أحمد: २/२२०.]

السلسلة الصحيحة: १०६०. هذا الحديث فيه ضعف، ويحسن أن يذكر بصيغة التمرّيز (ز)

«जो व्यक्ति बद शुगूनी (अशुभ लक्षण) के कारण किसी काम से बाज़ रहता है वह शिर्क करता है» लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसका कफ़ारा क्या है? आप ﷺ ने फ़रमाया: «वह यह दुआ पढ़े: “अल्लाहुम्म ला ख़ैर इल्ला ख़ैरुक, वला

तौर इल्ला तैरुक, वला इलाह गैरुक।” (अर्थात) ऐ अल्लाह! तेरी भलाई के अलावा और कोई भलाई नहीं है, और नहीं हो सकती कोई चीज़ मगर जो तू ने अपने बंदे पर निर्धारित कर रखा है, और तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है।» {मुस्नद अहमद: २/२२०, सिलसिला सहीहा: १०६५, (अल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया: इस हदीस में ज़अफ़ यानी दूबलता है, अतः तमरीज़ के सेगे -अर्थात शिथिल शब्दों में जैसे फ़ल्लों से रिवायत किया गया या कहा गया कि फ़ल्लों ने कहा वगैरा- के साथ उल्लेख करना बेहतर है)}

और बद शुगूनी के अक़ीदा का जनम लेना इंसान का फ़ितरी विषय है, जो घटता बढ़ता है। इसका सबसे बेहतर इलाज (चिकित्सा) है अल्लाह तअ़ाला पर भरोसा रखना, जैसाकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه ने फ़रमाया:

«وَمَا مِنَّا إِلَّا (أَي: إِلَّا وَيَقَعُ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ) وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». [رواه أبو داود رقم: २९१०, وهو في السلسلة الصحيحة: ६३०].

«हम में से हर एक के दिल में ऐसी चीज़ वाक़ेअ़ होती है, लेकिन अल्लाह तअ़ाला तवक्कुल (भरोसा) के ज़रीया उसे दूर फ़रमा देता है।» [अबू दाऊद: २६१०, सिलसिला सहीहा: ४३०]



गैरुल्लाह की क़सम (अल्लाह के अलावा किसी और की सौगंध) खाना

अल्लाह तअ़ाला अपनी मख़लूक़ात (सृष्टि) में से जिसकी चाहे क़सम खाए, लेकिन सृष्टि के लिए अल्लाह के अलावा किसी और की क़सम खाना जायज़ नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत से लोग गैरुल्लाह की क़सम खाते रहते हैं, हालाँकि क़सम एक प्रकार की ताज़ीम व भक्ति का विषय है, अतः वह अल्लाह के अलावा किसी और के लिए लायक़ व ज़ेबा (योग्य) नहीं है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«إِلَّا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَأَكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». [رواه البخاري، انظر الفتوح: ११/५३०].

«सुनो! अल्लाह तआला तुम्हें अपने बापों की कसम खाने से मना फरमाता है, (अतः) जो कसम खाना चाहता है वह अल्लाह की कसम खाये या खामोश (चुप) रहे ۞» [बुखारी, देखें फत्हल बारी: ११/५३०]

और इन्हे उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने इरशाद फरमाया: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». [رواه الإمام أحمد: १२०/२, انظر صحيح الجامع: १२०६].

«जिस ने गैरुल्लाह की कसम खाई उस ने शिर्क किया ۞» [मुस्नद अहमद: २/१२५, सहीहुल जामेअ: ६२०४]

नबी ﷺ ने और इरशाद फरमाया:

«مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا». [رواه أبو داود: २२०३, وهو في السلسلة الصحيحة رقم: १६].

«जिस ने अमानत की कसम खाई वह हम में से नहीं है ۞» [अबू दाऊद: ३२५३, सिलसिला सहीहा: ६४]

अतः काबा, अमानत, शरफ़ व इज़्ज़त (मान मर्यादा), फ़लों की बरकत, फ़लों की जिंदगी, नबी ﷺ की जाह व हश्मत (मरतबा व वैभव), वली की जाह, पिता माता और बच्चों के सिर इत्यादि की कसम खाना नाजायज़ तथा हराम है। अगर किसी से इन में से कुछ सरज़द (वाक़ेअ) हो जाये तो उसका कफ़ारा यह है कि वह 'ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़े, जैसाकि सहीह हदीस में आया है:

«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». [رواه البخاري، الفتح: ११/०३६].

«जो व्यक्ति कसम खाते हुए यह कहे कि लात व उज़्ज़ा की कसम, तो उसे चाहिए कि वह 'ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़े ۞» [बुखारी, फत्हल बारी: ११/५३६]

इस तरह के और भी बहुत से हराम तथा शिर्किया अल्फ़ाज़ (शिर्कसूचक शब्द) हैं जो कुछ मुसलमानों की जुबानों पर चढ़े हुये होते हैं, जैसे: 'मैं अल्लाह की और आपकी पनाह (आश्रय) चाहता हूँ', 'मैं अल्लाह पर और आप पर भरोसा करता हूँ', 'यह अल्लाह की ओर से तथा आपकी ओर से है', 'अल्लाह और आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है', 'मेरे लिए आसमान में अल्लाह और ज़मीन पर

आप हैं’, ‘अगर अल्लाह और फ़लों न होता’,⁽¹⁾ ‘मैं इस्लाम से बरी हूँ’, ‘हाय ज़माने की नाकामी तथा असफलता’, (और इस प्रकार का हर वाक्य जिस में ज़माने को बुरा भला कहा जाये जैसे, ‘यह काल अकाल है’, ‘यह मनहूस (अशुभ) घड़ी है’ तथा ‘ज़माना ग़द्दार व बेवफ़ा है’ इत्यादि, क्योंकि ज़माने को बुरा भला कहना ज़माना के ख़ालिक (स्रष्टा) अल्लाह को बुरा भला कहना होता है), और ‘तबीअत चाही’ कहना, और हर ऐसे नाम जिसका अर्थ ग़ैरुल्लाह का बंदा हो जैसे ‘अब्दुल मसीह’ यानी मसीह ईसा का बंदा, ‘अब्दुन नबी’ यानी नबी का बंदा, ‘अब्दुर्रसूल’ यानी रसूल का बंदा और ‘अब्दुल हुसैन’ यानी हुसैन का बंदा।

इसी तरह तौहीद विरोधी नये मुस्तलहात (आधुनिक परिभाषाओं) में से चंद यह हैं: इस्लामी इश्तिराकियत (समाजतंत्र), इस्लामी जमहूरियत (गणतंत्र), अ़वाम की इच्छा अल्लाह की इच्छा है, दीन (धर्म) अल्लाह के लिए है और वतन (देश) सबके लिए है, अ़रब जातीयतावाद (क़ौमियत) के नाम पर, इनक़लाब (विद्रोह) के नाम पर।

और हराम अलफ़ाज़ (निषिद्ध शब्दों) में से चंद यह हैं: इंसान में से किसी को ‘शहिंशाह’ (अर्थात ‘राजाधिराज’) कहना, या इस जैसा कोई कलिमा (शब्द) इस्तेमाल करना जैसे क़ाज़ियों का क़ाज़ी (विचारकों का विचारक)। और काफ़िर तथा मुनाफ़िक के लिए ‘सैयद’ (सर्दार) का शब्द (चाहे अ़रबी में या दूसरी जुबानों में हो) इस्तेमाल करना। तथा शब्द ‘अगर’ (यानी किसी चीज़ के फ़ौत हो जाने पर यह कहना कि ‘अगर’ ऐसा करता तो ऐसा होता) का प्रयोग करना, जो नाराज़गी और अफ़सोस व हसरत की दलील होती है तथा शैतान के कर्म का द्वार खोल देता है। इसी तरह यह कहना कि ‘ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे।’ {अधिक जानकारी के लिए शैख़ बक़ अबू ज़ैद रचित ‘मोज़मुल मनाहिल लफ़ज़िया’ नामी पुस्तक का मुताला (अध्यायन) करें}



1 अल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: इस किस्म के जुम्लूँ (वाक्यों) में सही बात यह है कि ‘और’ की जगह ‘फिर’ का शब्द लाया जाए, यानी यूँ कहा जाए: मेरा सहारा अल्लाह है फिर आप हैं।

मुनाफिकों या फ़ासिकों (बहुमुखीयों या पापीयों) के साथ उन से करीब होने के लिए अथवा उनको करीब करने लिए उठना-बैठना

जिनके दिलों में ईमान ने अच्छी तरह जगह नहीं ली है, ऐसे बहुत से लोग कुछ पापीयों तथा दूराचारीयों के साथ उठते बैठते हैं, बल्कि कभी कभी बाज़ ऐसे लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं जो अल्लाह की शरीअत (विधान) में ताना ज़नी (कटाक्ष) करते हैं, तथा उसके दीन और उसके औलिया का मज़ाक़ उड़ाते हैं, निःसंदेह यह ऐसा हराम काम है जो अक़ीदा में ख़लल (बिगाड़) पैदा करने वाला है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨]

“और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में कुरेद कर रहे हैं तो उन लोगों से अलग हो जायें, यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जायें, और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों के साथ मत बैठें।” {अलअनआम: ६८}

अतः इस हालत में उनके साथ उठना बैठना जायज़ नहीं है, गरचे (यद्यपि) करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हों, या उनका व्यवहार मनोहर (सुंदर) तथा उनकी जुबान सुमधुर (मीठी) क्यों न हो। हाँ जो शख्स उनको दावत देने के लिए, या उनके बातिल का खंडन (रद) करने के लिए, या उनका प्रतिवाद (विरोध) करने के लिए उनके साथ बैठे तो कोई हरज नहीं है। और अगर उन से राज़ी (संतुष्ट) हो या ख़ामोशी अख़्तियार करे तो नहीं। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَارْتَبِ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ११६]

“तो अगर तुम उन से राज़ी हो भी जाओ तो अल्लाह ऐसे फ़ासिकों (दुराचारियों) से राज़ी नहीं होता।” {अल्तौबा: ६६}



नमाज़ में इतमीनान न रखना (एकाग्रता परित्याग करके जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना)

नमाज़ में चोरी करना चोरी के महान अपराधों (अज़ीम जुर्मों) में से एक है।

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ». قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا». [رواه الإمام أحمد: ٢١٠/٥، وهو في صحيح الجامع: ٩٩٧].

«लोगों में बदतर (निकृष्ट) चोर वह है जो अपनी नमाज़ में चोरी करता है।» सहाबए किराम ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ में कैसे चोरी करता है? आप ﷺ ने फ़रमाया: «नमाज़ में पूरे तौर पर न रुकूअ करता है और न सज्दा।» {मुस्नद अहमद: ५/३१०, सहीहुल जामेअ: ६६७}

नमाज़ में इतमीनान (एकाग्रता) छोड़ देना, रुकूअ और सज्दा में पीठ को सीधा न रखना, रुकूअ से उठने के बाद पूरे तौर पर खड़ा न होना और दो सज्दे के दरमियान बराबर न बैठना, यह सब ऐसी चीज़ें हैं जो मशहूर हैं तथा अकसर (अधिकांश) नमाज़ियों में देखी जाती हैं, और ऐसे नमाज़ियों से शायद ही कोई मस्जिद खाली हो। हालाँकि इतमीनान (एकाग्रता) नमाज़ का एक रुक्न है, उसके बग़ैर नमाज़ सही नहीं होती, अतः मामला बड़ा संगीन है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا تُجْزئُ صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». [رواه أبو داود: ٥٢٣/١، وهو في صحيح الجامع: ٧٢٢٤].

«आदमी की नमाज़ उस वक़्त तक सही नहीं होती, जब तक कि रुकूअ और सज्दा में अपना पीठ सीधा न कर ले।» {अबू दाऊद: १/५३३, सहीहुल जामेअ: ७२२४}

निःसंदेह यह मुन्कर (गर्हित/निंदित) काम है, इसका करने वाला सज़ा तथा धमकी का मुस्तहिक (हक़दार) है। अबू अब्दुल्लाह अशअरी رضي الله عنه से मरवी है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाकर उनके किसी गरोह (दल) में बैठ गए। इसी दौरान एक आदमी (मस्जिद में) दाख़िल होकर

नमाज़ पढ़ना शुरू किया और अपने रूकूअ तथा सज्दे में ठोकर मारने लगा। यह देखकर नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«أَتَرُونَ هَذَا؟ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، فَمَاذَا تَغْنِيَانِ عَنْهُ؟» [رواه ابن خزيمة في صحيحه: ۳۲۲/۱، وانظر صفة صلاة النبي للألباني: ۱۲۱].

«तुम इसे देख रहे हो? इस हालत में जिसकी मौत होगी, वह मुहम्मद की मिल्लत के अलावा पर मरेगा। यह अपनी नमाज़ में वैसे ठोकर मारता है जैसे कौवा खून में ठोकर मारता है। जो व्यक्ति रूकूअ सज्दा में ठोकर मारता है, उसकी मिसाल उस भूके की सी है जो एक ही दो खजूर खाता है, तो वह उसे क्या फ़ायदा देंगे? (यानी क्या इस से उसकी भूक दूर हो सकती है?)» {सहीह इब्नु खुज़ैमा: १/३३२, अल्बानी की 'सिफ़तु सलातिन्नीबी': १३१} और ज़ैद बिन वहब से रिवायत है, उन्होंने कहा: हुज़ैफ़ा رضي الله عنه ने एक आदमी को अपूर्ण (ग़ैर मुकम्मल) रूकूअ सज्दा करते हुए देखकर फ़रमाया: तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी, अगर इस हालत में तुम्हारी मौत हो गई, तो उस फ़ित्रत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह ने मुहम्मद ﷺ को पैदा फ़रमया। {बुख़ारी, देखें फ़ह्लुल बारी: २/२७४}

नमाज़ में इत्मीनान (एकाग्रता) छोड़ने वाले पर हुक्म जानने के बाद वाजिब है कि वह उस फ़र्ज को दोहरा ले जिसका वक़्त बाकी है। और जिस नमाज़ का वक़्त गुज़र चुका है उसके लिए अल्लाह से तौबा करे। साबिका (गुज़री हुई) नमाज़ों का दोहराना उस पर लाज़िम (ज़रूरी) नहीं है। (क्योंकि आप ﷺ ने इतमीनान के साथ नमाज़ न पढ़ने वाले व्यक्ति को सिर्फ़ वह नमाज़ दोहराने का हुक्म दिया था जिस में उस ने इतमीनान को छोड़ दिया था, साबिका नमाज़ें दोहराने का हुक्म नहीं दिया था।) जैसाकि आप ﷺ ने फ़रमाया:

«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». [رواه البخاري: ۷۵۷]

«वापस जाकर दोबारा नमाज़ पढ़ो, क्योंकि तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी» [बुख़ारी: ७५७]



नमाज़ में फुजूल काम तथा ज़्यादा हरकत करना

यह भी वह आफ़त (व्यधि) है जिस से शायद ही कोई नमाज़ी महफूज़ हो। क्योंकि न वह अल्लाह के निम्नोक्त हुक्म की पाबंदी करते हैं:

﴿وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: २३८]

“और अल्लाह तआला के लिए बा अदब (नम्रता पूर्वक) खड़े रहा करो।”
[अल्बकरा: २३८]

और न अल्लाह के निम्नोक्त वाणी (फ़रमान) के सही अर्थ को समझते हैं:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: १-२]

“यकीनन (निश्चय) ईमान वालों ने फ़लाह हासिल (सफलता प्राप्त) कर ली, जो अपनी नमाज़ में खुशूअ़ (विनय) करते हैं।” [अलमोमिनून: १,२]

और जब नबी ﷺ से नमाज़ की हालत में सज्दा की जगह की मिट्टी बराबर करने के बारे में पूछा गया, तो आप ने फ़रमाया:

«لَا تَمَسُّحَ وَأَنْتَ تَصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ لَا بَدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى» . [رواه أبو داود: १/ ०८१.

وهو في صحيح الجامع: ७४०२.]

«नमाज़ की हालत में तुम कुछ न छूओ, और अगर कंकर बराबर करना ज़रूरी ही हो तो बस एक मरतबा।» [अबू दाऊद: १/५८१, सहीहुल जामेअ़: ७४५२]

उलमा किराम ने फ़रमाया कि बग़ैर ज़रूरत के लगातार ज़्यादा हरकत नमाज़ को बातिल कर देती है। तो नमाज़ के दौरान फुजूल हरकत करने वालों का क्या होगा जो अल्लाह के सामने खड़े होकर कभी अपनी घड़ी की तरफ़ देखते हैं, या कपड़े ठीक करते हैं, या नाक में उंगली डालते हैं, और कभी दायें बायें तथा आसमान की ओर ताकते हैं। और वह इस बात से नहीं डरते कि उनकी निगाहें उचक ली जाएं और यह कि शैतान उनकी नमाज़ छीन ले।



जान-बूझकर मुक्तदी का अपने इमाम पर सबक़त ले जाना (इमाम से पहले कुछ करना)

जल्द बाज़ी इंसान की तबीअत (स्वभाव) में से है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ११]

“और इंसान है ही बड़ा जल्द बाज़।” {अलइस्रा: ११}

और नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«التَّائِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». [رواه البيهقي في السنن الكبرى: १/१०٤، وهو في السلسلة: १११०].

«बुर्दबारी (सहिष्णुता) अल्लाह की तरफ़ से तथा जल्द बाज़ी शैतान की तरफ़ से होती है» [बैहकी की किताब अस्सुननुल कुबरा: १०/१०४, सिलसिला: १७६५]

आदमी जमाअत में खड़ा होकर बहुधा यह लक्ष्य करता (अक़सर यह देखता) होगा कि उसके दायें बायें नमाज़ पढ़ने वाले बहुत से लोग और कभी कभी खुद भी रुकूअ या सज्दे में, और उमूमन (प्रायः) तकबीरे तहरीमा के अलावा दीगर तकबीरों में, यहाँ तक कि सलाम फेरने में भी अपने इमाम पर सबक़त ले जाते हैं। यह वह अमल है जो बहुतों के नज़दीक अहम (महत्वपूर्ण) नहीं है, हालाँकि इस बारे में नबी ﷺ की जुबानी सख़्त धमकी आई है:

«أَمَا يَخْشَى الذِّي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحْوَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ». [رواه مسلم: ३२०/१-३२१].

«क्या वह शख़्स जो इमाम से पहले अपना सर उठाये इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह तआला उसके सर को गधे के सर में बदल दे?» {मुस्लिम: १/३२०, ३२१}

नमाज़ी को नमाज़ के लिए आते हुए अगर सुकून व वक़ार (शांति व गांभीर्य) के साथ आने का हुक़म है, तो भला नमाज़ के दौरान उसका क्या हाल होना चाहिए?!

कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ इमाम पर सबक़त ले जाने का विषय इमाम से

पीछे रहने के विषय के साथ खलत मलत हो जाता है (यानी कुछ लोग यह ख्याल करते हैं कि इमाम से पहले कुछ करना उसके बाद करने की तरह है), तो जान लेना चाहिए कि फुक़हा ने इस मसले में एक अच्छा कायदा उल्लेख किया है, वह यह कि मुक्तदी को उस वक़्त हरकत शुरू करनी चाहिए जब इमाम की तकबीर ख़त्म हो जाए, अर्थात् इमाम जब अल्लाहु अक्बर के 'र' से फ़ारिग़ हो जाए तो मुक्तदी हरकत शुरू करे, न उस से पहले न उसके बाद। और इस तरह से मामला सुलझ (समस्या दूर हो) जाएगा। रसूलुल्लाह ﷺ के सहाबा رضي الله عنهم बहुत ज़्यादा हरीस (आग्रही) थे कि आप पर सबक़त न ले जाएं। बरा बिन अज़िब رضي الله عنه फ़रमाते हैं:

«إِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ لَمْ أَرِ أَحَدًا يَخْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْرِمُنْ وَرَاءَهُ سُجْدًا» . [رواه مسلم برقم: ٤٧٤، ط. عبد الباقي].

«वह लोग (सहाबए किराम) अल्लाह के रसूल ﷺ के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। जब आप रुकूअ़ से अपना सर उठाते, तो मैं किसी को उस वक़्त तक अपना पीठ झुकाते हुए न देखता, जब तक रसूलुल्लाह ﷺ अपनी पेशानी ज़मीन पर न रख लेते, फिर आपके पीछे के लोग सज्दा में जाते» [मुस्लिम, हदीस नम्बर: ४७४] और जब नबी ﷺ की उम्र ज़्यादा हो गई और आपकी हरकत में कुछ धीमापन (धीरता) आ गया, तो आप ने अपने पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को तम्बीह करते (चेतावनी देते) हुए फ़रमाया:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكْعِ وَالسُّجُودِ» . [رواه البيهقي: ٩٣/٢، وحسنه في إرواء الغليل: ٢/٢٩٠].

«ऐ लोगो! मैं उम्र दराज़ हो गया हूँ, अतः तुम रुकूअ़ व सज्दा में मुझ पर सबक़त न ले जाओ (यानी मुझ से पहले रुकूअ़ सज्दा न करो)» [बैहकी: २/६३, अलबानी ने इसे इरवाउल ग़लील में हसन कहा है: २/२६०]

और इमाम को चाहिए कि वह नमाज़ के दौरान तकबीर (अल्लाहु अक्बर कहने)

में उस सुन्नत पर अमल करे, जो अबू हरैरा رضي الله عنه से मरवी (वर्णित) हदीस में आया है:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكْعُ .. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَفْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْجُلُوسِ».

[رواه البخاري برقم: ٧٥٦، ط. البغا].

«रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो तक्बीर कहते। फिर जब रुकूअ करते तो तक्बीर कहते। -- फिर जब सज्दा के लिए झुकते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा से सर उठाते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा करते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा से सर उठाते तो तक्बीर कहते। फिर अपनी पूरी नमाज़ में ऐसा ही करते, यहाँ तक कि नमाज़ पूरी फ़रमाते। और दूसरी रकअत के तशहहुद के बाद उठते हुए तक्बीर कहते» {बुखारी, हदीस नम्बर: ७५६}

अगर इमाम अपनी हरकत के साथ साथ तक्बीर कहे, और मुक्तदी मज़कूरा कैफ़ियत (उल्लिखित नियम) की पाबंदी करे, तो नमाज़ के सिलसिले में पूरी जमाअत का मामला दुरुस्त हो जाएगा।



पियाज़, लहसुन या कोई बदबू (कुबास) वाली चीज़ खा पी कर मस्जिद में आना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَبْنَىءُ آدَمَ خُدُوْا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ३१]

“ऐ आदम की औलाद! तुम हर नमाज़ के समय ज़ीनत अपनाओ (यानी सुंदर लिबास पोशाक पहनो)।” [अलआराफ़: ३१]

जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَرِئْنَا» أَوْ قَالَ: «فَلْيَعْتَرِئْ مَسْجِدَنَا وَليُقْعِدْ فِي بَيْتِهِ». [رواه البخاري، انظر الفتحة: ٢/٣٢٩].

«जो लहसुन या पियाज़ खाए वह हम से अलग रहे ॥» या आप ने फ़रमाया: «वह हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने घर में बैठा रहे ॥» {बुख़ारी, देखें फ़ह्लुल बारी: २/३३६} और मुस्लिम की एक रिवायत में है:

«مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَاتُ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [رواه مسلم: १/३९०].

«जो पियाज़, लहसुन या लीक (Leek पियाज़ जैसा पौदा) खाए, वह हमारी मस्जिद से करीब न हो, क्योंकि जिन चीज़ों से आदम की औलाद को तक्लीफ़ होती है, उन चीज़ों से फ़रिश्तों को भी तक्लीफ़ होती है ॥» {मुस्लिम: १/३६५}

और उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه ने जुमुआ के दिन खुत्बा देते हुए अपने खुत्बे में फ़रमाया: «مَنْ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا حَبِيئَتَيْنِ: هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَهُ بِه فَأَخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيَمِئْتَهُمَا طَبْحًا». [رواه مسلم: १/३९६].

«फिर ऐ लोगो! तुम दो दरख़्त (सब्ज़ी) खाते हो, मैं समझता हूँ कि वह गंदी हैं: वह पियाज़ और लहसुन हैं। मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि अगर मस्जिद में किसी के मुँह से इसकी बदबू आती, तो आप उसे निकालने का हुक्म देते, पस उसे बकीअ की तरफ़ निकाल दिया जाता। अतः जो उसे खाना चाहे, उसे चाहिए कि पका कर उसकी बू ख़त्म कर दे ॥» {मुस्लिम: १/३६६}

इसी के ज़िम्न में वह लोग भी हैं जो अपने कामों से फ़ारिग़ होने के फ़ौरन बाद मस्जिदों में दाख़िल होते हैं, इस हाल में कि उनके बग़लों तथा मोज़ों से बदबू आती रहती है।

इस से भी बदतर (जघन्य) वह धूमपायी हैं जो हराम धूमपान करके मस्जिदों में दाख़िल होते हैं और अल्लाह के बंदों यानी फ़रिश्तों तथा नमाज़ियों को तक्लीफ़ देते हैं।



ज़िना (व्यभिचार)

इस्लामी शरीअत के अग़राज़ व मकासिद (लक्ष्य तथा उद्देश्यों) में से इज़्ज़त व आबरू तथा नस्ल व वंश की हिफ़ाज़त करना है। इसी लिए शरीअत ने ज़िना की हुर्मत (हराम होने) का एलान किया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: २२]

“सावधान! ज़िना के करीब भी न जाना, क्योंकि वह बड़ी बेहयाई (निर्लज्जता) और बहुत ही बुरी राह (मार्ग) है।” {अल्इस्रा: ३२}

बल्कि शरीअत ने पर्दा करने तथा निगाहें नीची रखने का हुक्म देकर और अजनबी औरत (परनारी) के साथ तनहाई अख़्तियार करने आदि के हराम होने का फ़रमान जारी करके ज़िना तक पहुँचाने वाले सारे अस्बाब व माध्यमों तथा रास्तों को बंद कर दिया है।

ज़ानी (व्यभिचारी) अगर शादी शुदा (विवाहित) हो, तो उसको सख़्त तथा कठिन सज़ा दी जाएगी, यानी उसे संगसार किया (पत्थरों से मारा) जाएगा यहाँ तक कि वह मर जाए, ताकि वह अपने किये का मज़ा चख ले, और उसके शरीर का हर अंग उस तरह तक्लीफ़ महसूस (कष्ट अनुभव) करे जिस तरह कि वह हराम काम (ज़िना) से तृप्ति भोग किया (लुत्फ़ अंदोज़ हुआ) था। और अगर ज़ानी (व्यभिचारी) ग़ैर शादी शुदा (अविवाहित) हो, तो उसे शरई हुदूद (दंडविधि) में कोड़े के सिलसिले में वारिद (प्रमाणित) संख्या में सब से ज़्यादा संख्या यानी सौ कोड़े मारे जायेंगे। साथ साथ उसे अपमान (रुसवा) किया जाएगा, क्योंकि मोमिनों की एक जमाअत की उपस्थिति (मैजूदगी) में उसे दंडित किया जाएगा (सज़ा दी जाएगी), और पूरे एक साल के लिए उसे उसके शहर से तथा अपराध स्थल (जुर्म की जगह) से निकाल दिया (जला वतन किया) जाएगा।

बरज़ख़ (मरने के वक़्त से दोबारा उठने तक का ज़माना) में ज़ानी व ज़ानिया (व्यभिचारी तथा व्यभिचारीणी) की सज़ा यह होगी कि वह एक ऐसे तन्नूर (तंदूर) में हूँगे जिसका ऊपरी हिस्सा तंग और निचला हिस्सा कुशादा होगा। उसके नीचे

आग जलती होगी इस हाल में कि वह नंगे हूँगे। जब उन्हें दग्ध किया जाएगा (उन पर आग जलाई जाएगी), तो वह इस ज़ोर से चीखेंगे कि क़रीब है कि बाहर निकल आयें। फिर जब आग बुझ जाएगी तो वह उसी में दोबारा लौट जायेंगे। और क़ियामत तक उनके साथ ऐसा ही मामला किया जाएगा।

और उस आदमी का मामला बड़ा ही बदतर (जघन्य) है जो उम्र दराज़ होने तथा क़ब्र से क़रीब पहुँचने और अल्लाह की तरफ़ से मुहलत (अवकाश) पाने के बावजूद ज़िना करता रहता है। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَمْلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». [رواه مسلم: 1/102-103].

«तीन आदमी हैं, क़ियामत के दिन न अल्लाह उनसे बात करेगा, न उनको पाक करेगा और न उनकी तरफ़ देखेगा, तथा उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा: बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह और घमंडी फ़कीर» {मुस्लिम: 9/902-903}

निकृष्ट तथा जघन्य (बदतरीन) कमाई में से वह कमाई है जो ज़ानिया (व्यभिचारीणी) ज़िना के मुक़ाबिल में लेती है। शर्मगाह को कमाई का ज़रीया बनाने वाली औरत (ज़ानिया) उस समय की दुआ के क़बूल होने से महूरूम तथा वंचित रहती है जब आधी रात को आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ज़रूरत और मुहताजी कभी भी अल्लाह की हदों को पामाल करने के लिए शरई उज़्र नहीं बन सकती। पहले ज़माना में लोग कहते थे: आज़ाद औरत भूकी रहना गवारा करे, लेकिन दूध बेचके न खाए (यानी उजरत लेकर भी दूसरे बच्चे को दूध पिलाए), तो कैसे वह अपना शर्मगाह बेचके खा सकती है?!

मौजूदा दौर में बदकारी के सारे दरवाज़े खोल दिए गए हैं। और शैतान ने अपने तथा अपने चेलों के मक़द व फ़रेब के ज़रीया उसका रास्ता आसान कर दिया है। और नाफ़रमानों तथा पापाचारों ने उसकी इत्तिबा (अनुसरण) की, जिसके नतीजा में बेपर्दगी और बेहयाई अ़ाम हो गई, निगाह तथा हराम दृष्टि आवारा हो

गई, समागम (इख्तिलात) मुंतशिर हो गया, घृणास्पद पत्र-पत्रिकाओं (हया सोज़ मेगज़ीनों) तथा बेहया फ़िल्मों का प्रचलन (दौर दौरा) हो गया, पाप के मुल्कों में अधिकाधिक (कसरत से) सफ़र किया जाने लगा, वेश्यावृत्ति (रंडीगीरी) का बाज़ार गरम हो गया, इज़्ज़तों का लूटना अ़ाम हो गया, हरामी औलाद (जारज संतानों) की संख्या बढ़ गई और भ्रूण (गर्भस्थ बच्चों) का हत्या ज़्यादा हो गया।

अतः ऐ अल्लाह! हम तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी, तेरी पर्दापोशी और तेरी हिफ़ाज़त की तुझसे भीक माँगते हैं। बेहयाई तथा बदकारी से तू हमारी हिफ़ाज़त फ़रमा। हमारे दिलों को पाक-पवित्र कर दे, हमारे शर्मगाहों की हिफ़ाज़त फ़रमा और हमारे दरमियान तथा हराम के दरमियान ज़वरदस्त आड़ और मज़बूत पर्दा खड़ा कर दे।



लिवातत (समलिंगी व्यभिचार)

लूत  की क़ौम का जुर्म यह था कि वह मर्दों से अपनी ख़ाहिश पूरी करते थे। अल्लाह तअ़ाला ने फ़रमाया:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأنتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيُّكُمْ لَأنتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿﴾ [العنكبوت: ٢٨-٢٩]

“और लूत  का भी ज़िक्र करो जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम तो उस बदकारी पर उतर आए हो जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। क्या तुम मर्दों के पास बद फ़ेली (कुकर्म) के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो, और अपनी अ़ाम मजलिसों में बेहयाइओं का काम करते हो? इसके जवाब में उसकी क़ौम ने इसके अ़लावा और कुछ नहीं कहा कि बस जा अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह तअ़ाला का अज़ाब ले आ।”

{अलअनकबूत: २८-२९}

उक्त अपराध के निकृष्ट, जघन्य तथा विपज्जनक (क़बीह व बदतर और ख़तीर)

होने के कारण अल्लाह तआला ने उन्हें चार किस्म की सज़ाओं से दोचार किया, जबकि एक साथ चार किस्म की सज़ाएं उनके अलावा किसी और पर नाज़िल नहीं की गई। सज़ाएं यह हैं: अल्लाह तआला ने उनकी दृष्टि ज्योति विलुप्त (आँखों की रोशनी ख़त्म) कर दिया। और उनकी बस्ती को उलट पलट कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया। और उन पर कंकड़ीले पत्थरों की बारिश बरसाई जो तह पर तह थे। तथा उन पर चीख़ (ज़ोर की कड़क) भेजा।

इस्लामी शरीअत में -राजेह कौल के मुताबिक़/ प्राबल्य मतानुसार- लिवातत करने और कराने वाले दोनों की सज़ा तलवार से हत्या है, अगर वह दोनों की रिज़ामंदी और अख़्तियार से हुई हो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» . [رواه الإمام أحمد: ३००/१، وهو في صحيح الجامع: १०६०].

«अगर तुम किसी को लूत की कौम जैसा फ़ेल (कुर्म) करते हुए पाओ तो करने तथा कराने वाले दोनों की हत्या कर दो।» {मुस्नद अहमद: १/३००, सहीहुल जामेअ: ६५६५}

मौजूदा दौर में फुहश और बदकारी के कारण महामारी (प्लेग) तथा मुख़्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जनम ले रही हैं, जो हमारे पूर्वजों में नहीं थीं, जैसे एड्स जैसी कातिल बीमारी। विधानदाता (शारेअ) ने इस बदकारी की जो सख़्त सज़ा मुकर्रर की है, वह उसकी हिक्मत पर दलालत करती है।



बीवी का बिना किसी शरई उज़्र के शौहर के बिस्तर पर आने से इनकार करना

अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ» . [رواه البخاري، انظر الفتوح: २/१६].

«जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह आने से इनकार करे, जिसके सबब शौहर नाराज़ होकर रात गुज़ारे, तो फ़रिश्ते सुबह होने तक उस पर लानत भेजते रहते हैं।» {बुख़ारी, देखें फ़तहुल बारी: ६/३१४}

अगर मियाँ बीवी में तू तू मैं मैं हो जाता है तो बहुत सी बीवी -अपने गुमान में- अपने शौहर को उसके बिस्तर में न जाकर तथा उसका हक़ न देकर सज़ा देती है। हालाँकि इससे बड़ी बड़ी ख़राबियाँ सामने आती हैं, जैसे: शौहर का हराम में वाक़ेअ (व्यभिचार में पतित) होना। और कभी कभी मामले बीवी के खिलाफ़ हो जाते हैं, पस शौहर बज़िद होकर (हठ में आकर) उस पर दूसरी शादी करने के बारे में सोचता है।

अतः नबी ﷺ के निम्नोक्त फ़रमान को बजा लाते हुए बीवी पर वाजिब है कि शौहर के बुलावे पर लब्बैक कहे यानी फ़ौरन् हाज़िर हो। नबी ﷺ ने फ़रमाया: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْتَجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ ظَهْرٍ قَتَبْ». [انظر زوائد البزار: ۱۸۱/۲, وهو في صحيح الجامع: ۵۴۷].

«अगर शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए, तो चाहिए कि वह उसे क़बूल करे, अगरचे वह हौदा पर हो।» {देखें ज़वाइदुल बज़ज़ार: २/१८१, सहीहुल जामेअ: ५४७} तथा शौहर को चाहिए कि बीवी अगर बीमार, हामिल (गर्भवती) अथवा व्याकुल (बेचैन) हो, उसका ख़्याल रखे, ताकि मुहब्बत का बंधन अटूट रहे तथा अनबन की नौबत न आए।



बीवी का बिना किसी शर्ई उज़्र के अपने शौहर से तलाक़ तलब करना

बहुत सी बीवी छोटी मोटी बातों पर अपने शौहरों से तलाक़ तलब करने में जल्दी करती हैं। अथवा बीवी तलाक़ का मुतालबा करती है जब शौहर उसे उसकी इच्छानुसार धन (ख़ाहिश के मुताबिक़ माल) न दे। और कभी कभी बीवी इस पर

अपने बाज़ फ़सादी रिश्तेदारों या पड़ोसियों की तरफ़ से उदबुद्ध की (उकसाई) जाती है। और बीवी कभी शौहर को ऐसा जुम्ला (वाक्य) कहकर ललकारती है कि उसके पट्टे जोश में आ जाते हैं, जैसे: अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक़ दे दो।

यह बात किसी से मख़फ़ी (पोशीदा) नहीं कि तलाक़ के कारण बहुत सारे नुक़सानात (क्षतियाँ) सामने आते हैं, जैसे: ख़ानदान का बिखर जाना, बच्चों का विक्षिप्त (तितर बितर) हो जाना। और फिर बाद में वह उस वक़्त पछताती है जब पछतावा किसी काम में नहीं आता। मज़क़ूरा (उल्लिखित) नुक़सानात तथा दीगर नुक़सानात को मद्दे नज़र रखते हुए शरीअत ने बग़ैर किसी उज़्र के तलाक़ तलब करने को हराम करार दिया है। सौबान رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». [رواه أحمد: २७७/५، وهو في صحيح الجامع: २७०३].

«कोई भी औरत अपने शौहर से बग़ैर किसी सबब के तलाक़ माँगे, तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है।» {मुस्नद अहमद: ५/२७७, सहीहुल जामेअ: २७०३} और उक़्बा बिन अमिर رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُئَافِقَاتُ». [رواه الطبراني في الكبير: ३३९/१७، وهو في صحيح الجامع: १९३६].

«खुलूआ लेने वाली तथा तलाक़ चाहने वाली औरतें ही मुनाफ़िक़ हैं।» {तबरानी कबीर: १७/३३६, सहीहुल जामेअ: १६३४}

हाँ, अगर कोई शर्ई कारण हो, जैसे: शौहर का नमाज़ न पढ़ना, मादक द्रव्य सेवन (नशीली चीज़ें इस्तेमाल) करना, शौहर का बीवी को किसी हराम काम पर मजबूर करना, या उसे कष्ट देकर अथवा उससे उसके शर्ई हुकूक़ (अधिकार) रोककर उस पर अन्याय करना। और शौहर को नसीहत करने के बावजूद भी अगर कोई फ़ायदा न हो तथा उसके इस्लाह (संशोधन) की कोई कोशिश कार आमद (लाभ दायक) न हो, तो ऐसी स्थिति में बीवी का अपने दीन व नफ़्स की हिफ़ाज़त की ख़ातिर शौहर से तलाक़ का मुतालबा करने में कोई हरज नहीं है।

ज़िहार

पहली जाहिलियत के अलफ़ाज़ (शब्दों) में से जो इस उम्मत में आम तथा प्रचलित है 'ज़िहार' है। जैसे: शौहर का अपनी बीवी से कहना कि 'तू मुझ पर मेरी माँ के पीठ की तरह है' या 'तू मुझ पर उसी तरह हराम है जिस तरह कि मेरी बहन है'। इनके अलावा और भी अन्य जघन्य (दीगर बुरे) अलफ़ाज़ हैं जो शरीअत की दृष्टिकोण (नुक्तए नज़र) से नापसंदीदा है, क्योंकि इसमें औरत पर जुल्म है। अल्लाह तआला ने इसका वस्फ़ (गुण) बयान करते हुए फ़रमाया:

﴿الَّذِينَ يَطْمَهُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ﴾ [المجادلة: २]

“तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं (यानी उन्हें माँ कह बैठते हैं) वह वास्तव में उनकी माएं नहीं बन जातीं, उनकी माएं तो वही हैं जिनके पेट से वह पैदा हुए, निश्चय यह लोग एक अनुचित (नामाकूल) और झूठी बात कहते हैं, बेशक अल्लाह तआला क्षमा करने वाला और माफ़ करने वाला है।” {अलमुजादला: २}

शरीअत ने इसका मुग़ल्लज़ा (सख़्त तथा कठिन) कफ़ारा मुकर्रर किया है, जो कि ग़लती से क़त्ल करने के कफ़ारा के मुशाबिह (सदृश) तथा रमज़ान के महीने के दिन में हम्बिस्तरी (संभोग) करने के कफ़ारा के मिसल है। ज़िहार करने वाला जब तक कफ़ारा न अदा कर दे तब तक उसके लिए अपनी बीवी के पास जाना जायज़ नहीं है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَالَّذِينَ يَطْمَهُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: २-४]

“और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें, फिर अपनी कही हुई बात वापस लें, तो उनके ज़िम्मा आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम

आज़ाद करना है, इसके ज़रीया तुम नसीहत किए जाते हो, अल्लाह तआला तुम्हारे तमाम आमाल से बाख़बर (ज्ञाता) है। हाँ, जो शख्स न पाए उसके ज़िम्मा दो महीनों के लगातार रोज़े हैं इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जिस शख्स को यह ताक़त भी न हो उस पर साठ मिसकीनों का खाना खिलाना है। यह इस लिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। यह अल्लाह तआला की मुक़रर कर्दा हदें (निर्धारित की हुई सीमाएं) हैं, और काफ़िरों ही के लिए दर्दनाक अज़ाब है।” {अल्मुजादला: ३-४}



हैज़ (माहवारी) की हालत में हम्बिस्तरी (संभोग) करना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْرِضُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: २२२]

“और वह आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए वह गंदगी है, हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, और जब तक वह पाक न हो जाएं उनके करीब न जाओ।” {अलबकरा: २२२}

पाकी के बाद जब तक वह गुस्ल न कर ले, उससे संभोग करना हलाल नहीं है। क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: २२२]

“हाँ जब वह पवित्र हो जायें, तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की है।” {अलबकरा: २२२}

आप ﷺ की निम्नोक्त वाणी इस नाफ़रमानी के घिनावने होने पर दलालत करती है:

«مَنْ أَتَىٰ حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ». [رواه الترمذی:

«जो हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करे, अथवा उसकी सुरीन (मलद्वार) में सहवास करे, या किसी काहिन (ज्योतिषी) के पास जाये, तो उसने उस चीज़ का कुफ़्र किया जो मुहम्मद पर उतारा गया।» [तिर्मिज़ी: १/२४३, सहीहुल जामेअ: ५६१८]

जो शख़्स अनिच्छाकृत (बिला क़स्द) ग़लती से तथा अज्ञता (लाइल्मी) में हैज़ वाली औरत से हमबिस्तरी कर ले उस पर कोई कफ़़ारा नहीं है। लेकिन जो शख़्स इच्छाकृत (अ़मदन) तथा जानबूझ कर उससे हमबिस्तरी करे तो उस पर उ़लमा में से उन उ़लमा के क़ौल के मुताबिक़ (मतानुसार) जिन्होंने कफ़़ारा की हदीस को सहीह करार दिया है, एक दीनार या आधा दीनार कफ़़ारा है। बाज़ उ़लमा ने कहा: उसे अख़्तियार है दोनों में से जो चाहे दे। और बाज़ उ़लमा ने कहा: अगर हैज़ की शुरूआत में जब ख़ून का बौछार हो हमबिस्तरी करे तो उस पर एक दीनार है। और अगर हैज़ के अंत (अख़ीर) में जब ख़ून आना कम हो जाए, या हैज़ से पाकी हासिल करने का गुस्ल करने से पहले हमबिस्तरी करे तो उस पर आधा दीनार कफ़़ारा है। आजकल एक दीनार बराबर ४,२५ ग्राम सोना है। या उक्त मिक्दार सोना सदका करेगा या मौजूदा क़ंसी में उसकी कीमत अदा करेगा।⁽¹⁾



बीवी की सुरीन (मलद्वार) में सहवास करना

कमज़ोर ईमान वालों में से कुछ उल्टा चलने वाले लोग अपनी बीवी की सुरीन में सहवास करने से परहेज़ नहीं करते हैं, जबकि यह कबीरा गुनाहों में से है, और नबी ﷺ ने इसके करने वाले पर लानत फ़रमाई है। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا». [رواه الإمام أحمد: १/२, ६७९, وهو في صحيح الجامع: ०५१६].

- 1 अल्लामा इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह ने फ़रमाया: सही यह है कि उसे एक दीनार तथा आधा दीनार के दरमियान अख़्तियार है, चाहे हमबिस्तरी हैज़ के शुरू में हुई हो या अख़ीर में। और एक दीनार बराबर चार बटा सात सज़्दी पाउंड है, और उसका आधा दो बटा सात सज़्दी पाउंड है, क्योंकि सज़्दी पाउंड पौने दो दीनार का होता है।

«जो शख्स अपनी बीवी की सुरीन में सहवास करे वह मलूऊन (अभिशाप्त) है» [मुस्नद अहमद: २/४७६, सहीहुल जामेअ: ५८६५]

बल्कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ آتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». [رواه الترمذي: २/१: ५६३/१، وهو في صحيح الجامع: ५९१८].

«जो हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करे, अथवा उसकी सुरीन (मलद्वार) में सहवास करे, या किसी काहिन (ज्योतिषी) के पास जाये, तो उसने उस चीज़ का कुफ़ किया जो मुहम्मद पर उतारा गया» [तिर्मिज़ी: १/२४३, सहीहुल जामेअ: ५६१८]

बहुत सी सुशीला (सलीमुल फ़ितरत) बीवी इससे इनकार करती हैं, मगर बाज़ शौहर उन्हें तलाक़ की धमकी देते हैं अगर वह उनकी बात न मानें। और बाज़ शौहर कभी कभी अपनी बीवी को -जो इस बारे में उलमा से सवाल करने से शरमाती है- यह कहकर धोका तथा भ्रम (वहम) में डाल देते हैं कि यह अमल जायज़ है। और बसा औकात (कभी कभी) अपनी बात की ताईद व समर्थन में अल्लाह तआला का यह फ़रमान पेश करते हैं:

﴿سَأَوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: २२३]

“तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ।” [अल्बकरा: २२३]

हालाँकि यह बात मालूम है कि सुन्नत (हदीस) कुरआन की शरह तथा व्याख्या करती है। इसकी शरह करते हुए नबी ﷺ ने फ़रमाया कि शौहर जैसे चाहे अपनी बीवी से मिले, शर्त यह है कि वह बच्चा पैदा होने की जगह में हो। और यह किसी से मख़फ़ी (गोपन) नहीं कि सुरीन तथा पाख़ाना का रास्ता बच्चा पैदा होने की जगह नहीं है। इस जुर्म के अस्बाब में से हराम अनोखी महारत के साथ -जो गंदी जाहिलियत सभ्यता (तहज़ीब) की देन है-, या फुहश फ़िल्मों की तस्वीरों से भरा ज़ेहन व दिमाग़ के साथ तौबा किए बिना पाक साफ़ इज़्दिवाजी

(वैवाहिक) जिंदगी में प्रवेश करना है। और यह बात मालूम है कि यह काम हराम है, गरचे दोनों सहमत (राज़ी) हूँ, क्योंकि हराम पर उभय पक्ष की सम्मति (तरफ़ैन की रिज़ामंदी) उसे हलाल नहीं कर सकती।



बीवियों के दरमियान इंसाफ़ (न्याय) न करना

अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन में जिन चीज़ों की वसीयत की है, उनमें से एक बीवियों के दरमियान अदल् व इंसाफ़ करना है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: १२९]

“तुमसे यह तो कभी न हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल् व इंसाफ़ करो, गो तुम इसकी कितनी ही ख़ाहिश व कोशिश कर लो। इस लिए बिल्कुल ही एक की तरफ़ झुक कर दूसरी को अधड़ लटकती हुई न छोड़ो। और अगर तुम सुधार कर लो तथा परहेज़गारी अख़्तियार करो तो बेशक अल्लाह तआला माफ़ करने वाला और दया करने वाला है।” {अन्सिा: १२९}

अदल् व इंसाफ़ करने का मतलब यह है कि शौहर अपनी बीवियों के दरमियान रात गुज़ारने, खिलाने-पिलाने और पहनाने में हर एक का हक़ अदा करने में इंसाफ़ करे। दिली मुहब्बत में अदल् व इंसाफ़ करना मुराद नहीं है। क्योंकि दिल बंदे के बस में नहीं है। और बाज़ लोग जिनकी एकाधिक बीवियाँ हैं किसी एक की तरफ़ झुक जाते हैं और दूसरी बीवियों का ख़्याल नहीं रखते हैं। एक ही के पास ज़्यादा रात गुज़ारते हैं, या एक ही पर खर्च करते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा करना हराम है। और ऐसा शख्स कियामत के दिन उस अवस्था में आयेगा जिसका ज़िक्र (उल्लेख) हदीस में यूँ आया है। अबू हरैरा  से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा: नबी  ने फ़रमाया:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ». [رواه أبو داود: ٦٠١/٢، وهو في صحيح الجامع: ٦٤٩١].

«जिसकी दो बीवियाँ हूँ, और वह उन दोनों में से किसी एक की तरफ़ मायल हो, तो वह क़ियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा» {अबू दाऊद: २/६०१, सहीहल जामेअ: ६४६१}



परनारी के साथ निर्जनता (अजनबी औरत के साथ तनहाई में रहना)

शैतान लोगों को फ़िल्ना में डालने और हराम में पतित करने पर बड़ा हरीस (तत्पर तथा लालची) है। इसी लिए अल्लाह तआला ने हमें सतर्क (तम्बीह) करते हुए फ़रमाया:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١]

“ऐ ईमान वालो! शैतान की इत्तिबाअ (अनुसरण) न करो, जो शैतान की पदांक अनुसरण करेगा (क़दम बक़दम चलेगा), तो वह तो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा।” {अन्नूर: २१}

शैतान आदम संतान के रग व रेशे में दौड़ता है। और बुरे कामों में पतित (वाक़ेअ) करने वाले शैतान के रास्तों में से एक अजनबी औरत के साथ तनहाई में रहना है। इसी लिए शरीअत ने इस रास्ता को बंद कर दिया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». [رواه الترمذي: ٤٧٤/٣، انظر مشكاة المصابيح: ٣١١٨].

«कोई आदमी किसी औरत के साथ तनहाई में नहीं होता मगर उन दोनों का तीसरा शैतान होता है» {तिरमिज़ी: ३/४७४, देखें मिश्क़ातुल मसाबीह: ३११८}

और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी ﷺ ने फरमाया:

«لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ». [رواه مسلم: ४/१७११].

«आज के बाद कोई मर्द किसी औरत के पास उसके शौहर की अनुपस्थिति (ग़ैर मौजूदगी) में न जाए, मगर यह कि उसके साथ एक या दो आदमी हो।»
{मुस्लिम: ४/१७११}

अतः किसी मर्द के लिए किसी अजनबी औरत के साथ घर में, या कमरे में या गाड़ी में तनहाई में रहना जायज़ नहीं है, जैसे भाई की बीवी के साथ अथवा नौकरानी के साथ, या किसी बीमार ख़ातून का डाक्टर के साथ रहना इत्यादि।

बहुत से लोग इस मामले में अपने पर या दूसरों पर भरोसा करते हुए सुस्ती से काम लेते हैं, जिसके कारण बुराई में या उसके भूमिका में वाक़ेअ (पतित) होने का सानिहा (हादिसा) सामने आता है, और नस्ल के इख़्तिलात (वंश के संमिश्रण) तथा हराम बच्चों के जनम लेने के दुःखजनक (अफ़सोसनाक) घटनाएं कसरत से (अधिकाधिक) रूनुमा (प्रकट) होते हैं।



अजनबी औरत से मुसाफ़हा करना

यह उन विषयों में से है जिसमें बाज़ समाज का सामाजिक प्रथा (मुआशरती निज़ाम) अल्लाह की शरीअत पर बगावत किया है, और लोगों के बातिल चाल-चलन तथा रस्मो रिवाज अल्लाह के विधान (हुक्म) पर हावी (ग़ालिब) हो गए हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनमें से किसी को शरीअत का हुक्म याद दिलाते हुए हुज्जत कायम करें और दलील पेश करें, तो वह आपको प्राचीनपंथी (पुराने ज़माने का), कट्टरपंथी, संपर्क विच्छेदकारी (नाता-रिश्ता तोड़ने वाला) तथा नेक नियत में संदेह करने वाला कहकर आरोप (इलज़ाम) लगाता है। हमारे समाज में चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, ख़लेरी बहन, भाभी, चाची तथा मामी से मुसाफ़हा करना पानी पीने से भी ज़्यादा आसान हो गया है।

अगर शरई नुक्तए नज़र (दृष्टिकोण) से इस मामले की भयावहता (ख़तरनाकी) पर गौर करते, तो ऐसा करने की हिम्मत न करते। मुस्तफ़ा ﷺ ने फ़रमाया: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» [رواه الطبراني: ٢٠/٢١٢، وهو في صحيح الجامع: ٤٩٢١].

«तुम में से किसी के सर में लोहे की सूई चुभोया जाना इस बात से बेहतर है कि वह किसी ऐसी औरत को छूए जो उसके लिए हलाल नहीं है।» [तबरानी: २०/२१२, सहीहुल जामेअ: ४६२१]

और इसमें कोई शक नहीं कि यह हाथ का ज़िना है, जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي» [رواه الإمام أحمد: ١/٤١٢، وهو في صحيح الجامع: ٤١٢٦].

«दोनों आँखें ज़िना करती हैं, दोनों हाथ ज़िना करते हैं, और दोनों पैर ज़िना करते हैं तथा शर्मगाह ज़िना करती है।» [मुस्नद अहमद: १/४१२, सहीहुल जामेअ: ४१२६] क्या नबी ﷺ से भी ज़्यादा पाक किसी का दिल है? इसके बावजूद आप ﷺ ने फ़रमाया:

«إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ» [رواه الإمام أحمد: ٦/٣٥٧، وهو في صحيح الجامع: ٢٥٠٩].

«बेशक मैं औरतों से मुसाफ़हा नहीं करता।» [मुस्नद अहमद: ६/३५७, सहीहुल जामेअ: २५०६] और आप ﷺ ने यह भी फ़रमाया: «إِنِّي لَا أَمْسُ أَيْدِي النِّسَاءِ» [رواه الطبراني في الكبير: ٢٤/٣٤٢، وهو في صحيح الجامع: १००६، وانظر الإصابة: ٤/३०६، ط. دار الكتاب العربي].

«बेशक मैं औरतों के हाथों को नहीं छूता।» [तबरानी कबीर: २४/३४२, सहीहुल जामेअ: ७०५४, और देखें अलइसाबा: ४/३५४]

इसी तरह आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने फ़रमाया: «وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ» [رواه مسلم: १/६८९].

«नहीं, अल्लाह की कसम! रसूलुल्लाह ﷺ के हाथ ने कभी भी किसी औरत के हाथ को स्पर्श नहीं किया। हाँ आप उनसे जुबान से बैअत (शपथ) लेते थे।»
 {मुस्लिम: ३/१४८६}

सावधान! उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो अपनी नेक बीवियों को तलाक़ की धमकी देते हैं, अगर वह उनके भाईयों से मुसाफ़हा न करें। और यह भी जान लेना चाहिए कि हाथ पर कपड़े आदि रखकर उसके ऊपर से मुसाफ़हा किया जाये या बिना आवरक (पर्दा) के मुसाफ़हा किया जाये, दोनों हालत में वह हराम है।



घर से निकलते समय औरत का खुशबू लगाना तथा सुगंधी लगाकर मर्दों के पास से गुज़रना

यह भी उन चीज़ों में से एक है जो मौजूदा दौर में आ़ाम तथा मुंतशिर है। हालाँकि नबी ﷺ से इस सिलसिले में सख़्त धमकी आई है। आप ﷺ ने फ़रमाया:
 «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ». [رواه الإمام أحمد: ६/६१४, انظر صحيح الجامع: १००/६]

«जो कोई औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुज़रे ताकि वे उसकी खुशबू (सुवास) पायें, तो वह ज़ानिया (व्यभिचारीणी) है।» {मुस्नद अहमद: ४/४१८, देखें सहीहुल जामेअ: १०५}

बाज़ औरतों की ग़फ़लत (अचेतना) अथवा इस विषय को तुच्छज्ञान करने (हल्का समझने) ने ड्राईवर, विक्रेता तथा स्कूल के गेटमैनों के पास इसे आसान बना दिया है। हालाँकि शरीअत ने खुशबू लगाकर घर से निकलने का इरादा करने वाली औरत को जनाबत (अपत्रिता) के गुस्ल की तरह गुस्ल करने का सख़्ती से हुक्म दिया है, गरचे मस्जिद ही जाने का इरादा करे। नबी ﷺ ने फ़रमाया:
 «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا، لَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ». [رواه الإمام أحمد: ६/६६४, २, وانظر صحيح الجامع: १००/२].

«जो कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ निकले, ताकि उसकी खुशबू (सुवास) पाई जाये, तो उसकी नमाज़ उस वक़्त तक क़बूल नहीं होगी जब तक कि वह जनाबत से गुस्ल करने की तरह गुस्ल न कर ले।» {मुस्नद अहमद: २/४४४, और देखें सहीहल जामेअ: २७०३}

शादी ब्याह और औरतों की महफ़िलों तथा उत्सव अनुष्ठानों में निकलने से पहले धूप-धूनी और चंदन की लकड़ी का जो इस्तेमाल होता है; और मार्किटों में, कारों, बसों, ट्रेनों तथा फ़्लाइटों आदि में, मर्द व औरत के संमिश्रण स्थलों (मिलने की जगहों) में, यहाँ तक कि रमज़ान की रातों में मस्जिदों के अंदर जो महक फैलाने वाली खुशबूओं का व्यवहार होता है, उनके बारे में मत पूछिए, इसका शिकवा (अभियोग) अल्लाह ही से है। हालाँकि शरीअत ने बताया कि औरतों की खुशबू वह है जिसका रंग ज़ाहिर हो लेकिन उसकी महक दबी रहे।

हम अल्लाह तआला से सवाल (कामना) करते हैं कि वह हम पर नाराज़ (असंतुष्ट) न हो। और निर्बोध (नासमझ) मर्द व औरतों के कर्मों के कारण नेक मर्द व औरतों का मुआख़ज़ा (पकड़ाव) न करे। और सबको सीधी तथा सच्ची राह दिखाए।



औरत का महरम (शौहर और वह क़रीबी रिश्तेदार जिनके साथ हमेशा के लिए विवाह हराम हो जैसे बाप, भाई, चचा वगैरा) के बिना सफ़र करना

बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». [رواه البخاري: १८६२]

«औरत महरम के बगैर सफ़र न करे।» {बुख़ारी: १८६२}

और यह सारे सफ़रों को अ़ाम तथा शामिल है, यहाँ तक कि हज्ज के सफ़र को भी। बग़ैर महरम के सफ़र करने से फ़ासिकों (पापाचारों) को उसके साथ छेड़छाड़ करने पर उभारता और उकसाता है। और चूँकि वह बेचारी कमज़ोर है, इस लिए वह अपने आपको उनकी ख़ाहिशात के हवाले कर भी सकती है। अथवा कम से कम इतना हो सकता है कि वह अपनी इज़्ज़त व आबरू या मान मर्यादा में सताई जाए। इसी तरह उसका जहाज़ में सवार होने का मसला भी ऐसा ही है, अगरचे कोई महरम उसको बिठाकर आए और दूसरा इस्तिफ़ाल (रीसीव) करे, लेकिन बताएं तो सही कि वह कौन होगा जो उसके बग़ल में बाजू की सीट पर बैठेगा? और अगर कोई अघटन घटने के कारण फ़्लाइट किसी दूसरे एयरपोर्ट में लैंड करे (उतर जाए), या लेट करने के कारण राइट टाइम में न पहुँच सके, तो क्या अवस्था होगा? और ऐसे वाकिआत आये दिन होते रहते हैं। महरम में चार शर्तें पाई जानी चाहिए। और वह यह हैं: यह कि वह मुसलमान हो, बालिग़ (वयस्क) हो, अ़ाक़िल (समझदार) हो और पुरुष हो। जैसाकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«... أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» . [رواه مسلم: 977/2]

«--- या उसका बाप, या उसका बेटा, या उसका शौहर, या उसका भाई होगा, या वह पुरुष होगा जिसके साथ उसकी शादी हमेशा के लिए हराम हो»
[मुस्लिम: 2/499]



अ़मदन (जान बूझकर) अज़नबी औरत की ओर देखना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30]

“मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें, और अपने शर्मगाहों

की हिफ़ाज़त करें। यही उनके लिए पाकीज़गी (पवित्रता) है, लोग जो कुछ करें अल्लाह तआला सबसे बाख़बर (अवगत) है।” {अन्नूर: ३०}

और नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: 26/11].

«आँख का जिना देखना है।» {बुखारी, देखें फ़तुल बारी: 99/26}

यानी उन चीज़ों की ओर देखना जिन्हें अल्लाह ने हराम किया है। अलबत्ता शरई ज़रूरत के तहत देखना जायज़ है, जैसे शादी का पैग़ाम देने वाले का अपनी मँगेतर को और डाक्टर का बीमार औरत को देखना।

इसी तरह औरत का अजनबी मर्द को फ़िल्ना की निगाह से देखना भी हराम है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]

“और ईमानदार औरतों से कह दीजिए कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें।” {अन्नूर: ३१}

अनुरूप किशोर (कम सिन) और खूबसूरत बच्चों को शहवत की निगाह (काम दृष्टि) से देखना भी हराम है। और मर्दों का मर्दों की शर्मगाह की ओर देखना तथा औरतों का औरतों की शर्मगाह की ओर देखना हराम है। और जिस शर्मगाह की ओर देखना हराम है, उसका छूना भी हराम है, अगरचे आवरण (पर्दा) के ऊपर से हो।

शैतान ने बाज़ लोगों को धोका में डाल रखा है कि वह मजल्लों (पत्र-पत्रिकाओं) तथा फ़िल्मों में तस्वीरें देखते हैं, और यह कहकर हुज्जत व दलील पेश करते हैं कि यह तस्वीरें हैं, हकीकत (वास्तव) तो नहीं। हालाँकि इसमें फ़साद तथा कामोत्तेजना (शहवत अंगेज़ी) का जो पहलू है, वह बिल्कुल वाज़ेह तथा स्पष्ट है।



बेगैरती

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالَّذِي يُقْرِ فِي أَهْلِهِ الْخُبْتُ». [رواه الإمام أحمد: ٦٩/٢، وهو في صحيح الجامع: ٣٠٤٧].

«तीन किस्म के लोगों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया है: मुसलसल शराब पीने वाला, वालिदैन का नाफरमान, और ऐसा बेगैरत जो अपने परिवार में ख़बासत (बुराई) देखकर ख़ामोश रहता है» {मुस्नद अहमद: २/६६, सहीहुल जामेअ: ३०४७}

मौजूदा दौर में बेगैरती की चंद सूरतें: घर में बेटी या बीवी को अजनबी आदमी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए देखकर ख़ामोश रहना। अपने घर की किसी औरत को किसी अजनबी मर्द के साथ तनहाई में देखते हुए भी कुछ न कहना। इसी तरह घर वालों में से किसी औरत को किसी अजनबी मर्द जैसे ड्राइवर वगैरा के साथ गाड़ी में अकेली जाने देना। शरई पर्दा के बगैर उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त देना कि वह जाने आने वालों के नज़्ज़ारा (दर्शन) के शिकार बनें। अनुरूप फ़िल्ना-फ़साद तथा बेहयाई व उरयानियत (नग्नता) फैलाने वाले मजल्ले (पत्र-पत्रिकाएं) और फ़िल्में घर में लाना।



बच्चे का अपने आपको अपने बाप के अ़लावा की ओर मंसूब करने में झूट का सहारा लेना तथा आदमी का अपने बच्चा का इनकार करना

शरीअत में किसी मुसलमान का अपने आपको अपने बाप के अ़लावा की ओर मंसूब करना तथा अपने आपको उस जाति (क़ौम) के साथ संयोजन करना (मिलाना) जिस में से वह नहीं है जायज़ नहीं है। बाज़ लोग माली फ़ायदे की

खातिर यह काम करते हैं, और सरकारी कागज़ात (पेपरों) में झूटा नसब साबित करते हैं। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं अपने बाप से नफ़रत करते हुए जिसने उसे उसके बचपन में छोड़ दिया था। हालाँकि यह सब कुछ हराम है। इसके कारण विभिन्न विषय (मुख्तलिफ़ उमूर) में बड़ी बड़ी समस्यायें दिखाई देती हैं, जैसे महरम, निकाह तथा मीरास आदि के मसाएल। सहीह बुख़ारी में सअद और अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस में आया है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مِن ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٤٥/٨].

«जो शख्स जानते हुए दूसरे के बाप होने का दावा करे उस पर जन्नत हराम है» [बुख़ारी, देखें फ़तहल बारी: ८/४५]

हर वह विषय जिसमें नसब तथा वंश के साथ खेला जाए, अथवा उसमें झूट का सहारा लिया जाए हराम है। बाज़ शौहर अपनी बीवी से झगड़ते हुए बिना किसी दलील व प्रमाण के उस पर ज़िना की तुहमत देते हैं, और अपने बच्चे के बारे में कहते हैं कि वह मेरा बच्चा नहीं है, हालाँकि वह उसी के बिस्तर पर जनम लिया है। और बाज़ औरतें अमानत की ख़ियानत करते हुए ज़िना से हामिल (गर्भवती) होती हैं, और (बच्चा जनकर) अपने शौहर के नसब में शामिल (दाख़िल) करा देती हैं जो हक़ीकत में उससे नहीं है। इस बारे में हदीस में सख़्त सज़ा की बात आई है। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि जब लिअान की आयत नाज़िल हुई तब उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना कि:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ ادَّخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». [رواه أبو داود: ٦٩٥/٢، انظر مشكاة المصابيح: ٢٣١٦].

«जो कोई औरत किसी क़ौम (वंश) में (बच्चे को) दाख़िल (शामिल) करा दे जो उस में से नहीं है, तो वह अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं पाएगी, तथा अल्लाह उसे अपनी जन्नत में हरगिज़ दाख़िल नहीं करेगा। और जो व्यक्ति

अपने बच्चे का इंकार करे हालाँकि वह उसकी तरफ ताकता है, तो अल्लाह तआला उससे आड़ कर लेगा, तथा उसे अगलों पिछलों के सामने रुस्वा (लांछित) करेगा ﴿ {अबू दाऊद: २/६६५, देखें मिश्कातुल मसाबीह: ३३१६}



सूदखोरी

अल्लाह तआला ने अपनी किताब में सूदखोरों के अलावा किसी और के साथ युद्ध घोषणा (जंग का एलान) नहीं किया है। अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ﴾ [البقرة: २७८-२७९]

“ऐ ईमानवालो! अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमानवाले हो। अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।” {अलबकरा: २७८, २७९}

अल्लाह के पास इस जुर्म के निन्दनीय तथा जघन्य (कबीह) होने के लिए उक्त धमकी ही काफी है।

अवाम तथा मुल्क पर गौर करने वाला यह प्रत्यक्ष करेगा (देखेगा) कि सूदी कारोबार ने उन्हें किस तरह हलाक व बरबाद किया है। गुर्बत व इफ़लास (दरिद्रता व निर्धनता) का पाया जाना, तिजारत का मंदा तथा ठप पड़ जाना, कर्ज़ अदा करने से अज़िज़ (असमर्थ) होना, आर्थिक (इक़तिसादी) पतन, बेरोज़गारी की अधिकता, बहुत सी कम्पनियों तथा संस्थाओं का दिवालिया होना, रोज़ाना की सख़्त मेहनत की कमाई तथा पसीना बहा कर अर्जित राशि लामुतनाही (अपार) सूद की अदाएगी की खातिर सूदखोर को देना, समाज में तबक़ा बन्दी (वर्गीकरण) का वजूद में आना, जिसके नतीजा में अढेल संपद समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में सीमावद्ध (महदूद) होकर रह जाता है। इन सबका कारण

अभिशप्त (मलऊन) सूद है। और शायद उल्लिखित सूरतें ही जंग के कुछ कारण हैं जिसकी अल्लाह तआला ने सूदी कारोबारियों को धमकी दी है।

सूदी मामला में शरीक हर व्यक्ति चाहे लेने वाला हो या देने वाला, और चाहे एजेंट हो या सहायक व सहयोगी, सबके सब मुहम्मद ﷺ की जुबानी अभिशप्त हैं।
 عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». [رواه مسلم: १२१९/३]

जाबिर र. से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा: «अल्लाह के रसूल ﷺ ने सूद खाने वाले, उसके खिलाने वाले, उसके लिखने वाले तथा उसके दोनों गवाहों पर लानत की है।» और आपने फरमाया: «वह सब बराबर हैं।» [मुस्लिम: ३/१२१६]

अतः सूद के बारे में लिखने, उसके फिक्स (निर्धारण) करने, खाता-पत्र नियंत्रण करने, उसके लेने तथा देने, उसके डिपोजिट (जमा) करने तथा उसकी गार्डिंग (निगरानी) करने की नोकरी करना हराम (नाजायज़) है। सारांश (खुलासा) यह है कि उसमें हिस्सा लेना तथा हाथ बटाना किसी भी रूप में हो हराम है।

नबी ﷺ ने इस महा पाप की निकृष्टता (क़बाहत) बयान करते हुए अब्दुल्लाह बिन मसऊद र. से मरवी (वर्णित) हदीस में फरमाया:

«الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَتَّخِجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ». [رواه الحاكم في المستدرک: २/२७, وهو في صحيح الجامع: ३०२३]

«सूद के तिहत्तर दरवाजे हैं, उनमें सबसे कमतर आदमी का अपनी माँ से शादी करने की तरह है, और सबसे बड़ा मुस्लिम आदमी की इज़्ज़त व आबरू (पर हमला करना) है।» {मुस्तदरक हाकिम: २/३७, सहीहुल जामेअ: ३५३३} इसी तरह अब्दुल्लाह बिन हन्ज़ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हदीस में फरमाया:

«دَرَاهِمُ رَبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً». [رواه الإمام أحمد: २२०/०, انظر صحيح الجامع: ३२७०]

«आदमी का जान बूझ कर सूद का एक दिरहम खाना छत्तीस मरतबा ज़िना करने से भी सख्त (गुनाह) है।» {मुस्नद अहमद: ५/२२५, सहीहुल जामेअ: ३३७५}

सूद की हुर्मत (निषिद्धि) अ़ाम है, मालदार और ग़रीब के लिए ख़ास नहीं है, जैसाकि बाज़ लोग ख़्याल करते हैं, बल्कि उसकी हुर्मत हर हाल में और हर शख़्स के लिए है। (यानी चाहे मालदार और मालदार के दरमियान हो या मालदार और ग़रीब के दरमियान हो।) प्रत्यक्ष (वाक़ेअ़) इस बात का गवाह है कि कितने मालदार और बड़े बड़े व्यवसायी (ताजिर) इसके कारण मुफ़लिसी के शिकार हुए। सूद की न्यूनतम क्षति (कम से कम नुक़सान) यह है कि वह माल की बरक़त को ख़त्म कर देता है, गरचे माल देखने में ज़्यादा लगे। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«الرِّبَا وَإِنْ كُتِرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ». [رواه الحاكم: ۲/۳۷، وهو في صحيح الجامع: ۳۵۴۲]

«सूद गरचे (देखने में) ज़्यादा लगे, लेकिन उसका नतीजा (परिणाम) माल का घटाव है।» {हाकिम: २/३७, सहीहुल जामेअ़: ३५४२} इसी तरह सूद चाहे उसकी मिक़दार (परिमाण) हाई हो या लो, ज़्यादा हो या कम, सबके सब हराम है। सूदख़ोर क़ियामत के दिन क़ब्र से उठाया जाएगा इस हाल में कि वह खड़ा होगा जैसे कि वह खड़ा होता है जिसे शैतान लग कर पागल बना देता है।

यह जुर्म निन्दनीय तो है लेकिन अल्लाह तआला ने सूदख़ोरों को इससे तौबा करने का हुक्म दिया तथा उसकी कैफ़ियत का बयान करते हुए फ़रमाया:

﴿وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: २७९]

“और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा अस्त माल (मूलधन) तुम्हारा ही है, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए।” {अल्बकरा: २७९} और यह सरापा इंसाफ़ है।

ज़रूरी है कि मुमिन का दिल इस महा पाप से घृणा तथा नफ़रत करे और इसकी निकृष्टता का अनुभव (क़बाहत का इहसास) करे, यहाँ तक कि वह लोग जो पैसों के नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने के डर से मजबूरन (बाध्य होकर) सूदी बैंकों में रखते हैं, उन्हें यह शुज़र तथा इहसास होना चाहिए कि वह उसमें बाध्य होकर ही उसे रखते हैं, और यह कि वह उस शख़्स के मानिंद है जो मुर्दार खाता है या उससे भी बुरा। अतः वह अल्लाह तआला से इस्तिग़फ़ार (माफ़ी तलब) करें और

जहाँ तक मुमकिन हो इसका बदील (विकल्प) तलाश करते रहें। उनके लिए बैंकों से सूद का मुतालबा (अभियाचन) करना जायज़ नहीं है, बल्कि अगर उनके एकाउंट में सूद के पैसे रख दिये जाएं तो उनसे जान छुड़ाने के लिए किसी भी जायज़ रास्ते में खर्च कर दें, सदका की नियत से नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला पाक-पवित्र है, वह पाक-पवित्र ही को क़बूल फ़रमाता है। और उनके लिए जायज़ नहीं है कि वह उससे किसी भी तरह फ़ायदा उठायें, न खाने में, न पीने में, न पहनने में, न सवारी में, न रिहाइश में, न बीवी बच्चों या वालिदैन में खर्च करने में, न ज़कात निकालने में, न टैक्स अदा करने में और न अपने से जुल्म को दूर करने में। बल्कि अल्लाह तआला की पकड़ के डर से किसी दूसरे रास्ते में खर्च करके अपनी जान छुड़ाएगा।



सामान (सामग्री) का ऐब छिपाना और बेचते समय उसे न बताना

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: «أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».

[رواه مسلم: ٩٩/١]

अल्लाह के रसूल ﷺ ने खाने के एक ढेर के पास से गुज़रते हुए उसमें अपना हाथ दाखिल किया, तो आपकी उँगलियों ने उसे भीगा हुआ पाया, तो आपने फ़रमाया: «ऐ गुल्ला के मालिक! यह क्या है?» उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसे बारिश पहुँच गई थी। तो आप ﷺ ने फ़रमाया: «तुमने उसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि लोग देख लें, जो धोका दे वह हम में से नहीं है।» [मुस्लिम: १/६६]

आज कल बहुत सारे विक्रेता (बिक्री करने वाले) जो अल्लाह से नहीं डरते हैं सामान पर स्टीकर लगा देते हैं, या उसे कार्टून के बिल्कुल नीचे रख देते हैं, या केमिकल आदि इस्तेमाल करते हैं जिससे सामान अच्छी शक्ल में दिखता है अथवा शुरू में इंजन में मौजूद ऐब की आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती है, लेकिन जब कस्टमर उसे ले आते हैं तो बहुत जल्द ही खराब हो जाता है। और बाज़

विक्रेता सामान की मुदत ख़त्म होने की तारीख़ (एक्सपायर डेट) चेंज कर देते हैं, या कस्टमर को उसके देखने, चेक करने या टेस्ट करने से रोकते हैं। और बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ तथा आलात (मशीनरी चीज़ें) बेचते हैं उनके ऐबों को नहीं बताते हैं, हालाँकि इस तरह से बेचना हराम है। नबी ﷺ ने फ़रमाया: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ». [رواه ابن ماجة: ۷۵۴/۲، وهو في صحيح الجامع: ۶۷۰۵]

«मुसलमान मुसलमान का भाई है, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वह सामान में मौजूद ऐब के बताने से पहले अपने किसी भाई से उसे बेचे» [इब्नु माजा: २/७५४, सहीहलु जामेअ: ४७०५]

और कुछ लोग यह गुमान करते हैं कि प्रकाश्य निलाम में सिर्फ़ इतना कह देने से उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि --मैं लोहे का ढेर बेच रहा हूँ-- लोहे का ढेर। इस प्रकार की बिक्री से बरकत उठा ली जाती है, जैसाकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِصَّتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا». [رواه البخاري، انظر الفتح: ۲۲۸/۴]

«क्रेता व विक्रेता दोनों को अपना ख़रीद व फ़रोख़्त (क़य विक़य) उस समय तक फ़स्ख़ (बातिल) करने का अधिकार प्राप्त (हक़ हासिल) है जब तक वह एक दूसरे से जुदा न हो जायें। अगर उन दोनों ने सच कहा और बयान कर दिया तो उनके लिए उनके ख़रीद व फ़रोख़्त में बरकत दी जाती है। और अगर झूट बोलें तथा छिपायें तो उनके ख़रीद व फ़रोख़्त की बरकत मिटा दी जाती है» [बुखारी, देखें फ़हलु बारी: ४/३२८]



दलाली करना

दलाल वह व्यक्ति है जिसे ख़रीदने की इच्छा नहीं होती, पर दूसरों को धोका देने

के लिए सामान का दाम बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, ताकि हकीकत में ख़रीदने वाले को अधिक मूल्य की ओर खींच ले आए। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا تَنَاجَشُوا». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١٠/٤٨٤]

«तुम लोग दलाली न करो।» [बुख़ारी, देखें फ़तुह बारी: १०/४८४]

और इसमें कोई शक नहीं कि यह भी एक किस्म का धोका है। नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

«الْمَكْرُ وَالْحَدِيثُ فِي النَّارِ». [انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١٠٥٧]

«प्रतारक (मक्कार) और धोकेबाज़ का ठिकाना जहन्नम है।» [सिलसिलतुल अहादीसुससहीहा: १०५७]

हराज (पब्लिक सेल), निलास घर तथा गाड़ियों के मार्किट में काम करने वाले बहुत सारे दलालों की कमाई ख़बीस तथा हराम होती है, क्योंकि वह वहाँ कई हराम काम का इर्तिकार करते हैं, जैसे उनका आपस में मूल्य ज़्यादा करने पर इत्तिफ़ाक़ कर लेना, कस्टमर को ख़रीदने पर आकृष्ट (मुग्ध) करना या बेचने के लिए आने वालों के सामान का दाम घटा कर उन्हें धोका देना। बर ख़िलाफ़ (पक्षांतर) इसके अगर सामान उनका या उनमें से किसी का होता है तो मामला इसका बर अक्स (विपरीत) होता है यानी वह ग्राहकों के सफ़ों में ठहर कर निलास में उसकी कीमत ख़ूब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इस तरह वह अल्लाह के बंदों को धोका देकर नुक़सान पहुँचाते हैं।



जुमुआ की दूसरी अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त (क्रय-विक्रय) करना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ [الجمعة: ٩]

“ऐ वह लोगो जो ईमान लाये हो! जुमुआ के दिन जब नमाज़ की अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ पड़ो और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।” {अलजुमुआ: ६}

कुछ लोग दूसरी अज़ान के बाद भी अपनी दूकानों में या मस्जिदों के सामने बेचने में लगे रहते हैं, और उनके साथ गुनाह में वह लोग भी शरीक होते हैं जो उनसे ख़रीदते हैं, चाहे मिस्वाक ही क्यों न हो। राजेह कौल के मुताबिक़ (प्राबल्य उक्ति अनुसार) यह ख़रीद व फ़रोख़्त बातिल है।

और कुछ होटल, बैकरी तथा फ़ैक्टरी वाले अपने कारकुनों (कर्मचारीयों) को जुमुआ की नमाज़ के समय भी काम करने पर मजबूर (वाध्य) करते हैं। बज़ाहिर (देखने में) उनका फ़ायदा ज़्यादा तो होता है लेकिन हक़ीक़त में वह घाटे ही से दोचार होते हैं। अलबत्ता कर्मचारी को चाहिए कि वह नबी ﷺ के इस फ़रमान:

«لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ». [رواه الإمام أحمد: ١٢٩/١، وقال أحمد شاکر: إسناده صحيح، رقم:

١٠٦٥، أصل الحديث في الصحيحين (ز)]

«अल्लाह की नाफ़रमानी में किसी इंसान की फ़रमाबरदारी नहीं की जाएगी»

{मुस्नद अहमद: १/१२६, अहमद शाकिर ने कहा: इसकी सनद-सूत्र सहीह है, हदीस नम्बर: १०६५, अल्लामा इब्ने बाज़ ने फ़रमाया: हदीस का अस्ल बुख़ारी व मुस्लिम में है} के अनुसार काम करे।



जुआ

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تَقْلِحُونَ ﴿ [المائدة: ९०]

“ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब तथा जुआ और थान (मूर्तियों के स्थान) तथा फ़ाल निकालने के पाँसे के तीर यह सब गंदी बातें शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो, ताकि तुम फ़लाह याब (सफल) हो जाओ।” {अल्माइदा: ६०}

दौरे जाहिलियत (इस्लाम की स्थापना के पहले के काल) में लोग जुआ खेला करते थे। उनके नज़दीक इसकी मशहूर शक्तों में एक यह थी कि दस लोग बराबर शरीक होकर एक ऊँट ख़रीदते, फिर कुरआ अंदाज़ी (लॉटरी) करते, उनमें से सात लोगों को उनके उर्फ़ के अनुसार नियुक्त मुख़्तलिफ़ (तैनात किया हुआ भिन्न भिन्न) हिस्सा मिलता था, और बाकी तीन लोग कुछ नहीं पाते थे। दौरे हाज़िर (वर्तमान काल) में जुआ की बहुत सारी शक्तें हैं, उनमें से चंद यह हैं:

❁ लॉटरी, इसकी भी कई सूरतें हैं। मशहूर सूरतों में से एक यह है कि पैसों से नम्बर ख़रीदे जाते हैं, फिर उनमें लॉटरी करके पहले, दूसरे, तीसरे --- विजेता को तरतीबवार मुख़्तलिफ़ किस्म के इनआमात से नवाज़ते हैं (क्रमानुसार विभिन्न प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं)। यह हराम है, अगरचे लोग इसे अपने तई ख़ैरी (कल्याणमूलक) काम का नाम देते हैं।

❁ कोई ऐसा सामान ख़रीदे जिसके अंदर नामालूम (अज्ञात) कोई चीज़ हो, या सामान ख़रीदते समय कोई नम्बर दिया जाता है, फिर लॉटरी करके विजेताओं की तहदीद (निर्धारण) की जाती है और उन्हें इनआम दिया जाता है।

❁ बीमा (इंशूरेन्स): जैसे लाइफ़ इंशूरेन्स (जीवन बीमा), गाड़ी इंशूरेन्स, गुड्स इंशूरेन्स (द्रव्य बीमा), फ़ायर इंशूरेन्स, शामिल (कमप्लीट) इंशूरेन्स तथा दूसरे के ख़िलाफ़ इंशूरेन्स इत्यादि इत्यादि यहाँ तक कि बाज़ गायक (गााने वाले) अपनी आवाज़ों का भी इंशूरेन्स करवाने लगे हैं। {इंशूरेन्स का हुक़म और उसका इस्लामी बदील (विकल्प व्यवस्था) के बारे में जानने के लिए 'अरिआसतुल आम्मा लिइदारातिल बुहूसुल इल्मिया' से प्रकाशित 'मजल्लतुल बुहूसिल इस्लामिया' संख्या 99, 9६ और २० देखें}

यह और इस तरह की तमाम सूरतें जुवे में शामिल हैं। हमारे दौर में तो जुआ के लिए ख़ास क्लब भी मौजूद हैं जिनमें इस महा पाप के इर्तिकाब के लिए स्पेशल ग्रीन टेबुल (विशेष रूप की हरी मेज़ें) होती हैं। इसी तरह जुआ ही की किस्मों में से है जो फुटबॉल वगैरा के मैचों में बाज़ियाँ रखी जाती हैं, जैसे कि

बाज़ खेलन की दूकानों तथा मनोरंजन केंद्रों (तफरीही मकामात) में खेल की ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो जुआ को शामिल हैं, जिसे 'फ्लीबर्ज' का नाम देते हैं।

❁ रहे प्रतियोगिता तथा मुक़ाबला तो उनकी तीन किस्में हैं:

❶ जिसका कोई शर्ई मक़सद हो, तो यह पुरस्कार के साथ तथा बिना पुरस्कार के दोनों तरह जायज़ है, जैसे ऊँट तथा घोड़ा रेस प्रतियोगिता और तीर अंदाज़ी तथा निशानाबाज़ी का मुक़ाबला। राजेह कौल के मुताबिक़ इल्मे शरई (प्राबल्य मतानुसार धार्मिक ज्ञान) का प्रतियोगिता -जैसे कुरआन हिफ़ज़ प्रतियोगिता- इसी के अंतर्गत (शामिल) है।

❷ जो स्वभावत (बज़ाते खुद) जायज़ हो -जैसे फुट बॉल मैच और रेस कम्पिटेशन (दौड़ प्रतियोगिता)-, और जो मुहरमात (निषिद्ध चीज़ों) -जैसे नमाज़ ज़ाये तथा नष्ट करना और शर्मगाह खोलना- से ख़ाली हो, तो यह बग़ैर पुरस्कार के जायज़ है।

❸ जो स्वभावत हराम हो या हराम तक पहुँचाने का वसीला (माध्यम) हो, जैसे गंदगी और फ़साद फैलाने वाला प्रतियोगिता जिसका नाम दिया जाता है 'विश्व सुंदरी प्रतियोगिता', या मुक्केबाज़ी (फाइटिंग) का मुक़ाबला जिसमें चेहरों पर मारा जाता है -जो कि हराम है-, या सींग वाले जानवरों तथा मुर्गों को आपस में लड़ाना वग़ैरा।



चोरी

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38]

“चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका

जो उन्होंने किया, अज़ाब अल्लाह की तरफ़ से, और अल्लाह तआला कुव्वत व हिक्मत (शक्ति व प्रज्ञा) वाला है।” [अल्माइदा: ३८]

चोरी के महा अपराधों (अज़ीम जराएम) में से हज्ज व उमरा की गर्ज से अल्लाह के घर काबा को आए हुए लोगों के माल-सामग्री चोरी करना है। इस किस्म के चोर सबसे अफ़ज़ल सरज़मीन (सर्वश्रेष्ठ भूमि) तथा अल्लाह के घर के आसपास चोरी करके अल्लाह के हुदूद को बेदरेग़ (सीमाओं को निःसंकोच) पार कर जाते हैं। नबी ﷺ ने सूरज गरहन की नमाज़ पढ़ाते समय जहन्नम के दर्शन का उल्लेख करते हुए फ़रमाया:

«لَقَدْ جِئَءَ بِالنَّارِ، وَذَلَّكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمَحْجَنِ يَجْرُ قُصْبَهُ [أَمْعَاءَهُ] فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمَحْجِنِهِ، فَإِنْ فَطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَحْجِنِي، وَإِنْ غُضِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ» . [رواه مسلم: १०٤]

«उस समय मेरे सामने (जहन्नम की) आग हाज़िर की गई थी जब तुम लोगों ने मुझे पीछे हटते हुए देखा था, (और मैं पीछे हटा था) इस डर से कि उसकी तमाज़त (लूका) मुझे न लग जाए। और मैंने उसमें लाठी वाले आदमी को देखा जो आग में अपनी आँतों को खींच रहा था। वह अपनी लाठी द्वारा हाजियों के माल-सामग्री चुराता था, अगर पकड़ा जाता तो कहता कि मेरी लाठी में फँस गया था, और अगर पता न चलता तो सामान लेकर भाग जाता।» [मुस्लिम: ६०४]

अज़ीम (बड़ी) चोरियों में से साधारण माल-सामान (सरकारी चीज़ों) का चुराना है। और कुछ वह लोग जो ऐसा करते हैं कहते हैं कि जैसे दूसरे लोग चुराते हैं वैसे ही हम भी चुराते हैं, हालाँकि उनको पता नहीं कि यह सारे मुसलमानों का माल चुराना है, क्योंकि साधारण संपद सारे मुसलमानों की मिलकियत होती है। अल्लाह से न डरने वालों के अमल (कर्म) को दलील बना कर उनकी तक्लीद (अनुसरण) करना जायज़ नहीं है।

और बाज़ लोग काफ़िरों का माल यह बुनियाद बना कर चुराते हैं कि वह काफ़िर हैं, जबकि यह सही नहीं है, क्योंकि जिन काफ़िरों का माल छीनना जायज़ है

वह वह काफ़िर हैं जो मुसलमानों से लड़ते हैं, उनकी तमाम कम्पनियाँ और जन (अफ़राद) इसमें शामिल नहीं हैं।

और जेब कतरना (पॉकट मारना) चोरी में शामिल है। बाज़ लोग दूसरों के घर मेहमान बन कर जाते हैं और चोरी करते हैं, और बाज़ लोग मेहमान का माल चुराके उनकी थैली ख़ाली कर देते हैं। बाज़ लोग दूकानों में प्रवेश करके अपने जेबों तथा कपड़ों में कोई सामान छिपा लेते हैं। इसी तरह बाज़ औरतें भी अपने कपड़ों के नीचे कुछ छिपा लेती हैं। और बाज़ लोग छोटी मोटी या सस्ती चीज़ें चुराने को हल्का तथा मामूली समझते हैं, हालाँकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ». [رواه البخاري،

انظر فتح الباري: ٨١/١٢]

«अल्लाह की लानत (अभिशाप) उस चोर पर जिसका हाथ अंडा चोरी करने के जुर्म में काट दिया जाता है, और (उस पर भी अल्लाह की लानत हो) जिसका हाथ रस्सी चोरी करने के जुर्म में काट दिया जाता है» [बुख़ारी, देखें फ़तुल बारी: १२/८१]

हर चोर पर -जिसने कुछ भी चोरी किया हो- वाजिब है कि वह अल्लाह तआला से तौबा करने के साथ साथ चोरी किया हुआ माल उसके मालिक को वापस करे, चाहे खुले तौर पर वापस करे या छिपा कर, खुद वापस करे या किसी के ज़रीया, सब बराबर है। अगर बहुत कोशिश के बाद भी माल के मालिक तक या उसकी मौत के बाद उसके वारिसीन (उत्तराधिकारियों) तक पहुँचना नामुमकिन (असंभव) हुआ तो वह माल उसकी तरफ़ से सदका कर देगा इस नियत से कि उसका सवाब माल के मालिक को पहुँचे।



रिश्वत लेना तथा देना

हक़ तथा सत्य को बातिल करने या बातिल को रिवाज देने की गर्ज़ से काज़ी या लोगों के दरमियान फ़ैसला करने वाले (जज-विचारक) को रिश्वत देना जुर्म

तथा अपराध है, क्योंकि यह अन्याय-अविचार की ओर ले जाती है तथा इससे हकीकी हक्दार पर जुल्म होता है, और इससे फ़ित्ना-फ़साद फैलता है। अल्लाह तअ़ाला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]

“और तुम लोग एक दूसरे का माल नाहक़ न खाया करो, और न हाकिमों को रिश्वत पहुँचा कर किसी का कुछ माल जुल्म व सितम से अपना लिया करो, हालाँकि तुम जानते हो।” {अल्बकरा: 9८८}

अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

﴿لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ﴾. [رواه الإمام أحمد: 2/287، وهو في صحيح الجامع: 5069]

«फ़ैसला करने-कराने में रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है।» [मुस्नद अहमद: २/३८9, सहीहुल जामेअ: ५०६९]

हाँ अगर अपना जायज़ हक़ हासिल करने या जुल्म प्रतिरोध (दूर) करने के लिए रिश्वत देनी पड़े और हाल यह हो कि इसके बग़ैर कोई चारा नहीं तो यह मज़क़ूरा वईद (उल्लिखित धमकी) में दाख़िल नहीं होगा।

मौजूदा दौर (वर्तमान युग) में रिश्वत व्यापक रूप से (बहुत ज़्यादा) फैल गई है, यहाँ तक कि बाज़ नौकरी करने वालों की आमदनी का ज़रीया उनकी तनखाहों से ज़्यादा यही बन गई है, बल्कि बहुत सी कम्पनियों के बजट में यह रिश्वत मुबहम (अस्पष्ट) नामों से एक बंद (विभाग) क़रार पाई है, अधिकतर मामले न इसके बग़ैर शुरू होते हैं और न इसके बिना ख़त्म होते हैं। नतीजा यह निकलता है कि इसकी वजह से फ़कीरों को काफ़ी नुक्सान का सामना करना पड़ता है और इसी के कारण बहुत सी ज़िम्मेदारियों की अदाएगी में अनियम तथा बिगाड़ देखा जाता है। रिश्वत ही कर्मचारियों का मालिक के काम में ख़राबी पैदा करने का सबब है। बेहतरीन सर्विस उसी को मिलती है जो रिश्वत देता है, और जो नहीं देता है; तो या उसकी

ख़िदमत अच्छी तरह नहीं की जाती है या उसका मामला तूल पकड़ लेता है या उसका बिल्कुल ख़्याल नहीं किया जाता है। रिश्वत देने वाले जो बाद में आते हैं अपना काम उन लोगों से बहुत पहले निमटा ले जाते हैं जो रिश्वत नहीं देते हैं। रिश्वत ही के सबब होता यह है कि वह माल जो मालिक का हक़ और अधिकार था, मंदूबों (प्रतिनिधियों) के जेब में चला जाता है। इन कारणों की बुनियाद पर नबी करीम ﷺ की जुबानी इस जुर्म में प्रत्यक्ष या परोक्ष (डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट) रूप से शरीक (हिस्सेदार) हर व्यक्ति के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम (वंचित) रहने की बहुआ करना कोई अज़ब (आश्चर्य) की बात नहीं। अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ» . [رواه ابن ماجة: ٢٣١٣، وهو في صحيح الجامع: ٥١١٤]

«रिश्वत लेने और देने वालों पर अल्लाह की लानत (अल्लाह की रहमत से दूरी) हो» {इब्ने माजा: २३१३, सहीहुल जामेअ: ५११४}



ज़मीन ग़स्ब (अपहरण) करना

जब अल्लाह का डर मादूम (लुप्त) हो जाता है तब शक्ति तथा बहाने इंसान के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जिन्हें वह जुल्म के कामों -जैसे दूसरों पर हाथ उठाना और उनके मालों पर नाजायज़ कब्ज़ा करना- में इस्तेमाल (प्रयोग) करता है। और ज़मीन ग़स्ब करना इसी के ज़िम्न (अंतर्गत) में आता है, जिसकी सज़ा बेहद कठिन तथा कटोर (सख़्त) है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بَغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ» . [رواه البخاري،

انظر الفتح: ١٠٣/٥]

«जिसने नाहक़ किसी की थोड़ी सी भी ज़मीन ले ली तो क़ियामत के दिन सात तबक़ ज़मीनों तक उसे धसाया जाएगा» {बुख़ारी, देखें फ़तुहल बारी: ५/१०३}

और याला बिन मुरी رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَفَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفَرَهُ [في الطبراني: يُحْضِرُهُ] حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ، ثُمَّ يُطَوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». [رواه الطبراني في الكبير: ٢٢٠/٢٢، وهو في صحيح الجامع: ٢٧١٩]

«कोई भी आदमी अगर नाहक किसी की एक बालिशत (बिघत) ज़मीन भी ले ले तो अल्लाह तआला उसे सात तबक ज़मीन तक ज़मीन का यह हिस्सा खोदने पर (तबरानी में है: उसे हाज़िर करने पर) मुकल्लफ़ (वाध्य) करेगा, फिर क़ियामत के दिन उसे उसके गले में तौक बना कर लटका दिया जाएगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए» {तबरानी कबीर: २२/२७०, सहीहुल जामेअ: २७१६}

ज़मीन की मेंड बदल करके तथा उसकी सीमापहरण (चिन्ह मिटा) करके अपनी ज़मीन बग़ल की ज़मीन से वसीअ (प्रशस्त) कर लेना इसी में शामिल है। और इसी की ओर नबी ﷺ के निम्नलिखित फ़रमान से इशारा किया गया है:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ». [رواه مسلم بشرح النووي: १३/१६१]

«ज़मीन की मेंड बदलने वाले पर अल्लाह की लानत (अल्लाह की रहमत से दूरी) हो» {मुस्लिम नववी की व्याख्या के साथ: १३/१४१}



सिफ़ारिश करने के कारण हदिया कबूल करना

लोगों में मान-मर्यादा (इज़्ज़त व मरतबा) अल्लाह की नेमतों में से है अगर बंदा इस पर उसका शुक्र अदा करे। और इस पर शुक्र यह है कि वह इसे मुसलमानों के फ़ायदे के लिए सर्फ़ (व्यय) करे। और यह नबी ﷺ के इस आ़ाम फ़रमान (साधारण वाणी) में दाख़िल है:

«مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ». [رواه مسلم: १७२६/६]

«तुम में से जो अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाने की ताक़त रखता है तो चाहिए कि वह ऐसा करे।» {मुस्लिम: ४/१७२६}

और जो व्यक्ति अपनी जाह व हशमत (वैभव-शानशौकत) द्वारा ख़ालिस (विशुद्ध) नियत के साथ अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाये, उस पर से जुल्म हटा कर या उसके लिए कोई भलाई ला कर, इस तरह कि न वह कोई हराम काम करे और न किसी पर जुल्म व ज़्यादती करे, तो वह अल्लाह के पास अज़्र व सवाब का हक़दार (अधिकारी) होगा। जैसे कि इस बारे में नबी ﷺ का फ़रमान है:

«اشْفَعُوا تَوْجَرُوا». [رواه أبو داود: ५१२२، والحديث في الصحيحين، فتح الباري: १०/६०، كتاب الأدب،

باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً]

«सिफ़ारिश करो तुम्हें अज़्र व सवाब मिलेगा।» {अबू दाऊद: ५१२२, यह हदीस बुख़ारी और मुस्लिम में है, फ़तहूल बारी: १०/४५०, अध्याय: अदब, परिच्छेद: मोमिनों का आपस में एक दूसरे का सहायता करना}

लेकिन इस शिफ़ाअत और वास्ता (मध्यस्थता) पर विनिमय (बदल) लेना नाजायज़ है। इसकी दलील अबू उमामा رضي الله عنه से मरवी (वर्णित) हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً (عَلَيْهَا) فَقبلَهَا (مِنْهُ)، فَقَدْ آتَى أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». [رواه الإمام أحمد: २६१/५، وهو في صحيح الجامع: ६२६२]

«जिसने किसी के लिए सिफ़ारिश की, पस उसने उसे इस पर हदिया पेश किया और उसने उसे क़बूल कर लिया, तो वह सूद के बड़े द्वारों में से एक द्वार के पास आ गया।» {मुस्नद अहमद: ५/२६१, सहीहूल जामेअ: ६२६२}

कुछ लोग अपनी जाह व हशमत (वैभव-शानशौकत) को माल के विनिमय (बदले) पेश करते हैं। किसी को कोई नौकरी दिलाने, किसी का ओहदा बढ़ाने (प्रमोशन कराने), किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफ़र (मुंतक़िल) कराने या किसी बीमार के इलाज (चिकित्सा) का इंतज़ाम (व्यवस्था) करने इत्यादि पर माल की शर्त लगाते हैं। राज़िह क़ौल के मुताबिक़ (प्राबल्य मतानुसार) अबू उमामा رضي الله عنه से

मरवी गुज़री हदीस की बुनियाद पर इस तरह का विनिमय तथा मुक़ाबिल लेना हराम है। बल्कि हदीस का ज़ाहिर यह बता रहा है कि विनिमय अगर बग़ैर शर्त (इत्तिफ़ाक़) के भी हो फिर भी उसका लेना हराम है। {यह बात अल्लामा इब्ने बाज़ रहमहुल्लाह की जुबानी बयान में से है}

नेकोकारों (भलाई करने वालों) को क़ियामत के दिन अल्लाह की तरफ़ से मिलने वाला अज़्र व सवाब (बदला व प्रतिदान) ही काफी है। एक आदमी हसन बिन सहल के पास अपनी किसी ज़रूरत की सिफ़ारिश कराने के लिए आये तो उन्होंने (सिफ़ारिश करके) उनकी ज़रूरत पूरी कर दी, तो वह आदमी उनका शुक्रिया अदा करने लगे, तो हसन बिन सहल ने उनसे कहा: किस चीज़ पर आप हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं? हम तो समझते हैं कि माल की ज़कात की तरह जाह व हश्मत (वैभव-शानशौकत) की भी ज़कात है। {इब्ने मुफ़लिह रचित किताब 'अलआदाबुशु शरइया: २/१७६}

यहाँ इस फ़र्क़ (पार्थक्य) की ओर इशारा कर देना बेहतर समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को उजरत (मेहनताना) देकर कोई काम करवाना और विनिमय (बदला-मुक़ाबिल) देकर मामला न ख़त्म होने तक उसे उसके पीछे लगा कर रखना, तो यह अगर शरई शर्तों के अनुसार है तो यह जायज़ इजारा (ठीका) की क़िस्मों में से है। रही बात अपने मान-मर्यादा तथा मध्यस्थता (इज़ज़त-मरतबा और वास्ता) के ज़रीया सिफ़ारिश करना और उसके बदले माल लेना तो यह हराम है।



मज़दूर से काम पूरा लेना मगर उसकी मज़दूरी न अदा करना

नबी ﷺ ने मज़दूर का हक़ (अधिकार) जल्द से जल्द अदा करने की तरगीब देते (उत्साह प्रदान करते) हुए इरशाद फ़रमाया:

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ». [رواه ابن ماجة: ११७/२, وهو في صحيح الجامع: १६९३]

«मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो» {इब्ने माजा: २/८१७, सहीहूल जामेअ: १४६३}

(अल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: सही बात यह है कि इस हदीस को तमरीज़ के सेग़ा -अर्थात शिथिल शब्दों में जैसे फ़लाँ से रिवायत किया गया या कहा गया कि फ़लाँ ने कहा वगैरा- के साथ उल्लेख किया जाए, क्योंकि इसमें ज़अफ़ यानी दूर्बलता है)

मुस्लिम समाज में पाये जाने वाले जुल्म की किस्मों में से श्रमिक, मज़दूर तथा कर्मचारियों (मुलाज़िम्ओं) को उनका हक़ (प्राप्य) न देना है। और इसकी कई सूरतें हैं; उनमें से:

☀ मज़दूर के हक़ का सिरे से इनकार करना और मज़दूर के पास (अपना हक़ साबित करने के लिए) कोई सुबूत न हो। इस मज़दूर का हक़ अगरचे दुनिया में नष्ट (बरबाद) हो जाए लेकिन क़ियामत के दिन अल्लाह तआला के पास उसका हक़ नष्ट नहीं होगा। क्योंकि मज़लूम (अत्याचारित व्यक्ति) का माल भक्षणकारी यानी खाने वाला ज़ालिम हाज़िर होगा इस हाल में कि उसकी नेकियाँ मज़लूम को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियाँ ख़त्म हो गईं तो मज़लूम के गुनाह उसके ऊपर लाद दिये जाएंगे फिर उसे (ज़ालिम को) जहन्नम रसीद कर (नरक में डाल) दिया जाएगा।

☀ मज़दूर की मज़दूरी नाहक़ कम कर देना और उसे उसका पूरा हक़ न देना, हालाँकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: १]

“बड़ी ख़राबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए।” {अलमुनफ़फ़ीन: १}

इसकी मिसालों में से एक यह है कि बाज़ लोग जो एक निर्धारित वेतन (मुक़रर्रा तनख़्वाह) के वादे पर कर्मचारियों तथा मज़दूरों को उनके मुल्क (देश) से बुलाते हैं, जब वह आ कर काम करना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ की गई एग्रीमेंट को बदल कर कम तनख़्वाह पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं। बेचारे न चाहते हुए भी

(बादिले नखास्ता) काम करते हैं। बसा औकात (कभी कभी) अपना हक साबित करने के लिए उनके पास कोई सुबूत भी नहीं होता, तो वह अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और अगर ज़ालिम मालिक मुसलमान हो और काम करने वाला काफ़िर हो तो उसका यह अमल (हक कम करने का आचरण) अल्लाह के रास्ते से रोकने का सबब बन जाता है, अतः इसका गुनाह भी उसके सर चढ़ जाता है।

❁ मज़दूर पर काम ज़्यादा कर देना या डियूटी अवधी (काम का वक़्त) बढ़ा देना, लेकिन अस्ल तन्ख़्वाह के अलावा इज़ाफ़ी अमल (ओवर डियूटी) की कोई उज़रत न देना।

❁ उसका हक़ देने में टाल-मटोल करना। बड़ी मेहनत व मशक्कत, लगातार तदबीर, शिकवा-शिकायत और अदालत का सहारा लेने के बाद ही उसे अपना हक़ मिलता है। बसा औकात (कभी कभी) मालिक का तन्ख़्वाह में ताख़ीर (विलंब) करने का मक़सद यह होता है कि कर्मचारी तंग आ कर अपना हक़ छोड़ दे तथा मुतालबा (मांग) करने से रुक जाए, या कर्मचारियों के पैसे अपने कारोबार में लगा कर उनसे फ़ायदा उठाना चाहता है। और बाज़ लोग तो उनकी तन्ख़्वाह के पैसों से सूदी कारोबार करते हैं, और बेचारा मज़दूर को न एक दिन का खाना नसीब होता है और न अपने ज़रूरतमंद परिवार (बाल-बच्चों) के लिए ख़र्च भेज पाता है जिनके ख़ातिर अपना मुल्क छोड़ा है। ऐसे ज़ालिम मालिकों के लिए है क़ियामत के दिन सख़्त अज़ाब तथा हलाकत व बरबादी। अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» . [بخاري، انظر فتح الباري: ٤/٤٤٧].

«अल्लाह तआला का फ़रमान है कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनका क़ियामत के दिन मैं खुद मुहर्ई (वादी) बनूँगा। एक तो वह व्यक्ति जिसने मेरे नाम पे वादा किया फिर वादा ख़िलाफ़ी की। दूसरा वह जिसने किसी आज़ाद

आदमी को बेच कर उसकी कीमत खाई। और तीसरा वह व्यक्ति जिसने किसी को मज़दूर रखा, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी न दी।»

{बुखारी, देखें फ़तहल बारी: ४/४४७}



अतीया (दान-प्रदान) में बच्चों के दरमियान अदल व इंसाफ़ (समता तथा न्याय) न करना

कुछ लोग जान बूझ कर अतीया प्रदान करने तथा हिबा करने में अपने बाज़ बच्चों को खास कर लेते हैं और बाज़ को उससे महरूम रखते हैं। अगर कोई शरई कारण न हो तो राजेह कौल के मुताबिक़ (प्राबल्य मतानुसार) ऐसा करना हराम है। शरई कारण जैसे किसी बच्चे की कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई जो दूसरों को नहीं है, मसलन (उदाहरण स्वरूप): किसी का बीमार पड़ जाना, या मकरूज़ (ऋणी) हो जाना, या कुरआन हिफ़ज़ करने पर उसे इनआम (पुरस्कार) देना, या यह कि उसके पास आमदनी का कोई ज़रीया न होना, या फेमिली के अफ़राद (परिवार सदस्यों) का ज़्यादा होना, या इल्म के तलब (ज्ञानार्जन) में मशगूल रहना। लेकिन इसके साथ साथ वालिद (पिता) की यह नीयत रहनी चाहिए कि अगर दुसरे बच्चे के साथ इस किस्म की कोई ज़रूरत पेश आई तो उसे भी देगा जिस तरह पहले को दिया था। इस पर सामान्य (आम) दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान है:

{أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿٨: १६﴾}

“तुम इंसाफ़ किया करो, वह परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है, और तुम अल्लाह तआला से डरते रहो।” {अलमाइदा: ८}

और इसकी विशेष (खास) दलील है नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस, जिसमें है कि उनके वालिद (पिता) उनको लेकर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए और कहा:

إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلْ وَلَدِكَ نَحْلَتَهُ مِنْهُ»، فَقَالَ: لَا. فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَارْجِعْهُ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٥/٢١١] وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعِدُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. [الفتح: ٥/٢١١] وفي رواية: «فَلَا تُشْهَدُنِي إِذَنْ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». [صحيح مسلم: ٣/١٢٤٣]

मैंने अपने इस बच्चा को एक गुलाम प्रदान किया है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने पूछा: «क्या तुमने अपने सारे बच्चों को उसके मिस्ल (अनुरूप) प्रदान किया है?» उन्होंने कहा: नहीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «तुम उसे वापस ले लो» {बुख़ारी, देखें फ़ह्लुल बारी: ५/२११} एक दूसरी रिवायत में है: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ़ करो। रावी (वर्णनाकारी नुमान رضي الله عنه) ने कहा: वह वापस जाकर अपना प्रदत्त (दिया गया) अतीया वापस ले लिये। {फ़ह्लुल बारी: ५/२११} और एक रिवायत में है: (रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:) «तो फिर मुझे गवाह न बनाओ, क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता» [सहीह मुस्लिम: ३/१२४३]

इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की राय यह है कि मीरास की तरह बेटों को बेटियों का डबल हिस्सा दिया जाएगा। {अबू दाऊद रचित 'मसाएलुल इमाम अहमद': २०४} बाज़ घराने ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि बाज़ बाप जो अल्लाह से नहीं डरते हैं अपने बच्चों को कुछ देते हुए उनके दरमियान इंसाफ़ नहीं करते हैं (यानी किसी को कम तथा किसी को ज़्यादा देते हैं)। वह अपनी इस हरकत से उनके सीनों को एक दुसरे के ख़िलाफ़ भड़का देते हैं तथा उनके दरमियान बैर व दुश्मनी का बीज बो देते हैं। बाज़ दफ़ा किसी को इस लिए देते हैं कि वह चचाओं के मुशाबेह (की तरह) है और दूसरे को इस लिए नहीं देते हैं कि वह मामूओं के मुशाबेह है, या यह कि एक बीवी के बच्चों को वह देते हैं जो दूसरी बीवी के बच्चों को नहीं देते। और कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि एक बीवी के बच्चों को विशेष (स्पेशल) स्कूलों में भर्ती (एडमिशन) कराते हैं जबकि दूसरी बीवी के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। इस नाइंसाफी की सज़ा बाप ही को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में अक्सर महरूम औलाद (मुस्तक़बिल में अधिकांश वंचित बच्चे) बाप के साथ हुस्ने सुलूक (सदव्यवहार) नहीं करते। नबी ﷺ ने उस व्यक्ति से फ़रमाया जिसने अपने बच्चों में किसी को कम तथा किसी को ज़्यादा अतीया दिया था:

«الَّذِينَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً» . [رواه الإمام أحمد: ٢٦٩/٤، وهو في صحيح مسلم: ١٦٢٣]

«क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं कि वह तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक में बराबर रहें?» [मुस्नद अहमद: ४/२६६, सहीह मुस्लिम: १६२३]



बगैर ज़रूरत के लोगों से माँगना

सहल बिन अल्हन्ज़लिया رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرٍ جَهَنَّمَ». قَالُوا: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: «قَدَرُ مَا يُغْدِيهِ وَيُعْشِيهِ». [رواه أبو داود: ٢٨١/٢، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٨٠]

«अपने पास ज़रूरत भर (काफ़ी) माल होते हुए भी जो किसी से माँगता है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम की आग के अंगारे जमा करता है» सहाबा किराम ने पूछा: कितना परिमाण (मिक्दार) माल हो तो माँगना मुनासिब (उचित) नहीं होगा? आप ﷺ ने फ़रमाया: «जितना उसे दोपहर और शाम के खाने के लिए काफ़ी हो जाए» [अबू दाऊद: २/२८१, सहीहुल जामेअ: ६२८०]

और इब्ने मसऊद رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَدُوشًا أَوْ كَدُوشًا فِي وَجْهِهِ». [رواه الإمام أحمد: ٢٨٨/١، انظر صحيح الجامع: ٦٢٥٥]

«अपने पास ज़रूरत भर (काफ़ी) माल होते हुए भी जो किसी से माँगे, तो क़ियामत के दिन यह (भीक माँगना) उसके चेहरे को ज़ख़मी करेगा या नोचेगा» [मुस्नद अहमद: १/३८८, देखें सहीहुल जामेअ: ६२५५]

और सहीह मुस्लिम में अबू हरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». [رواه مسلم: ٢٤٤٦]

«जो व्यक्ति अपने माल की ज़्यादाती की खातिर लोगों से उनका माल माँगे, तो वह हकीकत में अंगारे माँग रहा होता है, पस चाहे तो उसे कम करे या ज़्यादा करे।» {मुस्लिम: २४४६}

बाज़ माँगने वाले मस्जिदों में लोगों के सामने खड़े होकर अपने शिकवे पेश करते हुए ज़िक्क व तस्बीह में खलल (विघ्नता) पैदा करते हैं। उनमें कोई कोई तो झूट का सहारा लेते हुए जाली कागज़ात पेश (डुप्लीकेट पेपर्स शो) करते हैं और झूट-मूट के किस्से बयान करते हैं। कभी कभी परिवार के सदस्यों (फ़ेमिली के अफ़राद) को मुख़्तलिफ़ मस्जिदों में तक्सीम कर देते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करते हैं, और इस तरह वह एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का रुख़ करते रहते हैं, हालाँकि वह इतनी अच्छी हालत में होते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, जब वह मर जाते हैं तो उनका तरिका (पैतृक संपत्ति) ज़ाहिर होता (मालूम पड़ता) है। दूसरी तरफ़ हकीकत में जो लोग मुहताज (अभावी) होते हैं, उनके लोगों से चिमटकर न माँगने की वजह से नादान लोग उन्हें मालदार समझते हैं, और उनकी हालत के बारे में पता न चलने की वजह से उन्हें सदका (दान) भी नहीं किया जाता।



अदा न करने की नियत से कर्ज़ लेना

अल्लाह तआला के नज़दीक बंदों के हुक्क (अधिकारों) की बड़ी अहमियत है। यह मुमकिन है कि बंदा तौबा के ज़रीया अल्लाह के हक़ से छुटकारा पा जाए। लेकिन बंदों के हुक्क अदा करना ज़रूरी है उस दिन से पहले जिस दिन दीनार और दिरहम (रूपये पैसे) का मुतालबा नहीं होगा बल्कि नेकियाँ लेकर या बदियाँ (पाप) लादकर हुक्क अदा किये जाएंगे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ५८]

“अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत उनके मालिकों को पहुँचा दो।” {अन्निसा: ५८}

आजकल कर्ज लेना समाज में आम तथा आसान बात हो चुकी है, बाज़ लोग सख्त ज़रूरत पर नहीं बल्कि विलासिता में प्रसार लाने (सुखभोग में इज़ाफ़ा करने) के लिए तथा दूसरों की अंधी तक्लीद (कॉपी) करते हुए न्यू माडल की गाड़ियाँ और घर के साज़ व सामान इत्यादि ख़रीदने के लिए कर्ज का बोझ अपने कंधे पर लादते हैं, हालाँकि यह सारी चीज़ें क्षणस्थायी हैं यानी फ़ना तथा विनाश होने वाली हैं। और ऐसे लोग ही अक्सर किस्तों पर सामान ख़रीदते हैं, हालाँकि उसकी बहुत सारी किस्में शुबहा (संशय-संदेह) या हराम से ख़ाली नहीं हैं।

कर्ज लेने में तसाहुल (सुस्ती से काम लेना), अदा करने में टाल-मटोल का या दूसरों के माल नष्ट तथा बरबाद करने का कारण बनता है। नबी ﷺ ने इस काम के अंजाम (परिणाम) से सचेत करते हुए फ़रमाया:

«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَىٰ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»۔ [رواه

البخاري، انظر فتح الباري: ٥٤/٥]

«जो लोगों के माल अदा करने की नियत से कर्ज ले, अल्लाह तआला उसकी तरफ़ से अदा कर देगा, और जो नष्ट करने की नियत से ले अल्लाह तआला उसे विनाश कर देगा» {बुखारी, देखें फ़तुह बारी: ५/५४}

लोग ज़्यादातर कर्ज के मामले में काहिली (सुस्ती) बरतते हुए उसे छोटा (हल्का) समझते हैं, हालाँकि वह अल्लाह के नज़दीक अज़ीम (विराट) है, यहाँ तक कि शहीद -जो बड़ी खुसूसियतों, महान प्रतिदान तथा उच्च मक़ाम का अधिकारी है- वह भी कर्ज के बोझ से छुटकारा नहीं पाएगा। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमान है:

«سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ!؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ

عَنْهُ دَيْنُهُ»۔ [رواه النسائي، انظر المجتبى: ٣١٤/٧، وهو في صحيح الجامع: ٣٥٩٤]

«सुब्हानल्लाह! कर्ज के बारे में अल्लाह तआला ने कितनी सख्त बात उतारी है?! क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई आदमी

अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, फिर उसे जिंदा किया जाए और फिर शहीद हो, फिर उसे जिंदा किया जाए और फिर शहीद हो इस हाल में कि उस पर कर्ज़ हो, तो वह जन्मत में नहीं दाख़िल होगा यहाँ तक कि उसका कर्ज़ अदा कर दिया जाए ॥» {नसाई, देखें अलमुज्तबा: ७/३१४, सहीहुल जामेअ: ३५६४} क्या तसाहुल (सुस्ती) और कोताही बरतने वाले इस (वईद तथा धमकी) के बाद भी इससे बाज़ नहीं आएंगे?!



हराम भक्षण (खाना)

अल्लाह से न डरने वालों को यह परवा नहीं होता कि माल कहाँ से कमाए और किस में खर्च करे, बस उसका लक्ष्य यही होता है कि पूँजी में किस तरह इज़ाफ़ा (वृद्धि) हो, चाहे निषिद्ध तथा हराम तरीक़ (माध्यम) ही से क्यों न हो, जैसे चोरी, रिश्वत, ग़स्ब, धोखादिही, हराम बेच-कीन, सूदी कारोबार, यतीम का माल भक्षण, हराम काम -मसलन: कहानत, बेहयाई और गाने- पर उज़्रत लेना, मुसलमानों के बैतुल माल पर और सरकारी चीज़ों पर ज़्यादाती (आक्रमण) करना, दूसरों का माल ज़बरदस्ती ले लेना या बग़ैर ज़रूरत के माँगना इत्यादि। फिर वह उसी से (यानी हराम तरीक़ से कमाए हुए माल से) खाता है, पहनता है, सवार होता है, घर बनाता है या किराया पर लेता है और उसे सजाता है और अपने पेट में हराम डालता है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«كُلْ لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سَحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ». [رواه الطبراني في الكبير: ١٣٦/١٩، وهو في صحيح

[الجامع: ٤٤٩٥]

«हर वह गोश्त जो हराम से उगा (बना) हो आग ही उसका ज़्यादा हक्दार है ॥»

{तबरानी: १६/१३६, सहीहुल जामेअ: ४४६५}

और कियामत के दिन उससे उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि उसने उसे कहाँ से कमाया और किस में खर्च किया? उस वक़्त वह हलाकत तथा

ख़सारे (नुक़सान) से दोचार होगा। अतः अगर किसी के पास हराम माल है तो उससे छुटकारा हासिल करने में जल्दी करे। और अगर किसी आदमी का हक़ हो तो उससे माफ़ी माँगने के साथ साथ जल्द से जल्द उसका हक़ उसे लौटा दे उस दिन के आने से पहले जिस दिन दीनार व दिरहम (रूपये-पैसे) से बदला नहीं चुकाया जाएगा, बल्कि नेकियाँ लेकर या बदियाँ लादकर हक़ अदा किया जाएगा।



शराब पीना चाहे एक क़तरा (विन्दु) ही क्यों न हो

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ९०]

“ऐ ईमानवालो! बात यही है कि शराब और जुआ और थान (मूर्तियों के स्थान) और फ़ाल निकालने के पाँसे के तीर यह सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।” {अलमाइदा: ९०}

अलग रहने का आदेश हराम होने की बलिष्ठ (क़वी तथा मज़बूत) दलीलों में से है। और अल्लाह तआला ने शराब को काफ़िरों की मूर्तियों तथा उनके माबूदों के साथ संयुक्त (मिला) करके उल्लेख फ़रमाया है। अतः उनकी कोई दलील नहीं रह जाती जो यह कहते हैं कि अल्लाह तआला ने शराब को हराम नहीं कहा बल्कि कहा है कि उससे अलग रहो।

और नबी ﷺ की हदीस में शराब पीने वालों के लिए सख़्त सज़ा की बात आई है। जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«... إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرِبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرِقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». [رواه مسلم: १०८७/३]

«--- निश्चय अल्लाह तआला ने नशा आवर चीजें (मादक द्रव्य) पीने वालों के बारे में यह प्रतिज्ञा (वादा) किया है कि वह उन्हें 'तीनतुल खबाल' में से पिलाएगा ۞ सहाबा किराम ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! 'तीनतुल खबाल' क्या है? आप ۞ ने फ़रमाया: «जहन्नमियों का पसीना या उनके (बदन से निकला हुआ) पीप ۞ {मुस्लिम: ३/१५८७}

और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ۞ ने फ़रमाया: [رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ: ٤٥/١٢، وَهُوَ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ: ٦٥٢٥] «مَنْ مَاتَ مُدْمِنٌ خُمْرٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ كَعَابِدٍ وَثْنٍ» [जो व्यक्ति शराब का शैदाई (आसक्त) बनकर मरेगा, वह अल्लाह से मुलाकात करेगा इस हाल में कि वह एक मूर्ती के पुजारी की तरह है ۞ {तबरानी: १२/४५, सहीहुल जामेअ: ६५२५}

दौरे हाज़िर (वर्तमान युग) में मुख़लिफ़ किस्म की शराब तथा विभिन्न प्रकार की नशेली चीजें जनम ली हैं, जिन्हें मुख़लिफ़ अरबी तथा अज़मी (अजनबी) नामों से मौसूम (नामकरण) किया जाता है। जैसे: बीअर (Beer), अलकोहल (Alcohol), अरक (Arrack), वोडका (Vodka) और शेम्पेन (Champagne) वगैरा। और इस उम्मत में ऐसे लोगों का भी जुहूर (आविर्भाव) हो चुका है जिनके बारे में नबी ۞ ने फ़रमाया कि:

«لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا» [رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ٣٤٢/٥، وَهُوَ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ: ٥٤٥٣]

«मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे, मगर 'शराब' के अतिरिक्त उसका दूसरा नाम देंगे ۞ {मुस्नद अहमद: ५/३४२, सहीहुल जामेअ: ५४५३}

वह लोग धोखा तथा दगाबाज़ी करते हुए शराब को शराब कहने के बजाए रूहानी शरबत कहते हैं।

﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: १९]

“वह अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन हकीकत में वह खुद अपने आपको धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं।” {अलबकरा: ६}

शरीअत एक ऐसा अज़ीम ज़ाबिता (महान कायदा तथा नियम) लेकर आई है जिससे मामले का क़तई फैसला हो जाता है और खेल-तमाशा करने वालों की जड़ कट जाती है (फ़िल्ना परवरों का क़िला क़मा हो जाता है)। और वह ज़ाबिता नबी ﷺ का यह फ़रमान:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [رواه مسلم: १०८७/३]

«हर नशा आवर चीज़ (मादक द्रव्य) शराब है, और हर नशा आवर चीज़ हराम है» [मुस्लिम: ३/१५८७]

अतः हर वह चीज़ जो अक्ल व ख़िरद में असर अंदाज़ (विवेक-बुद्धि में प्रभाव विस्तारकारी) हो और नशा लाए हराम है चाहे कम हो या ज़्यादा। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [رواه أبو داود: ३६८१, وهو في صحيح أبي داود: २१२८]

«जिस चीज़ का ज़्यादा परिमाण नशा लाए उसका कम परिमाण भी हराम है» [अबू दाऊद: ३६८१, सहीह अबू दाऊद: ३१२८]

और नाम चाहे जितने प्रकार के हों चीज़ एक ही है और उसका हुकम मालूम (विदित) है।

अख़ीर में शराबियों के लिए नबी ﷺ की यह नसीहत (सदुपदेश) पेश की जा रही है:

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ». [رواه ابن ماجة: ३२७७, وهو في صحيح الجامع: ६२१३]

«जो व्यक्ति शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाख़िल होगा, और अगर

वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कबूल फ़रमायेगा। फिर अगर वह दोबारा शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाख़िल होगा, और अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कबूल फ़रमायेगा। और अगर फिर वह दोबारा शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाख़िल होगा, और अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कबूल फ़रमायेगा। और अगर फिर दोबारा ऐसा करे तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसे ज़रूर 'रदग़तुल ख़बाल' में से पिलाएगा।» सहाबा किराम ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! 'रदग़तुल ख़बाल' क्या है? आप ﷺ ने फ़रमाया: «जहन्नमियों के (बदन से निकला हुआ) पीप।» {इब्ने माजा: ३३७७, सहीहल जामेअ: ६३१३}

यह अगर शराबख़ोरों का हाल है तो उनका क्या हाल होगा जो इससे भी कड़ी तथा तीव्र नशीली चीज़ें -जैसे भांग, गांजा, अफीम इत्यादि- सेवन करते हैं और हमेशा नशा की हालत में रहते हैं।



सोने चाँदी के बर्तन इस्तेमाल (प्रयोग) करना और उसमें खाना पीना

आजकल घर के असबाब बेची जाने वाली कोई ऐसी दूकान नहीं है जिसमें सोने चाँदी के बर्तन या सोने चाँदी के पानी से रंग चढ़ाए हुए बर्तन न हों। इसी तरह मालदारों के घरों में और बाज़र होटलों में इस तरह के बर्तन देखे जाते हैं। बल्कि इस किस्म के बर्तन क़ीमती उपहारों में से एक उपहार बन गए हैं जो विभिन्न मुनासबत (उपलक्षों तथा अनुष्ठानों) में लोग एक दूसरे को पेश करते हैं। और बाज़र लोग सोने चाँदी के बर्तन अपने घर में तो नहीं रखते, लेकिन दूसरों के घरों तथा शादी-ब्याह के उत्सवों में इनका इस्तेमाल करते हैं। यह

सबके सब इस्लामी शरीअत में हराम हैं। इनके इस्तेमाल करने के बारे में नबी ﷺ से सख्त धमकी आई है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने इरशад फ़रमाया:

«إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [رواه

مسلم: १६२६/३]

«जो शख्स सोने चाँदी के बर्तन में खाता या पीता है वह हकीकत में अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहा होता है» {मुस्लिम: ३/१६३४} यह हुकम हर बर्तन तथा खाने के हर किस्म के सामान -जैसे प्लेट, काँटे वाले चमचे, चमचे, चाकू- और मेहमान नवाज़ी में पेश किए जाने वाले बर्तनों तथा अनुष्ठान आदि में पेश किए जाने वाले मिटाई के डब्बों को शामिल है।

बाज़ लोग कहते हैं कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन शोकेस में ज़ीनत के तौर पर सजाकर रखते हैं। इसके इस्तेमाल के सद्दे बाब के लिए (इसके प्रयोग के माध्यम को रोकने की खातिर) ऐसा करना भी नाजायज़ है। [यह बात शैख़ इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह के जुबानी बयान में से है]



झूटी गवाही

अल्लाह तअ़ाला ने फ़रमाया:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ ۞ حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ

مُشْرِكِينَ بِهِ ۗ ﴿[الحج: २०-२१]

“तुम बुतों की गंदगी से बचते रहो और झूटी बात से भी परहेज़ करते रहो अल्लाह की तौहीद को मानते हुए (और) उसके साथ किसी को शरीक न करते हुए।” {अल्हज्ज: ३०, ३१}

अब्दुर्रहमान बिन अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वह अपने बाप से रिवायत करते हैं। उनके बाप ने कहा:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا- فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [رواه البخاري، انظر الفتح: ٥/٢٦١]

हम अल्लाह के रसूल ﷺ के पास थे कि आपने तीन मर्तबा फ़रमाया: «क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूँ?» सहाबा किराम ने कहा: ज़रूर फ़रमायें ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: «अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन (माता पिता) की नाफ़रमानी (अवज्ञा) करना» -आप टेक लगाए हुए थे उठकर बैठ गए- फिर फ़रमाया: «सुनो! और झूठी गवाही देना» रावी का बयान है कि आप इसे मुसलसल दुहराते रहे यहाँ तक कि हमने कहा: काश आप ख़ामोश हो जाते। {बुख़ारी, देखें फ़तुह बारी: ५/२६१}

झूठी गवाही देने से बार बार सावधान करने की वजह यह है कि लोग इस बारे में लापरवाही करते हैं, और हसद तथा दूशमनी जैसी बहुत सारी चीज़ें इंसान को इस पर उभारती (प्ररोचित करती) हैं, और इससे बहुत सारी ख़राबियाँ जनम लेती हैं। देखें तो सही कि झूठी गवाही के कारण कितने हुकूक़ जायेअ तथा बरबाद (नष्ट) हुए, कितने निरपराध (बेकूसूर) अन्याय तथा जुल्म के शिकार हुए, कितने लोग मालिक बन गए उस चीज़ के जिसके वह हक़दार नहीं थे, या कितने लोग उस नसब (वंश) के साथ संयुक्त कर दिए गए जिस नसब से उसका संबंध नहीं है।

झूठी गवाही के बारे में लापरवाही का मंज़र (दृश्य) अदालतों में देखा जाता है। वहाँ आदमी किसी दूसरे से मुलाक़ात करके कहता है कि तुम मेरा होकर (मेरे पक्ष में) गवाही देना, मैं तुम्हारा होकर (तुम्हारे पक्ष में) गवाही दूँगा। अतः वह ऐसे मामले में गवाह बनते हैं जिसकी हकीकत तथा अवस्था का इल्म होना ज़रूरी होता है, -जैसे किसी ज़मीन या किसी घर की मिलकियत की गवाही देना अथवा किसी के बेकूसूर होने की गवाही देना-, जबकि उससे उसकी मुलाक़ात नहीं हुई मगर अदालत के दरवाज़े या चौखट पर। ऐसी गवाही झूठी तथा मिथ्या गवाही है। अतः वैसी गवाही देनी चाहिए जैसी गवाही का ज़िक्र अल्लाह की किताब में हुआ है:

﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ [يوسف: ٨١]

“और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे।” [यूसुफ: ८१]



गाना-बजाना (गीत-म्यूज़िक) सुनना

इब्ने मसऊद رضي الله عنه अल्लाह की क़सम खाकर कहते थे कि अल्लाह तआला के इस फ़रमान

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: ६]

“और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लहव (असार) बातों को मोल लेते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से बहकायें।” [लुक्मान: ६]

में मज़कूर “लहवल् हदीस” से मुराद गाना है। [तफ़सीर इब्नु कसीर: ६/३३३]

और अबू अमिर तथा अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

﴿لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ﴾ [رواه البخاري، انظر الفتح: १०/५१]

«बेशक मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हूँगे जो ज़िना, रेशम, शराब और गाने बजाने को हलाल समझेंगे।» [बुख़ारी, देखें फ़तुह बारी: १०/५१]

और अनस رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

﴿لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، وَضَرَبُوا بِالْمَعَارِفِ﴾ [انظر السلسلة الصحيحة: २२०२، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في دم الملاهي،

والحديث رواه الترمذي رقم: २२१२]

«बेशक इस उम्मत में (कई तरह का अज़ाब) ज़रूर आएगा: ज़मीन में धसना, पत्थरों की बारिश और बुरी सूरत में तब्दीली (परिवर्तन)। और यह उस समय होगा जब वह (उम्मत के लोग) शराब पियेंगे, गाने वाली लौंडियाँ रखेंगे और

म्यूज़िक बजायेंगे » {दिखें सिलसिला सहीहा: २२०३, और इसे 'ज़म्मुल मलाही' में इब्नु अबिदुनिया की तरफ़ मन्सूब किया है। इस हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, हदीस नम्बर: २२१२}

और नबी ﷺ ने तबला से भी मना फ़रमाया तथा बाजा के बारे में फ़रमाया कि वह अहमक़ व फ़ाजिर (निर्बुद्धि व दुराचारी) व्यक्ति की आवाज़ है। साबिक़ उलमा -जैसे इमाम अहमद रहिमहुल्लाह- ने गाने-बजाने के आलात (वाद्य यंत्रों) -जैसे बीन (Lute), मेनडोलीन (Mandoline), बाँसुरी (Flute), सारंगी (Rebeck) और मँजीरे (Cymbals)- के हराम होने की बात उल्लेख किया है। और कोई शक नहीं कि नए गाने-बजाने के आलात (माडर्न वाद्य यंत्र) -जैसे चौतारा (Violin), बर्बत (Zither), पियानो (Piano) और गीतार (Guitar) इत्यादि- नबी ﷺ की हदीस में मना कर्दा (निषिद्ध) वाद्य यंत्र में शामिल हैं, बल्कि यह नए आलात दिल बहलाने (रसिकता व प्रसन्नता) में पुराने आलात -जिनकी मुमानअत (मनाही) बाज़ हदीसों में आई है- कहीं ज़्यादा असर अंदाज़ (प्रभावी) हैं। इब्नुल कैयिम तथा दूसरे उलमा ने ज़िक्र किया है कि गाने-बजाने इंसान को शराब से ज़्यादा मतवाला करते हैं।

और इसमें कोई शक नहीं कि मनाही उस समय अधिक सख़्त हो जाती है तथा पाप ज़्यादा भयानक हो जाता है जब म्यूज़िक के साथ गाने और गायकीयों एवं गायिनीयों की आवाज़ें हों। तथा मुसीबत उस वक़्त और संगीन हो जाती है जब गाने में इश्क़ व मुहब्बत, प्रेम-प्रीति, आर्जू व तमन्ना और हुस्न व जमाल (रूप-सौंदर्य) की बातें हों। इसी लिए उलमा ने बताया कि गाना ज़िना का डाक (वसीला) है और वह दिल में निफ़ाक़ (कपटता) पैदा करता है। उमूमन (साधारणतः) गाने और म्यूज़िक का विषय इस ज़माने में सबसे बड़े फ़िल्मों में से एक फ़िल्म बन गया है।

आजकल बहुत सारी चीज़ों -जैसे घड़ियों, घंटीयों, बच्चों के खिलौने और बाज़ टेलीफ़ोन तथा मोबाइलों- में म्यूज़िक दाख़िल होने से मुसीबत और बढ़ गई है। अतः इससे बचने के लिए दृढ़ संकल्प (अज़्मे मुसम्मम) की ज़रूरत है। अल्लाह ही मददगार है।

गीबत

मुसलमानों की गीबत करना और उनकी इज़्ज़तों से खेलना बहुत सी मजलिसों (सभाओं) की ज़ीनत बन चुकी है। हालाँकि यह ऐसा विषय है जिससे अल्लाह तआला ने अपने बंदों को रोका है, और उससे नफ़रत दिलाई है तथा उसकी ऐसी धिनावनी (जघन्य) मिसाल पेश की है जिससे नफ़स नफ़रत करते हैं। चुनांचे अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

[الحجرات: १२]

“और तुम में से कोई किसी की गीबत न करे, क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे धिन आएगी।”

{अलहुजुरात: १२}

नबी ﷺ ने गीबत का मतलब (अर्थ) बयान करते हुए फ़रमाया:

«أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ». [رواه مسلم: २००१/६]

«क्या तुम जानते हो गीबत किसे कहते हैं?» सहाबा किराम ने कहा: अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फ़रमाया: «तेरा अपने भाई के बारे में ऐसी बातों का ज़िक्र करना जिनको वह नापसंद करता हो।» पूछा गया: आप बताएं अगर मेरे भाई में वह चीज़ मौजूद हो जो मैं कह रहा हूँ? आपने फ़रमाया: «अगर उसमें वह चीज़ मौजूद है जो तू कह रहा है तो फिर तू ने उसकी गीबत की है, और अगर वह चीज़ उसमें नहीं है तो फिर तू ने उस पर बुहतान बाँधा।» {मुस्लिम: ४/२००१}

अतः गीबत यह है कि आप अपने मुस्लिम भाई में मौजूद ऐसी बातों का ज़िक्र करें जिनको वह नापसंद करता हो। चाहे यह बात उसके बदन में हो या उसके दीन और दुनिया में, या उसके नफ़स या उसके अख़लाक़ अथवा उसकी पैदाइश

में मौजूद हो। और ग़ीबत की बहुत सारी सूरतें हैं, जैसे उसके ऐबों (दोषों) को बयान करना या तनज़ व ताना (व्यंग व कटाक्ष) के तौर पर उसके किसी नक्ल व हरकत (चालचलन) की नक्काली करना।

लोग ग़ीबत के विषय में तसाहुल (तुच्छज्ञान) करते हैं हालाँकि वह अल्लाह के नज़दीक क़बीह व शनीअ (जघन्य व घृणित) है। इस पर आप ﷺ का यह फ़रमान दलालत करता है:

«الرِّيَا اِثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، اَدْنَاهَا مِثْلُ اِتْيَانِ الرَّجُلِ اُمَّهُ، وَاِنْ اَزَى الرَّيَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عَرَضِ اَخِيهِ». [السلسلة الصحيحة: 1871]

«सूद के बहत्तर दरवाज़े हैं, उनमें सबसे कमतर आदमी का अपनी माँ से ज़िना करने की तरह है, और सबसे बड़ा आदमी का अपने भाई की इज़्ज़त व आबरू पर हमला करना है।» [सिलसिला सहीह: 9८७9]

जिस मजलिस में ग़ीबत हो उसमें हाज़िर शख्स (उपस्थित व्यक्ति) पर वाजिब है कि वह मुनकर यानी अन्याय बातों से रोके और मुग़ताब भाई (ग़ीबत की जाने वाले आदमी) की तरफ़ से दिफ़ाअ करे। इस काम पर तरगीब दिलाते हुए नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

«مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ اَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه أحمد: 6/450، وهو في صحيح الجامع: 6228]

«जो शख्स अपने भाई की इज़्ज़त का दिफ़ाअ करेगा, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देगा।» {अहमद: ६/४५०, सहीहुल जामेअ: ६२३८}



चुगलखोरी

लोगों में फ़िल्ना-फ़साद फैलाने की गर्ज़ से एक की बात दूसरे तक पहुँचाना आपसी तअल्लुकात को काटने तथा लोगों के दरमियान कीना कपट व दुश्मनी की आग

भड़काने के अज़ीम अस्बाब (बड़े कारणों) में से एक सबब है। अल्लाह तआला ने चुगलख़ोर के इस फ़े'ल की मज़म्मत (कर्म की निंदा) करते हुए फ़रमाया:

﴿وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاْفٍ مِّمِّينِ ۝۱۰﴾ هَمَزٌ مَشَاءٌ بِنَمِيمٍ ﴿الْقلم: ۱۰-۱۱﴾

“तथा आप किसी ऐसे शख्स का कहना न मानें जो बात बात पर (झूटी) क़समें खाने वाला हो, (और) जो (बार बार झूटी क़सम खाने के कारण लोगों में) बेवक़ार (लाँछित) हो। (और) जो ग़ीबत करने वाला (तथा) चुगलख़ोर हो।”
[अल्क़लम: १०-११] हुज़ैफ़ा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ۴۷۲/۱۰، وفي النهاية لابن الأثير ۴/ ۱۱: وقيل: القتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم].

«चुगलख़ोर जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।» [बुखारी, देखें फ़ह्लुल बारी: १०/४७२। इब्नुल असीर की 'अन्निहाया' नामी किताब में है कि 'क़त्तात' यानी 'चुगलख़ोर' वह व्यक्ति है जो लोगों की ला इल्मी में उनकी बातें सुन लेता है फिर चुगली करता है।]

और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى [وفي رواية: وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ]، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْأَخْرَمِيُّ مَشِيًّا بِالنَّمِيمَةِ...». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ۱/ ۳۱۷]

नबी ﷺ ने मदीना के बाग़ों में से किसी एक बाग़ के पास से गुज़रते हुए दो ऐसे आदमी की आवाज़ सुनी जिन्हें उनके क़ब्रों में अज़ाब हो रहा था, तो आपने फ़रमाया: «इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी बड़ी चीज़ के कारण अज़ाब नहीं हो रहा है।» फिर आपने फ़रमाया: «क्यों नहीं! बेशक वह बड़ा पाप है (जिसके कारण इन्हें अज़ाब हो रहा है)।» इन में से एक अपने पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। [बुखारी, देखें फ़ह्लुल बारी: १/३१७]

इस काम की क़बीह सूरतों (जघन्य रूपों) में से एक सूरत यह है कि इसके द्वारा शौहर को बीवी के ख़िलाफ़ तथा बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ भड़का

कर उनके तअल्लुकात को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करना। इसी तरह नुकसान पहुँचाने की गर्ज से बाज़ मुलाज़िमों का दूसरों की बात मैनेजर या जिम्मेदार तक पहुँचाना भी एक किस्म की चुगलखोरी है। और यह सबके सब हराम हैं।



बगैर इजाज़त के दूसरों के घरों में झाँकना (दाख़िल होना)

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾

[النور: २७]

“ऐ ईमान वालो! अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक कि इजाज़त न ले लो और वहाँ के रहने वालों को सलाम न कर लो।” {अनूर: २७} इजाज़त लेने की हिक्मत (कारण) ‘घर वालों की पोशीदा चीज़ों को जान लेने का डर’ है। जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने इस कारण को वाज़ेह (स्पष्ट) करते हुए इरशाद फ़रमाया:

﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْأَسْتِذْنَانُ مِنْ أَجْلِ الْبُصْرِ﴾. [رواه البخاري، انظر فتح الباري: १/ २६]

«निगाह के कारण इजाज़त तलबी का हुक्म नाज़िल किया गया है।» {बुख़ारी, देखें फ़ह्लुल बारी: १/२४}

आजकल चूँकि बिल्डिंगें एक दूसरे से करीब हैं, इमारतें एक दूसरे से मुत्तसिल (मिली हुई) हैं तथा खिड़कियाँ और दरवाज़े एक दूसरे के मुक़ाबिल (आमने-सामने) हैं, इस लिए पड़ोसियों के सामने एक दूसरे के भेद के प्रकाश पाने का एहतिमाल (आशंका) ज़्यादा हो गया है। (दूसरी बात यह है कि) बहुत सारे लोग अपनी निगाहें नीची नहीं रखते हैं। और ऊपर रहने वाले बाज़ लोग अम्दन (जानबूझ कर) अपनी खिड़कियों तथा छतों से नीचे रहने वाले पड़ोसियों के घरों में ताकते-झाँकते

हैं, जबकि ऐसा करना ख़ियानत है तथा पड़ोसियों की हुर्मत (सम्मान) की पामाली है, और हराम तक पहुँचने का ज़रीया व माध्यम है। और इसी के सबब बहुत सारे फित्ने और मुसीबतें रूनुमा होते (सामने आते) हैं। इस बिषय के संगीन होने पर दलील के तौर पर यह बात काफ़ी है कि ताकने-झाँकने वाले की आँख फोड़ देने पर शरीअत में कोई दियत नहीं है। जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُؤُوا عَيْنَهُ». [رواه مسلم: १६९९/२] وفي رواية: «فَفَقُؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ وَلَا فِضَاصَ». [رواه الإمام أحمد: २/२८०. وهو في صحيح الجامع: ६०२२]

«जो शख्स दूसरों के घर में बग़ैर उनकी इजाज़त के झाँके, तो उनके लिए उसकी आँख फोड़ देना हलाल हो जाता है।» {मुस्लिम: ३/१६६६} दूसरी रिवायत में है: «अगर उन्होंने उसकी आँख फोड़ दी तो न कोई दियत है और न किसास।» {मुस्नद अहमद: २/३८५}



तीसरे को छोड़कर दो आदमी का आपस में सरगोशी (कानाफूसी) करना

यह मजलिसों की आफ़तों में से एक आफ़त है, और मुसलमानों के दरमियान तफ़रका पैदा करने (फूट डालने) तथा उनके सीनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए शैतान के चक्रांतों (चालों) में से एक चक्रांत है। रसूलुल्लाह ﷺ ने इसका हुकम और इसकी इल्लत (विधान और कारण) बयान करते हुए इरश़ाद फ़रमाया:

«إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَحْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، [مِنْ] أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: १/११]

«जब तुम तीन आदमी हो तो तीसरे को शामिल किये बग़ैर दो आदमी कानाफूसी न करो यहाँ तक कि लोगों से मिल जाओ, क्योंकि ऐसा करना उसे रंजीदा कर (दुश्चिंता में डाल) देता है।» {बुख़ारी, देखें फ़तुह बारी: ११/८३}

और चौथे --- को छोड़कर तीन जनों का कानाफूसी करना इसी के अंतर्गत है। इसी तरह दो आदमियों का ऐसी जुबान में बात करना जिसे तीसरा न समझता हो कानाफूसी में शामिल है। निःसंदेह कानाफूसी में एक तरह से तीसरे की हिकारत होती है, या उसे इस गुमान में डाल दिया जाता है कि वह दोनों उसके साथ बुराई वगैरा का इरादा (उसके खिलाफ साज़िश) कर रहे हैं।



टखने के नीचे कपड़ा लटकाना

टखने के नीचे लटका कर कपड़े पहनने को लोग आसान तथा हल्का (छोटा मोटा) पाप ख्याल करते हैं, हालाँकि वह अल्लाह के नज़दीक अज़ीम (बड़ा अपराध) है। बाज़ लोगों के कपड़े ज़मीन को छू जाते हैं तथा बाज़ लोग उसे अपने पीछे घसीटते हुए चलते हैं। अबू ज़र्र رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الْمُسْبِلُ [وفي رواية: إِزَارَةٌ]، وَالْمَنَّانُ [وفي رواية: الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ]، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ». [رواه مسلم: 1/102]

«तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तआला कियामत के दिन न बात करेगा, न उनकी तरफ़ रहमत की दृष्टि से देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा। (वह लोग हैं) अपने तह्बंद को (टखने के नीचे) लटकाने वाला, इहसान जतलाने वाला और झूटी कस्मों से अपने सामान बेचने वाला।» {मुस्लिम: १/१०२}

और जो शख्स यह कहे कि मैं अपने कपड़े तकब्बुर (गर्व) से नहीं लटकाता तो वह अपने नफ़्स का ऐसा तज़किया (सफ़ाई पेश) करता है जो मक़बूल (मान्य) नहीं है। क्योंकि कपड़े लटकाने वाले के लिए हदीस में जिस धमकी का उल्लेख हुआ है वह आ़म है, चाहे वह तकब्बुर के इरादा से लटकाये या बगैर तकब्बुर के इरादा से लटकाये। जैसाकि आप ﷺ का फ़रमान इस पर दलालत करता है:

«مَا تَحْتَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ». [رواه الإمام أحمد: ٢٥٤/٦، وهو في صحيح الجامع: ٥٥٧١]

«तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे है वह दोज़ख में है» {मुस्नद अहमद: ६/२५४, सहीहुल जामेअ: ५५७१}

और अगर तकबुर से लटकाये तो उसकी सज़ा ज़्यादा सख़्त तथा बड़ी है।
जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه البخاري: ३४६०]

«जो शख़्स तकबुर के साथ अपने कपड़े लटकाता है, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ़ रहमत की निगाह (करूणा की दृष्टि) से नहीं देखेगा» {बुख़ारी: ३४६५}

और ऐसा इस लिए कि उसने एक साथ दो हराम का इर्तिक़ाब किया। लटकाना हर लिबास में हराम है, जैसाकि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित (मरवी) हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه أبو داود: ३०३/६، وهو في صحيح الجامع: २११०]

«लटकाना तहबंद, क़मीस, पगड़ी सभी में है, जो शख़्स भी किसी कपड़े को तकबुर के साथ लटकायेगा क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसको रहमत की नज़र से नहीं देखेगा» {अबू दाऊद: ४/३५३, सहीहुल जामेअ: २७७०}

अलबत्ता औरतों के लिए सतर्कता मूलक (इहतियात के तौर पर) पैर के पर्दा की गर्ज़ से एक बालिशत या एक गज़ लटकाने की इजाज़त है, क्योंकि हवा वगैरा से उनके पैर खुलने का डर होता है। लेकिन लटकाने में हद से तजावुज़ (सीमालंघन) करना उनके लिए भी जायज़ नहीं है, जैसे शादी-ब्याह में बाज़ दुल्हनों के कपड़े कई बालिशत तथा कई मीटरों तक लटकते रहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी यह नौबत आजाती है कि दुल्हन के पीछे लटकते कपड़े किसी को पकड़े रहना पड़ता है।



मर्दों के लिए किसी भी प्रकार के सोने का सामान इस्तेमाल करना

अबू मूसा अशअरी رضي الله عنه से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया: «أُحِلَّ لِأَنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا». [رواه الإمام أحمد: ٣٩٢/٤، انظر صحيح الجامع: ٢٠٧]

«मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम और सोना हलाल कर दिया गया है, और उसके मर्दों पर हराम किया गया है» {मुस्नद अहमद: ४/३६३, देखें सहीहुल जामेअ: २०७}

आजकल मार्केट में ख़ास मर्दों के लिए मुख़लिफ़ क्रेट के सोना से या पूरे तौर पर सोने का पानी चढ़ा कर चंद चीज़ें तैयार की गई हैं, जैसे घड़ी, चश्मा, बटन, क़लम, चैन तथा कुंजीदान इत्यादि। और बाज़ प्रतियोगिता के पुरस्कार का एलान करते हुए यह कहना/लिखना कि ‘मर्दों के लिए सोने की घड़ी Men Gold Watch’ एक मुनकर तथा अन्याय काम है।

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ एक आदमी के हाथ में सोने की एक अंगूठी देखकर उसे निकाल फेंका, और फरमाया: «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ!؟ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ! لَا أَخْذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [رواه مسلم: ١٦٥٥/٣]

«(क्या) तुम में से कोई आग की चिंगारी अपने हाथ में उठाने का इरादा करता है?») रसूलुल्लाह ﷺ के चले जाने के बाद उस आदमी से कहा गया: तुम अपनी अंगूठी ले लो और उससे फ़ायदा उठाओ। उसने कहा: नहीं, अल्लाह की क़सम! मैं उसको कभी नहीं उठाऊँगा, जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने फेंक दिया है। {मुस्लिम: ३/१६५५}



औरतों का छोटा (शॉर्ट), पतला तथा तंग (टाइट) कपड़ा पहनना

इस दौर में हमारे दुश्मनों ने हम पर जिन चीजों के ज़रीया हमला किया है उनमें से यह मुख़्तलिफ़ डिज़ाइन के लिबास-पोशाक तथा विभिन्न स्टाइल व फ़ैशन के ड्रेस-यूनीफ़ॉर्म हैं जो मुसलमानों में आ़ाम हो चुके हैं। यह इतने शॉर्ट अथवा इतने पतले या इतने टाइट होते हैं कि इनसे शर्मगाह (लज्जास्थान) भी नहीं ढकते। इनमें बहुत से ऐसे लिबास होते हैं जिनका औरतों के दरूमियान तथा महरमों के सामने भी पहनना जायज़ नहीं है। आख़िरी ज़माना की औरतों में इस तरह के लिबास के ज़ाहिर होने की ख़बर हमें नबी ﷺ ने दी है। जैसाकि अबू हुरैरा رضي الله عنه की हदीस में आया है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«صَفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سَبَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يُضْرَبُونَ بِهَا النَّاسُ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» . [رواه مسلم: ١٦٨٠/٣]

«दोज़ख़ियों की दो किस्में हैं जिनको मैं ने नहीं देखा: एक किस्म वह लोग हैं जिनके पास गाय की दुमों के मानिंद (पूंछों के मिस्ल) कोड़े हूँगे जिनसे वह लोगों को मारेंगे। दूसरी किस्म वह औरतें हैं जो (बज़ाहिर) लिबास पहने हूँगी, लेकिन नंगी हूँगी, अपने कंधों को हिलाते हुए मटक मटक कर चलेंगी, उनके सर लम्बे गर्दन वाले ऊँटों के कोहान के मिस्ल लचकदार हूँगे, वह औरतें न जन्नत में जायेंगी और न ही जन्नत की खुशबू पायेंगी हालाँकि जन्नत की खुशबू इतनी इतनी दूर से आ रही होगी» [मुस्लिम: ३/१६८०]

और नीचे से लम्बाई में खुला ड्रेस या कई ओर से खुला लिबास जो बाज़ औरतें पहनती हैं, इन्ही (हराम) लिबासों में शामिल (के अंतर्गत) है। क्योंकि इस तरह के लिबास पहनने से शर्मगाह (या उसका कुछ हिस्सा) ज़ाहिर हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें काफ़िरों की मुशाबहत (अनुरुपता) है, और फ़ैशनों तथा स्टाइलों में और उनकी ईजाद कर्दा (आविष्कृत) घृणित लिबासों में उनका अनुकरण (इत्तिबाअ़) है। हम अल्लाह से हिफ़ाज़त और सलामती का सवाल करते हैं।

इसी तरह बाज़ कपड़ों में मनकूश (चित्रित/अंकित) बुरी तस्वीरें भी ख़तरनाक उमूर (विषयों) में से हैं। -जैसे गायकों की तस्वीरें, संगीत में ताल देने वाले ग्रूप की तस्वीरें, शराब के बोतलों की तस्वीरें, ऐसे रुह (प्राण) वाले की तस्वीरें जो शरीअत में हराम है, सलीब (क़ूस) की तस्वीरें अथवा ख़बीस क्लबों या ऑर्गनाइज़ेशनों के लोगो (तनज़ीमों के शिआर), या इज़्ज़त व शरफ़ और इफ़्फ़त व पाकदामनी को दाग़दार करने वाली इबारतें (बातें) लिखना जो ज़्यादातर अजनबी (ग़ैर अरबी) जुबानों में होती हैं।



मर्द व औरत का अपने बाल में दूसरे इंसान का या इंसान के अलावा किसी और का बाल लगवाना

अस्मा बन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: एक औरत नबी ﷺ के पास आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी दुल्हन बेटी के बाल खसरा (चीचक) की बीमारी की वजह से गिर गए हैं। तो क्या मैं उसके सर में मसनूई (कृत्रिम/ बनावटी) बाल मिला सकती हूँ? तो आप ﷺ ने फ़रमाया:

«لَعَنَ اللَّهُ الْوَالِصَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» [رواه مسلم: ११७१/३]

«अल्लाह तआला ने उस औरत पर लानत (शाप) की है जो मसनूई बाल मिलाती है और जो मिलवाती है» {मुस्लिम: ३/१६७६}

और जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा कि:

«زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.» [رواه مسلم: ११७९/३]

«नबी ﷺ ने औरत को अपने सर में कुछ मिलाने से मना फ़रमाया है» {मुस्लिम: ३/१६७६}

हमारे दौर में इसकी एक मिसाल कृत्रिम केश का खोंपा (बनावटी बालों का गुच्छा) है, और बाल मिलवाने वाली की मिसाल केश विन्यासकारिणीयों की है जिनके हॉल अन्याय से भरे होते हैं।

इस हराम कर्म की एक मिसाल अपने बालों में मुस्तआर (अस्थायी) बालों के मिलाने की भी है, जैसे बाज़ अभागा-अभागी नायक-नायिका जो ड्रामों तथा थिएटरों में (अपने बालों में) मिलाती हैं।



वेश-भूषा, बात-चीत तथा चाल-चलन में नारी-पुरुष का एक दूसरे की मुशाबहत (अनुरूपता) अख़्तियार करना

अल्लाह तआला ने अपने बंदों के लिए जो फ़ितरत मुकर्रर (प्रकृति निर्णय) फ़रमाया है उसका तकाज़ा (मांग) यह है कि मर्द अपनी पैदाइशी मर्दानगी (स्वभाविक पुरुषत्व) की और औरत अपनी पैदाइशी निस्रवानियत (स्वभाविक नारीत्व) की हिफ़ाज़त करे। और यह उन अस्बाब (माध्यमों) में से है कि जिसके बग़ैर लोगों की ज़िंदगी संवर नहीं सकती। और मर्दों का औरतों की मुशाबहत तथा औरतों का मर्दों की मुशाबहत अख़्तियार करना फ़ितरत की मुख़ालफ़त (प्रकृति की विरोधिता) करना और फ़ित्ने-फ़साद के द्वार खोलना है एवं समाज में बद नज़्मी (दुर्व्यवस्था) फैलाना है, जिसका शरई हुक्म हराम है। क्योंकि अगर शरई नुसूस (शरीअत की दलीलों) में कोई ऐसा काम जिसके करने वाले पर लानत (शाप) की जाये, तो वह उसके हराम होने की दलील होती है, और इस बात पर दलालत करती है कि वह काम कबीरा गुनाहों के अंतर्गत है। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ».
[رواه البخاري، انظر الفتح: ۳۳۲/۱۰]

«रसूलुल्लाह ﷺ ने औरतों की मुशाबहत अख़्तियार करने वाले मर्दों पर तथा मर्दों की मुशाबहत अख़्तियार करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है।»

{बुख़ारी, देखें फ़तहल बारी: १०/३३२}

और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ही से मरवी (वर्णित) दूसरी हदीस में है कि:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ». [رواه البخاري، الفتح: ٣٣٣/١٠].

«वेश-भूषा आदि में औरतों की मुशाबहत अख्तियार करने वाले मर्दों पर तथा मर्दों की मुशाबहत अख्तियार करने वाली औरतों पर रसूलुल्लाह ﷺ ने लानत फ़रमाई है» {बुख़ारी, देखें फ़तुल बारी: १०/३३३}

मुशाबहत कभी चाल-चलन, आचार-आचरण और चलने-फिरने में होती है, जैसे जिस्म को औरतों की शकल में ढालना, उनके अंदाज़ में बात-चीत करना तथा उनकी शैली में चलना-फिरना।

और मुशाबहत पोशाक-परिच्छद में भी होती है, अतः मर्द के लिए हार-माला, कंगन, पाजेब (घुँघरू) तथा बालीयाँ इत्यादि पहनना -जैसे कि यह निर्बोध व नासमझ किस्म के लोगों में आम है- जायज़ नहीं है। इसी प्रकार औरत के लिए ऐसा लिबास पहनना जो मर्द के लिए ख़ास हो -जैसे सौब (लम्बा कुर्ता) व शर्ट प्रभृति- जायज़ नहीं है, बल्कि हैअत-हुलया (आकार-आकृति) और कटिंग तथा स्टाइल व डिज़ाइन में भी विरोधिता (मुख़ालफ़त) ज़रूरी है। और पोशाक-परिच्छद में एक दूसरे की विरोधिता ज़रूरी होने की दलील अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी (वर्णित) वह हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ بِلِبْسَةِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ بِلِبْسَةِ الرَّجُلِ». [رواه أبو داود: ٣٥٥/٤]. وهو في صحيح الجامع: ٥٠٧١].

«औरत का पोशाक पहनने वाले मर्द पर तथा मर्द का पोशाक पहनने वाली औरत पर अल्लाह तआला ने लानत फ़रमाई है» {अबू दाऊद: ४/३५५, सहीहुल जामेअ: ५०७१}



बालों को काले रंग से रंगना (बालों में काला खिज़ाब लगाना)

नबी ﷺ के निम्नोक्त फ़रमान में मजूकूर (उल्लिखित) धमकी के अनुसार सहीह मत यह है कि बालों में काला खिज़ाब लगाना हराम है।

«يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

[رواه أبو داود: ٤١٩/٤، وهو في صحيح الجامع: ٨١٥٣. (والنسائي بإسناد صحيح [١])]

«आखिरी ज़माना में ऐसी क़ौम जनम लेगी जो अपने बालों को कबूतर के सीने की तरह काले रंग से रंगीन करेंगे, जिसके कारण वह जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी» {अबू दाऊद: ४/४१६, सहीहुल जामेअ: ८१५३, (इब्नु बाज़ रहेमहुल्लाह ने फ़रमाया: इस हदीस को नसई ने सही सनद के साथ रिवायत किया है)}

बुढ़ापे का असर (बालों में सफ़ेदी) जाहिर होने वाले लोगों में यह अमल ज़्यादा आम है। चुनांचे वह अपने (सफ़ेद) बालों को काले रंग से बदल कर कई फ़साद तथा बिगाड़ की जनम देते हैं, जैसे धोका देना, अल्लाह की तख़लीक़ (रचना) पर पर्दा डालना और वास्तविक अवस्था के अतिरिक्त कृत्रिम अवस्था से तृप्त होना (अस्ली हालत के अलावा नक़ली हालत से खुश होना)। निःसंदेह व्यक्तिगत आचार (शख़्सी सुलूक) पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और इंसान कभी कभी इससे धोका भी खा जाता है। सहीह सनद (विशुद्ध सूत्र) से साबित है कि नबी ﷺ अपने बालों की सफ़ेदी को मेहँदी से तथा इस प्रकार की ऐसी चीज़ से जिसमें पीलापन, लालपन या भूरापन होता था परिवर्तन करते थे। अनुरूप मक्का विजय (फ़त्हे मक्का) के दिन जब अबू बक्र के पिता अबू कुहाफ़ा लाये गये, उस समय उनके सर और दाढ़ी के बाल अत्यधिक पकने के कारण सफ़ेद फूल की तरह दिखाई दे रहे थे, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«غَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» . [رواه مسلم: १६६३/३]

«किसी चीज़ (रंग) से इसे बदल दो और काले रंग से बचो» {मुस्लिम: ३/१६६३}

और सही बात यह है कि इस विषय में औरत भी मर्द की तरह है, अतः वह भी अपने उन बालों को जो काले नहीं हैं काले रंग से रंग नहीं सकती।



कपड़े, दीवार तथा कागज़ इत्यादि में प्राणी (ज़ी रुह) की तस्वीर उतारना

अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٢٨٢/١٠].

«क़ियामत के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे सख्त अज़ाब भोग करने वाले तस्वीर उतारने वाले लोग हूँगे» [बुख़ारी, देखें फ़तुह बारी: १०/३८२]

और अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً...». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٢٨٥/١٠].

«अल्लाह तआला ने फ़रमाया: उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो मेरे पैदा करने की तरह पैदा करने की कोशिश करता है, (अगर हो सके तो) एक दाना या एक ज़र्रा (कण) ही पैदा करके दिखाए» [बुख़ारी, देखें फ़तुह बारी: १०/३८५]

और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسًا فَتَعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: إِنْ كُنْتَ لِأَبَدٍ فَاعْلَمْ فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. [رواه مسلم: ١٦٧١/٣].

«हर तस्वीर उतारने वाला दोज़ख़ में जाएगा, उसकी उतारी हुई हर तस्वीर में (अल्लाह तआला) रुह (प्राणवायु) डालेगा, पस वह उसे जहन्नम में अज़ाब देगी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया: अगर तुम करना ही चाहते हो तो

वृक्ष (दरख्त) तथा आत्माहीन (जिसमें रूह न हो ऐसी) चीजों की तस्वीर उतारो ॥
 {मुस्लिम: ३/१६७१}

उक्त हदीसों से इंसानों तथा जानवरों -चाहे वह छाया विशिष्ट हों या छायाहीन- में से हर प्राणी की तस्वीर की हुर्मत साबित होती है, चाहे वह तस्वीर छापी जाए, खींची जाए, काट काट कर बनाई जाए, नक्श व निगार करके अंकन की जाए, तराश कर प्रस्तुत की जाए या फ्रेम में रखकर तैयार की जाए, इनमें कोई फर्क (अंतर) नहीं है, क्योंकि तस्वीरों के हराम होने के बारे में वर्णित सारी हदीसों हर तरह की तस्वीरों को शामिल हैं।

मुसलमान को चाहिए कि शरीअत की दलीलों के सामने अपने आपको टेक दे, और वाद विवाद (बहस मुबाहसा) करते हुए यह न कहे कि न तो मैं उनकी इबादत करता हूँ और न ही उनको सज्दा करता हूँ!! अगर अक्लमंद अपनी अक्लमंदी की निगाह (ज्ञानी अपने ज्ञान की दृष्टि) से दौरे हाज़िर में तस्वीर के कारण फैली ख़राबियों में से सिर्फ़ एक ख़राबी पर गौर करे तो वह शरीअत में तस्वीर के हराम होने की हिक्मत को जान जाएगा। कामोत्तेजना (शहवत अंगेज़ी) जैसा अज़ीम फ़िल्ना तस्वीरों से जनम लेता है, बल्कि व्यभिचार में पतित (फ़वाहिश में वाकेअ) होने का ज़रीया तथा माध्यम यह तस्वीरें हैं।

मुसलमान को चाहिए कि वह अपने घर में किसी प्राणी (ज़ी रूह) की तस्वीर न रखे, ताकि यह उसके घर में फ़रिश्तों के न प्रवेश करने का सबब न बने। क्योंकि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُتُبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ». [رواه البخاري، انظر الفتوح: ١٠/٢٨٠].

«जिस घर में कूत्ता या तस्वीरें हूँ उसमें फ़रिश्ते प्रवेश नहीं करते ॥» {बुख़ारी, देखें फ़ह्रुल बारी: १०/३८०}

बाज़ घरों में मूर्तियाँ पाई जाती हैं जिनमें से कुछ काफ़िरों के माबूदों की मूर्तियाँ भी होती हैं, जो तोहफ़े के नाम पर और ज़ीनत के तौर पर रखी जाती हैं, हालाँकि इसकी हुर्मत (निषिद्धि) दूसरी तस्वीरों की तुलना (मुक़ाबला) में ज़्यादा

सख्त है। इसी तरह लटकाई हुई तस्वीरों की हुरमत न लटकाई हुई तस्वीरों से ज्यादा सख्त है। क्योंकि इन (लटकाई हुई) तस्वीरों ने कितनों को ताज़ीम व सम्मान की ओर धकेला, कितनों के दबे ग़मों को ताज़ा किया तथा कितनों को फ़ख़्र व गर्व के चौखट पे ला खड़ा किया!! और यह कहना सही न होगा कि तस्वीरें यादगार के लिए हैं, क्योंकि मुसलमानों में से किसी प्रिय (अज़ीज़) या रिश्तेदार की हकीकी याद तो दिल में होती है, पस उनके लिए रहमत व मग़फ़िरत (दया व क्षमा) की दुआ की जाएगी।

अतः सारी तस्वीरों को निकालना या मिटाना वाजिब (आवश्यक) है। मगर वह तस्वीरें जिनका निकालना मुश्किल तथा कठिन हो तो और बात है, जैसे डब्बों, शब्दकोषों, रीफ़रेन्स बुक्स (हवाला की किताबों) फ़ायदेमंद किताबों में मौजूद तस्वीरें। अलबत्ता हो सके तो इनको भी मिटाने की कोशिश करे। और उन चीज़ों से सचेत (होशयार) रहे जिनके बाज़ में निकृष्ट (बुरी) तस्वीरें होती हैं। हाँ, ऐसी तस्वीरें रखी जा सकती हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे शनाख़्ती कार्ड (पहचान पत्र) के लिए। बाज़ उलमा ने इस्तेमाल के ज़रीया बोसीदा (पुराना) की जाने वाली तस्वीरों –जैसे पापोश, कार्पेट इत्यादि में मौजूद तस्वीरों– की इजाज़त दी है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: १६]

“तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो।” {अल्लगाबुन: १६}



गढ़ करके झूटे ख़्वाब (सपना) बयान करना

बाज़ लोग मर्यादा (फ़ज़ीलत), लोगों में शोहरत के हुसूल (ख्याति प्राप्ति) के लिए, माली मनफ़अत की गरज़ (आर्थिक लाभ के उद्देश) से या अपने दुशमनों को भय प्रदर्शन करने (डराने) इत्यादि के लिए देखे बग़ैर मिथ्या ख़्वाबों का आश्रय लेते हैं (यानी गढ़ करके झूटे ख़्वाब बयान करते हैं)। और चूँकि बहुत से अ़वाम

ख्वाबों के बारे में अकीदत (आस्था) तथा उनसे बलिष्ठ संबंध (गहरा तअल्लुक) रखते हैं, इस लिए वह इस झूट के ज़रीया प्रतारित (धोखे के शिकार) होते हैं। ऐसा करने वालों के लिए हदीस में सख्त धमकी आई है। नबी ﷺ ने फ़रमाया: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيِ أَنْ يَدْعِيَ الرَّجُلُ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يَرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، وَيَقُولَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ». [رواه البخاري، انظر الفتوح: ٥٤٠/٦].

«सबसे बड़े झूट तथा गढ़त में से है: आदमी का अपने को दूसरे के बाप की ओर निस्बत (संयोजन) करना, या अपनी आँखों को वह चीज़ दिखलाना जिसको उसने नहीं देखा (यानी जो ख़ाब नहीं देखा उसको बयान करना) अथवा रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ ऐसी बात मन्सूब (संबद्ध) करना जो आपने नहीं फ़रमाई।» {बुखारी, देखें फ़ह्रुल बारी: ६/५४०} दूसरी हदीस में नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ، كُلَّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ...». [رواه البخاري، انظر الفتوح: ٤٢٧/١٢].

«जो शख्स ऐसा ख़ाब बयान करे जो उसने देखा नहीं, तो (क़ियामत के दिन) उसको बराबर तकलीफ़ दी जाती रहेगी कि दो जौ के दानों के दरमियान गिरह लगाए, लेकिन वह कभी गिरह न लगा सकेगा---।» {बुखारी, देखें फ़ह्रुल बारी: १२/४२७}

और दो जौ के दरमियान गिरह लगाना असंभव (नामुम्किन) बात है। अतः जैसी करनी वैसी भरनी (जैसा कर्म तैसा फल)।



क़ब्रों पर बैठना, उनको रौंदना तथा क़ब्रिस्तान में पेशाब-पाख़ाना करना

अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرِ». [رواه مسلم: ٦٦٧/٢].

«तुम में से कोई आदमी अंगारे पर बैठे, और अंगारा उसके कपड़ों को जला दे और उसका असर उसके चमड़े तक पहुँच जाए, उसके लिए यह बेहतर है इससे कि वह किसी क़ब्र पर बैठे» [मुस्लिम: २/६६७]

बाज़ लोग क़ब्रों को रौंदते हुए चलते हैं। जब वह अपने मैयत को दफ़नाने जाते हैं, तो आसपास में क़बरस्थ (मदफून) दूसरे मुद्दों का इहतिराम (सम्मान) किये बग़ैर क़ब्रों को अपने पैरों से (और कभी अपने जूतों से) रौंदते हुए बिल्कुल झिझक नहीं करते हैं। इस आचरण के बड़ा भारी (भयानक) होने के सिलसिले में रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं:

«لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرَجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ...» [رواه ابن ماجة: ६९९/१، وهو في صحيح الجامع: ५०३٨].

«मेरा किसी अंगारे पर या किसी तलवार पर चलना, अथवा पैरों के साथ अपने जूतों को सी देना, मेरे नज़दीक किसी मुसलमान की क़ब्र पर चलने से ज़्यादा पसंदीदा तथा बेहतर है» [इब्नु माजा: १/४६६, सहीहुल जामेअ: ५०३८]

(अगर यह है उनका अंजाम जो क़ब्रों पर चलते हैं) तो उनका क्या अंजाम होगा जो क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर क़ब्ज़ा जमा कर उस पर तिजारती या रिहायशी विल्डिंग निर्माण करने के लिए प्रकल्प कायम करते हैं।

इसी तरह बाज़ बदनसीब क़ब्रिस्तानों में पेशाब-पाख़ाना करते हैं। जब उन्हें क़ज़ाए हाजत (पेशाब-पाख़ाना) की ज़रूरत होती है, तो क़ब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ कर या उसमें प्रवेश हो कर अपनी गंदगी और मैला से मुद्दों को तक्लीफ़ देते हैं। नबी ﷺ फ़रमाते हैं:

«وَمَا أَبَالِي أَوْ سَطَّ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَّ السُّوقِ» [التخریج السابق].

«मुझे इसकी परवा नहीं है कि क़ब्र के बीच में क़ज़ाए हाजत करूँ या बाज़ार के बीच में» [साबिक हवाला]

अर्थात् क़ब्रिस्तान में पेशाब-पाख़ाना करना उसी तरह क़बीह (जघन्य) है, जिस तरह बाज़ार में लोगों के सामने शरमगाह (लज्जास्थान) खोल कर पेशाब करना

कबीह है। और जो लोग जान-बुझकर कब्रिस्तानों में (खासकर उन कब्रिस्तानों में जो वीरान हो चुके हैं और जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं) गंदगी, मैल-कुचेल तथा कूड़ा-करकट फेंकते हैं, उक्त धमकी में वह लोग भी शरीक हैं। कब्रिस्तानों की ज़ियारत के समय जिन आदाब का ख़्याल रखना चाहिए उनमें से एक यह है कि कब्रों के बीच चलने का इरादा करते समय अपने जूते उतार (खोल) ले।



पेशाब से न बचना

इस्लामी शरीअत की ख़ूबियों में से यह है कि उसने हर वह चीज़ जिसमें इंसान की भलाई है बयान कर दिया है। और उन्हीं में से एक अपवित्रता (नजासत) दूर करना है। और इसी के लिए इस्तिंजा तथा इस्तिज्मार (पानी अथवा ढेला या पत्थर आदि से अपवित्रता दूर करने) का हुक्म जारी किया गया है। और साफ़-सफ़ाई (परिष्कार-परिच्छन्नता) किस तरह हासिल की जाएगी, उसका भी तरीका बता दिया गया है। मगर बाज़ लोग नजासत दूर करने के सिलसिले में सुस्ती से काम लेते हैं तथा बद इहतियाती बरतते हैं, जिसके कारण उनके कपड़े या उनके शरीर में नापाक चीज़ (गंदगी) लग जाती है, और इसके नतीजे में उनकी नमाज़ सहीह नहीं होती है। नबी ﷺ ने फ़रमाया कि यह (यानी पेशाब से न बचना) क़ब्र में अज़ाब होने के अस्बाब (कारणों) में से एक है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा कि:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتِ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى [وفي رواية: وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ]، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْأُخْرَى يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ...» [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١/٢١٧]

नबी ﷺ ने मदीना के बाग़ों में से किसी एक बाग़ के पास से गुज़रते हुए दो ऐसे आदमी की आवाज़ सुनी जिन्हें उनके कब्रों में अज़ाब हो रहा था, तो आपने फ़रमाया: «इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी बड़ी चीज़ के कारण

अज़ाब नहीं हो रहा है।» फिर आपने फ़रमाया: «क्यों नहीं! बेशक वह बड़ा पाप है (जिसके कारण इन्हें अज़ाब हो रहा है)।» इन में से एक अपने पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। {बुख़ारी, देखें फ़त्हूल बारी: १/३१७}

बल्कि आप ﷺ ने यहाँ तक फ़रमाया कि:

«أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ». [رواه الإمام أحمد: २/२६, وهو في صحيح الجامع: १२१३].

«अक्सर (अधिकांश) क़ब्र का अज़ाब पेशाब की वजह से होता है।» {मुस्नद अहमद: २/३२६, सहीहल जामेअ: १२१३}

‘पेशाब से न बचना’ के अंतर्गत है (जुमरा में आता है) जो शख्स पूरे तौर पर पेशाब कार्य समाधा (ख़त्म) होने से पहले उठ जाए, अथवा जानबूझ कर ऐसी हैअत व कैफ़ियत (अवस्था) में या ऐसी जगह में पेशाब करे कि उसका पेशाब उसी पर लौट आए, अथवा इस्तिंजा या इस्तिजमार न करे, या करे लेकिन सही ढंग से नहीं।

दौरे हाज़िर (वर्तमान युग) में काफ़िरों का अनुकरण (देखा देखी) करते हुए बाज़ टॉइलेटों में पेशाब के लिए ऐसी जगहें बनाई गई हैं जो दीवारों के साथ लगी (संयुक्त) तथा ओपेन (खुली) हैं। वहाँ लोग आते हैं और आने-जाने वालों के सामने बेशर्म (निर्लज्ज) होकर पेशाब करते हैं, फिर नापाकी की हालत में अपना कपड़ा पहन कर चले जाते हैं। और इस तरह वह दो घिनावने हराम काम (का इर्तिकाब) करते हैं: १- लोगों की निगाह से अपने शर्मगाह की हिफ़ाज़त नहीं करते हैं। २- (पानी, डेला, पत्थर या टीशू पेपर वग़ैरा से अपने शर्मगाहों को पाक-साफ़ न करने के कारण) पेशाब से नहीं बचते हैं।



चोरी-छिपे किसी की बात सुनना जबकि वह इसे नापसंद करता हो (जासूसी करना)

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: १२]

“और तुम जासूसी न करो।” {अलहुजुरात: १२}

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صَبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه

الطبراني في الكبير: २४८/११-२४९, وهو في صحيح الجامع: ६००४]

«जो शख्स किसी की बात सुने इस हाल में कि वह उसे नापसंद करता हो, तो क़ियामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा।» {तबरानी कबीर: ११/२४८-२४९, सहीहुल जामेअ: ६००४}

और अगर वह उसको नुक़सान (क्षति) पहुँचाने की गरज़ से उसकी बातें उसकी अज्ञता (लाइल्मी) में दूसरों के पास बयान करे, तो वह जासूसी के पाप के साथ साथ चुगलख़ोरी करने के पाप का भी मुस्तहिक़ (अधिकारी) होगा। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ». [رواه البخاري، الفتح: ४७२/१०، والفتاات الذي يتسمع إلى حديث القوم وهم

لا يشعرون به ثم ينقله].

«चुगलख़ोर जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।» {बुख़ारी, देखें फ़ह्लुल बारी: १०/४७२।

‘क़त्तात’ यानी ‘चुगलख़ोर’ वह व्यक्ति है जो लोगों की बात उनकी ला इल्मी में सुन लेता है फिर दूसरों के सामने बयान करता है।}



पड़ोसियों के साथ बद् सुलूकी (कुआचरण) करना

अल्लाह तआला ने पड़ोसी के बारे में वसियत करते हुए फ़रमाया:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ३६]

“और अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक व इहसान करो, और रिश्तेदारों से, और यतीमों से, और मिसकीनों से, और क़रीब के पड़ोसी से, और दूर के पड़ोसी से, और पहलू के साथी से, और राह के मुसाफ़िर से, और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, निःसंदेह अल्लाह तआला तकब्बुर करने वालों (अहंकारियों) को तथा घमंड करने वालों को पसंद नहीं फ़रमाता।” {अन्सिः ३६}

पड़ोसी के हक़ तथा अधिकार अज़ीम (महान) होने के कारण उसको तकलीफ़ देना हराम है। अबू शुरैह् से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ» قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِيهِ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٤٤٣/١٠].

«अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है, अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है, अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है।» पूछा गया: कौन? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: «जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से मामून (सुरक्षित) नहीं रहता।» [बुखारी, देखें फ़हूल बारी: १०/४४३]

नबी ﷺ ने पड़ोसी का अपने पड़ोसी की प्रशंसा या निंदा (तारीफ़ या मज़म्मत) करने को सदाचार तथा कदाचार का मानदंड (अच्छे और बुरे सुलूक का मेयार) क़रार दिया। इब्ने मसऊद से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने नबी ﷺ से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने पड़ोसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, मुझे यह कैसे मालूम होगा? तो नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ». [رواه الإمام أحمد: ٤٠٢/١، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٣].

«जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते हुए सुनो कि 'तुमने अच्छा किया' तो जानो कि तुमने अच्छा किया, और जब तुम उन्हें यह कहते हुए सुनो कि 'तुमने बुरा किया' तो जानो कि तुमने बुरा किया।» {मुस्नद अहमद: १/४०२, सहीहुल जामेअ: ६२३}

विभिन्न रूप (मुख्तलिफ़ तरीके) से पड़ोसियों को तकलीफ़ दी जाती है, जैसे: मुश्तरक (मिलीजुली) दीवार में लकड़ी गाड़ने न देना, पड़ोसी की इजाज़त के बग़ैर दीवार पर इतनी बुलंद तामीर (निर्माण) करना कि धूप या हवा उसके घर में प्रवेश न करने पाये, उसके घर की तरफ़ खिड़की लगाना और उसके भेद जानने के लिए उससे झाँकना, तंग करने वाली आवाज़ों -जैसे खटखटाना और चीख़ना चिल्लाना- से तकलीफ़ पहुँचाना, ख़ासकर सोने तथा आराम-विश्राम के समय, उसके बच्चों को मारना अथवा उसके दरवाज़े की चौखट के पास कचड़ा फेंकना। उक्त आचार-व्यवहार अगर पड़ोसी के साथ किये जाएं, तो पाप और बड़ा तथा दुगना हो जाता है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بَعْشَرَ نَسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِأَمْرَأَةٍ جَارِهِ .. لِأَنَّ يَسْرِقَ الرَّجُلَ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتٍ جَارِهِ» . [رواه البخاري في الأدب المفرد برقم: ١٠٢٠، وهو في السلسلة

[الصحيحة: ٦٥]

«आदमी का दस औरतों से ज़िना करने का जुर्म अपने पड़ोसी की एक औरत से ज़िना करने की अपेक्षा (बनिस्बत) आसान तथा हल्का है। -- अनुरूप आदमी का दस घरों से चोरी करने का जुर्म अपने पड़ोसी के घर से चोरी करने की अपेक्षा (बनिस्बत) आसान तथा हल्का है।» {बुख़ारी ने अलअदबुल मुफ़रद में इसे रिवायत किया है, नम्बर: १०३, सहीहल जामेअ: ६५}

बाज़ ग़द्दार पड़ोसी की नाइट शिफ़्ट डियूटी में उसकी अनुपस्थिति (ग़ैर मौजूदगी) को ग़नीमत समझ कर फ़साद पैदा करने के लिए उसके घर में प्रवेश करते हैं। पस उसके लिए कठिन दिन के अज़ाब द्वारा हलाकत व बरबादी है।



वसीयत में हक़दार का हक़ मारकर या घटाकर उसे नुक्सान पहुँचाना

इस्लामी शरीअत के कायदों में से एक कायदा (नीति) यह है कि: 'ला इल्मी (अज्ञता) में किसी को नुक्सान पहुँचायें और न जानबूझ कर किसी को नुक्सान

पहँचायें'। मसलन (उदाहरण स्वरूप): शरीअत स्वीकृत सारे उत्तराधिकारीयों (शरीअत की तरफ़ से मुकर्रर कर्दा वारेसीन) को या उनमें से किसी को विरासत से महरूम करके नुक़सान पहँचाना। जो शख़्स ऐसा करेगा उसके लिए नबी ﷺ की जुबानी घोषित यह धम्की है:

«مَنْ ضَارَّ أَضْرًا اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقًّا اللَّهُ عَلَيْهِ». [رواه الإمام أحمد: ٤٥٣/٣، انظر صحيح الجامع: ٦٣٤٨].

«जो दूसरों को नुक़सान पहँचायेगा अल्लाह उसे नुक़सान पहँचायेगा, और जो दूसरों को तकलीफ़ देगा अल्लाह उसको तकलीफ़ देगा» {मुस्नद अहमद: ३/४५३, देखें: सहीहुल जामेअ: ६३४८}

वसीयत द्वारा नुक़सान पहँचाने की शक्तों (रूपों) में से है: किसी वारिस को उसके शरई हक़ (वैध अधिकार) से महरूम करना, अथवा शरई नियम-क़ानून के ख़िलाफ़ किसी वारिस के लिए वसीयत करना, या सुलुस (तृतीयांश) से ज़्यादा की वसीयत करना।

उन स्थानों (मुल्कों) में जहाँ शरई क़ानून के मुताबिक़ फैसला नहीं होता, वहाँ हक़दार को उसका वह हक़ जो अल्लाह ने उसे दिया है मिलना मुश्किल तथा कठिन हो जाता है। क्योंकि वहाँ मानव रचित क़ानून लागू है, जो शरीअत के ख़िलाफ़ फैसला करता है, और वकील के पास लिखी हुई ज़ालिमाना वसीयत नाफ़िज़ (लागू) करने का हुक़म देता है। अतः उनके हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को हलाकत और अफ़सोस है।



नर्द (चौसर) का खेल

लोगों में अ़ाम तथा प्रचलित बहुत सारे खेल बहुत सी हराम चीज़ों को शामिल हैं। उनमें से एक नर्द है जिससे शुरू करके दूसरे बहुत से खेलों की तरफ़ मुंतक़िल (स्थानंतरित) होते हैं, जैसे डाइस वगैरा। नबी ﷺ ने इस नर्द से जो जुआ के दरवाज़े खोलता है सावधान करते हुए फ़रमाया:

«مَنْ لَعِبَ بِالنُّزْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ» . [رواه مسلم: ٤/١٧٧٠].

«जिसने नर्द का खेल खेला, गोया उसने अपने हाथ को सुअर के गोश्त तथा उसके खून से रंग लिया ॥» {मुस्लिम: ४/१७७०}

और अबू मूसा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «مَنْ لَعِبَ بِالنُّزْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . [رواه الإمام أحمد: ٤/٣٩٤. وهو في صحيح الجامع: ٦٥٠٥].

«जो नर्द का खेल खेला, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की ॥» {मुस्नद अहमद: ४/३६४, सहीहुल जामेअ: ६५०५}



मोमिन तथा उस व्यक्ति को शाप (लानत) करना जो इसका मुस्तहिक न हो

बहुत से लोग जो गुस्से की हालत में अपनी जुबानों को कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं, जल्द ही शाप करना शुरू कर देते हैं। पस वह इंसान, चौपाया, जड़ पदार्थ (जमादात), ज़माना तथा समय को शाप करते हैं। बल्कि कभी कभी खुद को, अपने बाल-बच्चों को, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को भी शाप करते हैं। हालाँकि यह एक मुंकर (अन्याय) तथा संगीन विषय है। अबू जैद साबित बिन ज़ह्हाक अन्सारी رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«... وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ» . [رواه البخاري, انظر فتح الباري: ١٠/٤٦٥].

«--- किसी मोमिन को शाप करना उसके क़त्ल के मानिंद (हत्या सदृश) है ॥» {बुखारी, देखें फ़ह्लुल बारी: १०/४६५}

और चूँकि शाप ज़्यादातर औरतों की ओर से होती है, इसी लिए नबी ﷺ ने फ़रमाया कि यह उनके जहन्नम में दाख़िल होने के अस्बाब (कारणों) में से एक सबब है। इसके अलावा लानत करने वाले कियामत के दिन सिफ़ारिशी नहीं हूँगे। इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि जिस पर लानत किया है, अगर

वह इसका मुस्तहिक नहीं है तो वह लानत उस पर लौट आएगी। अतः वह अल्लाह की रहमत से दूरी की बद दुआ अपने नफ्स पर ही करने वाला होगा।



नौहा करना (मैयत पर रोना पीटना)

अज़ीम मुनकर (महा निन्दित तथा गर्हित) कामों में से बाज़ औरतों का मैयत पर विलाप करना (चीख-चिल्ला कर रोना), उसकी खूबियाँ शुमार करना, चेहरा पर तमाचा मारना, कपड़े फाड़ना और बाल मुँडाना या कसना और कटवाना। यह सारी चीज़ें अल्लाह के फैसले से राज़ी न होने तथा मुसीबत पर सब्र न करने की दलील है। ऐसा करने वालों पर नबी ﷺ ने लानत की है। अबू उमामा رضي الله عنه से मरवी (वर्णित) है:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجَهَّهَا، وَالشَّاقَّةَ جَبِيهَا، وَالِدَاعِيَةَ بِأَنْوِيلٍ وَالثُّبُورِ». [رواه

ابن ماجة: ٥٠٥/١، وهو في صحيح الجامع: ٥٠٦٨].

«रसूलुल्लाह ﷺ ने अपना चेहरा नोचने वाली, अपना गरेबान फाड़ने वाली और हलाकत व मौत को बुलाने वाली औरत पर लानत फ़रमाई है।» {इब्नु माजा: १/५०५, सहीहुल जामेअ: ५०६८}

और अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». [رواه البخاري، انظر

الفتح: ١٦٣/٣].

«वह हम में से नहीं है जो रुख़सार (गाल) पीटे, गरेबान फाड़े और जाहिलयत के कलिमात (शब्द) कहे।» {बुख़ारी, देखें फ़ह्लुल बारी: ३/१६३}

दूसरी हदीस में नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتَّبِ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدَرْعٌ مِنْ

جَرَبٍ». [رواه مسلم برقم: ٩٣٤].

«नौहा करने वाली जब मौत से पहले तौबा न करे, तो क़ियामत के दिन वह उठाई जायेगी इस हाल में कि उस पर गंधक का कुर्ता और जंग की क़मीस होगी ॥» {मुस्लिम, हदीस नम्बर: ६३४}



चेहरे पर मारना और दाग़ लगाना

जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ التُّسْمِ فِي الْوَجْهِ». [رواه مسلم: १६१३/३]

«रसूलुल्लाह ﷺ ने चेहरे पर मारने तथा दाग़ लगाने से मना फ़रमाया है ॥»
{मुस्लिम: ३/१६७३}

बहुत से बाप अपने बेटों को तथा शिक्षक अपने छात्रों को और मालिक अपने नौकरों को सज़ा देते हुए उनके चेहरों पर हाथों से या दूसरी चीज़ों से मारते हैं। ऐसा करने में जहाँ चेहरे की बेइज्जती (अवमानना) है जिसे अल्लाह ने इज्जत बख़्शी है, वहाँ उसके बाज़ अहम हवास के खोने का भी अंदेशा है, जिसके कारण उसे पछतावा का शिकार होना पड़ेगा, और कभी क़िसास की भी नौबत आ सकती है।

जानवरों के चेहरे पर दाग़ना यानी ऐसा इम्तियाज़ी (पार्थक्यकारी) निशान लगाना कि हर जानवर का मालिक अपने अपने जानवर को पहचान सके, या अगर वह गुम हो जाए तो उसके पास लौटाया जा सके। ऐसा करना हराम है, क्योंकि इसमें जानवर को बद शक़ल करना (जानवर की आकृति बदलना) है तथा उसको अज़ाब (कष्ट) देना है। और अगर कोई यह हुज्जत पेश करे कि यह उसके कबीले का उर्फ़ (ख़ानदान का प्रथा) तथा इम्तियाज़ी निशान है, तो चेहरा के अलावा दूसरे स्थान में दाग़ सकता है।



किसी शरई उज़्र के बिना तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से बात न करना (संबंध न रखना)

मुसलमानों के दरमियान संबंध छिन्न (क़तए तअल्लुक़) करना शैतान के चक्रांतों में से है। और बहुत से वह लोग जो शैतान का पदांक अनुसरण करते (उसके क़दम बक़दम चलते) हैं, बग़ैर किसी शरई कारण -जैसे मादी इख़्तिलाफ़ या फुजूल झगड़ा- के अपने मुसलमान भाईयों से सालों साल तक संबंध छिन्न किये रहते हैं। आदमी कभी कभी क़सम खा लेता है कि वह उससे बात ही नहीं करेगा। और कभी नज़्र (मिन्नत) मान लेता है कि वह उसके घर में दाख़िल नहीं होगा। अगर रास्ते में मुलाक़ात होती है तो मुँह फेर लेता है, और अगर किसी मजलिस में मुलाक़ात होती है तो उसको छोड़कर उसके आगे पीछे के सारे लोगों से मुसाफ़हा करता है। जबकि मुस्लिम समाज के कमज़ोर होने के अस्बाब में से एक उक्त आचरण है। इसी लिए इस सिलसिले में शरीअत का हुक्म दोटूक (अकाट्य) है तथा धमकी सख़्त है। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ». [رواه أبو داود: ٢١٥/٥، وهو في صحيح الجامع: ٧٦٣٥].

«किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह तीन दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से क़तए तअल्लुक़ (संबंध छिन्न) किये रखे। जो शख़्स तीन दिन से ज़्यादा क़तए तअल्लुक़ किये रखेगा और उस अर्सा (काल) में मरेगा, तो वह दोज़ख़ में दाख़िल होगा।» {अबू दाऊद: ५/२१५, सहीहुल जामेअ: ७६३५}

और अबू ख़राश अस्लमी رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ». [رواه البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم: ٤٠٦، وهو في صحيح الجامع: ٦٥٥٧].

«जो शख़्स अपने भाई को एक साल तक छोड़े रखे, तो गोया उसने उसका खून बहाया।» {बुख़ारी की अलअदबुल मुफ़रद, हदीस नम्बर: ४०६, सहीहुल जामेअ: ६५५७}

मुसलमानों से क़तए तअल्लुक़ की सज़ा में इतना ही काफ़ी है कि वह अल्लाह की क्षमा से वंचित (मग़फ़िरत से महरूम) रहेगा। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«تَعْرِضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُعْضَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيُقَالُ: أَتْرَكُوا أَوْ أَرْكُوا (يعني أخوا) هَذَيْنِ حَتَّى يَضِيئَا». [رواه مسلم: ١٩٨٨/٤]

«हर हफ़्ता दो मरतबा यानी सोमवार और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल (कर्म) पेश किए जाते हैं। पस हर मोमिन बंदे को माफ़ कर दिया जाता है सिवाय उस बंदे के जिसके दरमियान और उसके (मुस्लिम) भाई के दरमियान दुशमनी हो। उनके बारे में कहा जाता है: इन्हें छोड़ दो या इनका मामला विलंब (मुअख़्ख़र) कर दो यहाँ तक कि वह लौट जाएं यानी आपस में सुलह कर लें» {मुस्लिम: ४/१६८८}

दोनों विवादियों में से जो तौबा करे उसे चाहिए कि वह अपने साथी के पास जाए और सलाम के साथ उससे मिले। अगर उसने ऐसा किया और उसके साथी ने मुँह फेर लिया तो वह भार मुक्त (बरीउज़्ज़िम्मा) हो गया, और अब ज़िम्मेदारी इनकारी के कंधे पे आ गई। अबू अय्यूब رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». [رواه البخاري، فتح الباري: ٤٩٢/١٠]

«किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने भाई को तीन रात से ज़्यादा छोड़े रखे, दोनों मुलाक़ात करें तो यह इधर मुँह कर ले और वह उधर मुँह कर ले, और उन दोनों में से बेहतर वह है जो सलाम करने में पहल करे» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारी: १०/४६२}

लेकिन अगर क़तए तअल्लुक़ पर (संबंध छिन्न करने का) कोई शरई उज़्र हो -जैसे नमाज़ का छोड़ना या कोई बुराई निरंतर करते रहना- तो (ऐसी सूरत में देखना है कि) अगर क़तए तअल्लुक़ कुसूरवार (दोषी) के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा,

और उसे सही रास्ता पर ला खड़ा करेगा, या उसके दिल में ग़लती का इहसास (अनुभूति) डाल देगा, तो क़तए तअल्लुक करना वाजिब तथा ज़रूरी है। और अगर क़तए तअल्लुक का नतीजा यह निकले कि कुसूरवार उपेक्षा पर उपेक्षा (एराज़ पर एराज़) किये जा रहा है, और सरकशी, नफ़रत, दुश्मनी तथा पाप में इज़ाफ़ा (वृद्धि) ही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क़तए तअल्लुक जायज़ नहीं होगा। क्योंकि इससे शरई मसलहत तो पूरी (शरीअत का स्वार्थ तो साधित) होगी ही नहीं, बल्कि उल्टा फ़साद व बिगाड़ में इज़ाफ़ा होगा। अतः उचित यह है कि उसके साथ एहसान करते रहे, उसे नसीहत करते रहे तथा याद दिलाते रहे। [जैसे कि नबी ﷺ ने मसलहत के पेशे नज़र काब बिन मालिक और उनके दोनों साथियों के साथ क़तए तअल्लुक किया था। जबकि आपने अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल और मुनाफ़िकों से क़तए तअल्लुक नहीं किया था, क्योंकि उनसे क़तए तअल्लुक न करने ही में उनके लिए ज़्यादा भलाई थी। (तअलीक़ इब्नु बाज़ रहेमहुल्लाह)]



परिसमाप्ति (खातिमा)

यह हैं वह बाज़ मुंतशिर (प्रचलित) हराम विषय जिनका जमा करना (अल्लाह की तौफ़ीक़) से संभव हुआ। हम अल्लाह सुब्बानहु व तआला से उसके अस्माए हुसूना के माध्यम (बेहतरीन नामों के वसीले) से सवाल करते हैं कि वह हमें अपने डर से हिस्सा अता फ़रमाए, जो हमारे और उसकी नाफ़रमानी के बीच रुकावट बने, और अपनी फ़रमाबर्दारी से इस क़दर कि जिसके साथ वह हमें अपनी जन्त तक पहुँचा दे। और हमारे गुनाहों को बख़्श दे तथा हमसे हमारे कामों में जो अकारण ज़्यादती हुई है उसे भी माफ़ फ़रमा दे। और अपने हलाल के ज़रीया हराम से तथा अपने फ़ज़्ल व करम के ज़रीया दूसरों से बेनियाज़ कर दे। और हमारी तौबा क़बूल फ़रमाए तथा हमारे गुनाहों को धो दे, बेशक वही सुनने वाला और क़बूल करने वाला है। दुरूद और सलाम नाज़िल हो उम्मी (अनपढ़) नबी मुहम्मद पर और उनके परिवार-परिजन (आल व औलाद) तथा तमाम साथियों (सहाबए किराम) पर। सब तारीफ़ अल्लाह तआला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।

समाप्त





IslamHouse.com

 Hindi.IslamHouse  @IslamHouseHi  IslamHouseHi  <https://islamhouse.com/hi/>
 IslamHouseHi

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us : Books@guidetoislam.com

 Guidetoislam.org  [Guidetoislam1](https://twitter.com/Guidetoislam1)  [Guidetoislam](https://www.youtube.com/Guidetoislam)  www.Guidetoislam.com



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

